खण्ड-02 सत्र - 02 (भाग-01) / अंक- 16

शुक्रवार 20 नवम्बर, 2015 / 29 कार्तिक 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

fnYyh fo/kku lHkk

dh

dk;Zokgh

l=&2 Hkkx¼1½ 'kØokj] 20 uoEcj] 2015@29 dkfrZd 1937 ¼'kd½ vad&16

lnu vijkâu 2%00 cts leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय ¼Jh jke fuokl xks;y½ *पीठासीन हुए।*

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

fuEufyf[kr lnL; lnu esa mifLFkr gq,%&

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री वेद प्रकाश
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री रघुविंद्र शौकीन
9. सुश्री राखी बिड़ला
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री सोमदत्त
13. सुश्री अलका लाम्बा
14. श्री विशेष रवि
15. श्री हजारी लाल चौहान
16. श्री शिव चरण गोयल
17. श्री गिरीश सोनी
18. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
19. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
20. श्री महेन्द्र यादव
21. श्री गुलाब सिंह

22. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत
23. सुश्री भावना गौड़
24. श्री सुरेन्द्र सिंह
25. श्री विजेन्द्र गर्ग
26. श्री प्रवीण कुमार
27. श्री मदन लाल
28. श्री सोमनाथ भारती
29. श्रीमती प्रमिला टोकस
30. श्री नरेश यादव
31. श्री करतार सिंह तंवर
32. श्री प्रकाश
33. श्री अजय दत्त
34. श्री दिनेश मोहनिया
35. श्री सौरभ भारद्वाज
36. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
37. श्री सही राम
38. श्री नारायण दत्त शर्मा
39. श्री राजू धिंगान
40. श्री मनोज कुमार
41. श्री नितिन त्यागी
42. श्री ओम प्रकाश शर्मा
43. श्री एस.के बग्गा
44. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
45. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
46. मो० इशराक
47. श्री श्रीदत्त शर्मा
48. चौ. फतेह सिंह
49. श्री जगदीश प्रधान

fnYyh fo/kku lHkk

dh

dk;Zokgh

l=&2 Hkkx¼1½ 'kqØokj] 20 uoEcj] 2015@29 dkfrZd 1937 ¼'kd½ vad&16

lnu vijkâu 2%00 cts leosr gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय ¼Jh jke fuokl xks;y½ *पीठासीन हुए।*

v/;{k egksn;k }kjk 0;oLFkk

v/;{k egksn; % इस दूसरे सत्र के दूसरे दिन सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन स्वागत करता हूं। अब जरा प्रश्नकाल। बताइए।

Jh fufru R;kxh% अध्यक्ष महोदय, आज तक जब भी प्रदर्शन होते थे किसी भी पार्टी के द्वारा होते थे तो चंदगीराम अखाड़े के सामने होते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्र चल रहा है और प्रदर्शन सीएम हाउस के सामने हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है। पुलिस ने पूरा ट्रैफिक वहां से डायवर्ट कर रखा है, जाम लगा हुआ है। अधिकांश साथी नहीं आ पाए है। जाम में फंसे हुए है, घूमकर आ रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्ट किया हुआ है। ये नहीं चलना चाहिए इसको फौरन रूकना चाहिए इसके ऊपर रेजोलेशन पास करना है, लॉ पास करना है, जो करना है करना पड़ेगा और सत्र के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है। सीएम हाउस के सामने सत्र के दौरान प्रदर्शन हो रहा है, इतना इर्म्पोटेंट काम होता है यहां पर और यहां पर रास्ता रोक दिया जाएगा तो सर कैसे काम चलेगा?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % नहीं, खड़े होकर बोलिए प्लीज।

lJh vydk ykEck % मैं यह कह रही हूं कि ट्रॉमा सेन्टर भी यही पड़ता है चंदगीराम अखाड़े के सामने। इन लोगों के रोजाना धरने प्रदर्शनों का जो दिखावा शुरू हो गया है, उस वजह से लोगों की जान तक से ये खेलने का काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी मेरा आपसे निवेदन है इसे गंभीरता लेकर इस पर कार्रवाई की जाए।

v/;{k egkn; % एक सेकेण्ड राजेश जी।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष जी, ये एक प्रिविलेज का मामला बनता है। कोई मेम्बर नहीं आ पा रहा है, सदन में नहीं पहुंच पा रहा है, इनके धरने प्रदर्शन के कारण this is absolute violation of the privilege of the member.

Jh jkt'k xqIrk % अध्यक्ष महोदय, अगर इनको कोई विरोध करना भी है, कोई बात रखनी है तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जब ये 10 दिन सदन लगा हुआ है यहां पर आकर अपनी बात रख सकते हैं तो सभी ओनरेबल मेम्बर्स यहां पर हैं, आप यहां पर है, अपनी बात यहां पर रखिए। पूरी दिल्ली में जाए पूरे हिन्दुस्तान में जाएं, वहां पर करने से क्या फायदा?

v/;{k egkn; % बैठिए, बैठिए।

Jh fot;Un xqIrk % जितना हमारा अधिकार है, उतना ही आपका अधिकार है। ये लोकतंत्र है, किसी के धरने प्रदर्शन पर आप रोक नहीं लगा

सकते। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में अध्यक्ष महोदय या संबंधित अधिकारियों से बात करके और क्या उसका ऑल्टरनेटिव रास्ता हो सकता है, लेकिन आप ये सोचें कि देश के अन्दर अगर सदन के अन्दर लोकतंत्र पर आंच आ रही है तो बाहर भी आएगी ऐसा संभव नहीं है।

Jh fufru R;kxh % लोकतंत्र है और हरेक को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन उस बात का और जगह का औचित्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज कंसीडर करनी चाहिए कि उसकी इर्म्पोटेंस कितनी है। सदन का काम बहुत इर्म्पोटेंट होता है। धरना प्रदर्शन अगर कोई करना चाहता है, तो उसके लिए जगह निर्धारित होनी चाहिए, वहीं पर होना चाहिए और जंतर मंतर पर कीजिए जाकर। इस तरीके से रास्ता रोकना और सदन के काम में बाधा पहुंचाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है।

Jh jkt:'k xqIrk % लोकतंत्र में कुछ अधिकार है तो कुछ कर्त्तव्य भी है। हमारा सिर्फ ये काम नहीं है कि हमारे पास कोई पावर है, कुछ है, रोड जाम कर दें, कुछ कर दें, ठीक है हमारा अधिकार है विरोध करना। लेकिन हमारा कर्त्तव्य भी है कि जनता को तकलीफ न हो। लोग आराम से आ जा सकें। आप करिए लेकिन एक साइड में बैठकर विरोध करिए। लेकिन लोगों को तो आने जाने दें।

Jh fufru R;kxh % एक चीज और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा अभी परसों जब सेशन हुआ तब कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। जो बीजेपी ने किया, उससे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया पर कोई तकलीफ नहीं हुई। ये छोटा सा प्रदर्शन करके जो सड़क रोकते है और ऐसा क्यों होता है कि जब बीजेपी करती है तो पुलिस एकदम साथ में मिलकर के करती है। इसलिए ट्रैफिक डायवर्ट किया, रोका और उनको बाधा पहुंचाई गई।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % बैठिए विजेन्द्र जी, भावना जी हां।

lJh Hkkouk xkMh % अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है सभी को ये ज्ञात है कि दिल्ली विधानसभा का सदन चल रहा है। वहां से ट्रैफिक पूरा का पूरा जाम है। हम लोगों को घूमकर आना पड़ रहा है तो दिल्ली पुलिस विभाग ने उनको यहां तक आने की परमिशन कैसे दी, सदन को पूछना चाहिए दिल्ली पुलिस विभाग से।

v/;{k egksn; % चलिए बैठिए। ओम प्रकाश जी, आप मुझसे बात करो न, मुखातिब होकर इस ढंग से टीका टिप्पणी करोगे तो फिर माहौल खराब होगा। विजेन्द्र जी, महेन्द्र जी प्लीज। ये स्टार्ड क्वशच्यन का विषय रह जाएगा।

Jh egsUnz xks;y % अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश जी को कम से कम इतना जरूर बता दें कि अपनी भाषा को सुधार लें। सदन के अन्दर इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें ये।

v/;{k egksn; % ओम प्रकाश जी, मुझसे बात कीजिए।

Jh vke idk'k 'kekZ % ये सदन की भाषा ये आप मास्टर है यहां सदन के ये गलत आरोप लगा रहे हैं।

v/;{k egksn; % ओम प्रकाश जी, उन्होंने मुझसे कहा है मेरी बात सुनिए। आप जब भी बात करते है.....मेरी बात सुन लीजिए। आप जब भी बात करते है सदस्यों से मुखातिब होकर करते है। आप सदस्यों की तरफ मुहं न करके अध्यक्ष की तरफ देखकर बात करिए। उन्होंने जो कहा है, मैं दोहरा देता हूं।

''माननीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश जी को बात समझा दीजिए,'' उन्होंने माननीय अध्यक्ष कहकर मुझे संबोधित किया है। आप जब भी बात करते है, सीधा अटैक करते हैं सदस्यों पर। कभी अध्यक्ष को संबोधित.....उन्होंने मुझे बात करके कहा। चलिए बैठिए, आप बैठिए प्लीज। महेन्द्र जी बैठ जाइए, बैठिए प्लीज। विजेन्द्र जी, जो आज का विषय है ये अभी नितिन जी ने उठाया है। मेरी भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, 15 मिनट लेट पहुंचा। ठीक मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने वाला जो रास्ता है तिकोना वहां से लेकर वहां तक का पूरा रास्ता जाम था। विजेन्द्र जी, मैं अपनी बात कर लूं प्लीज। इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं इसका अर्थ यह हुआ। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, हां, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात कर रहा हूं। धरने प्रदर्शन हमने सामूहिक किए है, निरंतर किए है और हमेशा चंदगीराम अखाड़े पर होते रहे हैं, वो स्थान तय था। लेकिन आज पहली बार सेशन के दौरान यहां ये स्थान तय किया है ये अनुचित है, यह उचित नहीं है।

v/;{k egkn; % परम्परा यह रही है कि सेशन के दौरान चंदगी राम अखाड़े पर बैरियर लगता है। वहां से आगे नहीं आने दिया जाता था। वहीं पर सभी के धरने प्रदर्शन होते थे और इसका मैं संज्ञान ले रहा हूं और कमिशनर को मैं इस विषय में अवगत कराउंगा, बहुत–बहुत धन्यवाद। सीधा स्टार्ड क्वेश्चन आरम्भ करते हैं।

Jh fotUn xIrk % आप काम रोका प्रस्ताव की बात नहीं करते आप, जो हम लगाते हैं।

v/;{k egkn; % मैं सबकी बात कर रहा हूं। सब देख रहा हूं।

Jh fotUnz xIrk % उसकी आप मंजूरी नहीं देते। उसके बारे में कभी एजेण्डे पर नहीं लेते।

v/;{k egksn;% राजेन्द्र पाल गौतम, स्टार्ड क्वेश्चन।

Jh fotUnz xIrk % नियम 54 में मैने लगाया हुआ है चौथे वित्त आयोग के बारे में मुझे जवाब चाहिए उसका।

v/;{k egksn;% आ जाएगा। आ जाएगा।

Jh fotUnz xIrk % जवाब दें। रिपोर्ट किस दिन पेश करेगें और उसको कितनी देर चर्चा करवाएगें?

v/;{k egksn;% सुन लीजिए अभी। अभी बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में मेम्बर्स थे ओम प्रकाश जी। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में, सुन लीजिए विजेन्द्र जी सुन लीजिए। एक बार सुन लीजिए। इस सेशन में उसमें राईटिंग में आ गया है। इस सेशन में ये आ रहा है और आप क्या चाहते हैं?

Jh fotUnz xIrk % नौ महीने लेट हो चुकी है हम चाहते है इस सेशन में मंत्री आज करेंगे, मंडे को करेंगे। सरकार बताए। आप यह बताए मंडे को या टयूजडे को कब?

v/;{k egksn;% विजेन्द्र जी, मैं यह रूलिंग दे रहा हूं, बिजनेस एडवाईजरी कमेटी का अधिकार है कि उस विषय को कब डेट फिक्स करेंगे this is the right of business advisory committee.

Jh fotUnz xIrk % आपके हाथ में रिपोर्ट आ गई है

v/;{k egksn;% रिपोर्ट आ जाएगी।

Jh fotUn xqIrk % आ जाएगी वो ही तो हम कह रहे हैं। हमारा यही तो कहना है।

v/;{k egkn; % मैं पढ़के सुना देता हूं।

Jh fotUn xqIrk % सिर्फ घुमाया जा रहा है यह गम्भीर मामला है। जितनी इसकी गम्भीरता है उस पर सरकार उतनी गम्भीर नहीं है। पहले ही नौ महीने जब से सत्र प्रारम्भ हुआ है। व्यवधान..... एक बार भी सरकार ने रिपोर्ट के बारे में संज्ञान नहीं लिया है। हम चाहते हैं सरकार इसके बारे में बताए, जवाब दे। ये गम्भीर मामला है।

v/;{k egkn; % एक सैकेंड नितिन जी रूकिए। अब मेरी बात आपने उठा लिया विषय। बीच में टोकना नहीं मेरी बात सुन लीजिए। सरकार की ओर से जो–जो विधेयक पेश किये जाने हैं, वो आज पूरा बिजनेस हमारे पास पहुंच चुका है। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी का as per rule उसको डेट कौन सी फिक्स की जाएगी। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी उसको तय करेगी। एक बात। बात नं० 2 आपने जो कहा इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें। रिपोर्ट already लिखी हुई है सारी।

Jh fotUn xqIrk % ये तो चार साल हो गए लिखे हुए को वर्ष 2012 में ये लिखी गई थी।

v/;{k egkn; % 2012 में लिखी गई थी ना। तब यहां 25 एमएलए थे बीजेपी के तब क्यों नहीं रखवा ली?

Jh fotUn xqIrk % बिल्कुल यही तो हमारा कहना है हम तो तब भी बात उठा रहे थे।...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % हर रोज आप समय खराब करते हैं। लोक सभा में रखवा लेनी थी। ...(व्यवधान) माननीय वित्त मंत्री जी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी ने, एक सैकेंड रूक जाइए। 2014–15 में उस वक्त कह सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लागू कर सकते थे नगर निगम को।...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % चलिए, राजेन्द्र गौतम जी।

Jh jktUn iky xkre % आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्य मंत्री जी से सवाल नं० 21 का जवाब जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % चलिए।

mi&e[; e=h % अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 21 के संदर्भ में मुझे ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आपका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है।

mi&e[; e=h % जी हाँ। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल थी, जिसे काफी सरल बना दिया है।...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, अब आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं।

mi&e[; e=h % अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 21 क ख और ग के संदर्भ में मुझे कहना है कि जी हाँ ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी आप मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप मंत्री जी को उत्तर, वो जवाब दे रहे हैं आप सुन लीजिए आप सुनने को

तैयार नहीं है। आपने अभी जो बात की है। फोर्थ कमीशन की बात की, वो अभी उसका उत्तर दे रहें हैं।...(व्यवधान)

mi&e[; e=h % उसका मामला बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के पास में है। अब बिजनेस एडवाईजरी कमेटी एक डेट तय कर लेगी उसके बारे में। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % रिपोर्ट उसी दिन तो आएगी जो हम डेट तय करेंगे। रिपोर्ट सदन पटल पर उसी दिन तो आएगी।

mi&e[; e=h % बिजनेस एडवाईजरी कमेटी एक डेट तय करके मुझे बता देगी। ...(व्यवधान)

Jh fot;Un xqIrk % आपके पास रिपोर्ट आ गई क्या

v/;{k egkn; % वो हमारा काम है रिपोर्ट लेना। जो उन्होंने लिखकर दिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डेट फिक्स करेगी।

mi&e[; e=h % जब बिजनेस एडवाईजरी कमेटी तय करेगी, उसमें हम रख देगें।

v/;{k egkn; % आपने बात बोल दी ना? अब मेरी बात सुन लीजिए। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने बाकायदा राईटिंग में।

v/;{k egkn; % ओम प्रकाश जी रूक जाइए। अध्यक्ष बोल रहे हैं आप सुन नहीं रहें हैं बात को। जब उन्होंने लिखित में भेजा है तो भेजेगी कैसे नहीं? जब सरकार की ओर से लिखित में आया है तो आएगी वो। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % चलिए राजेन्द्र जी, आप अपनी बात रखिए। ...(व्यवधान)

rkjkfdr i'uk d ekf[kd mÙkj

Jh jktUn iky xkre % आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 21 प्रस्तुत है,

क्या mi&e[; e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया अत्यंत जटिल होने के कारण आम जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि समय समय पर जारी किए गए निर्देश, मार्गदर्शन एवं वैधानिक प्रावधान अत्यंत जटिल एवं विरोधाभासी होने के कारण विभाग को भी इनके पालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार की इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए एक समग्र नीति लाने एवं विविध प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण का कोई प्रस्ताव है?

(घ) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है और क्या इस संशोधित प्रक्रिया के लागू होने की संभावना है?

mi&e[; e=h % अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर प्रस्तुत है : (क), (ख) और (ग) जी हाँ। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल थी जिसे काफी सरल बना दिया है।

(घ) इस संदर्भ में मुझे कहना है कि इस प्रक्रिया का ई–डिस्ट्रक्ट द्वारा जून 2015 से सरलीकृत किया गया जिसमें प्रार्थी स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा जारी प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट भी निकाल सकता है। दिल्ली सरकार ने विविध प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरलीकरण हेतु मंत्रिमण्डल निर्णय संख्या 2255 दिनांक 16.11.2015 को मंजूरी दी है। जो कि दिनांक 01. 12.2015 से प्रभावी होने जा रही है। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % सप्लीमेंटरी। राजेन्द्र जी।

Jh jktsUnz iky xkSre % सर, सिर्फ एक क्वेश्चन और इसमें सप्लीमेंट्री है कि

क्या जो इससे पीछे के जो निर्णय है, वे स्वयं रद्द माने जाएगें, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ है कि नए निर्णय सरकार के आते हैं और पिछले भी चलते रहते हैं जिसमें से कन्ट्राडिक्शन रहता था तो क्या पिछले निर्णय रद्द माने जाएगें?

mi&eq[; ea=h % अध्यक्ष महोदय, जो सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें काफी तरह के एफिडेवेटस मांगे जाते थे। उसमें सर्टिफिकेट लेने वाले व्यक्ति को काफी चक्कर लगाने पड़ते थे। उन सब का अध्ययन करके एक कन्सोलोडेटिड तरीका बना दिया गया है कि अब 200 तरह के सर्टिफिकेट सरकार ने खत्म किये हैं और एफिडिवेटस खत्म करने के लिए जो केन्द्र सरकार के अधिनियम के हिसाब से है उनके लिए भी केन्द्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है सरकार और जो निर्णय अभी लिया गया है, वो निर्णय अब सभी overriding effect के बाद लागू होगा।

v/;{k egkn; % Any supplementary?

Jh tjuSy flag ¼jktkSjh xkMZu½ % ये जो क्रान्ति कारी कदम सरकार ने उठाया है और इससे लोगों को बहुत सहूलियत होगी। लेकिन जो अपनी ब्यूीरोक्रेसी है, खास कर राजस्व विभाग में जो लोग है, उनको इसके बारे में sensitize करना पड़ेगा अगर फिर भी अधिकारी वहीं पुराने तरीके से मांगना शुरू करते है, तो उनको कोई दंडित करने का या उनको sensitize करने की भी आप कोई कोशिश कर रहे हैं?

mi&eq[; ea=h % ये देखने में आया है कि लोगों की जानकारी के आभाव में विभिन्न सरकारी विभागों में उनको परेशान करने का सिलसिला लगातार चला था। इसी को देखते हुए ये एफिडेवटिस खत्म किये गए हैं। इसी को देखते हुए ये प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल की गई है। और उसकी अब टाईम लिमिट तय करके जल्द ही सरकार आने वाले समय में Right to Service Act जो है, उसमें Amendment करके उन सब चीजों को इसमें शामिल करेगी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी कि कोई अधिकारी किसी को परेशान न कर सके।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। श्री विजेन्द्र जी गर्ग।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गर्ग प्रश्न सं. 22

Jh fotsUnz xxZ % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 22 प्रस्तुत है :

क्या [kk| एवं vkiwfrZ ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बी.पी.एल. एवं खाद्य सुरक्षा योजना के लिए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में ऐसे कितने कितने राशन कार्ड हैं,

(ग) बी.पी.एल. एवं खाद्य सुरक्षा योजना के नये राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य एवं संभरण विभाग में इस समय कितने आवेदन लम्बित हैं, और

(घ) इन आवेदकों को नये राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया कब से शुरू कर दी जायेगी?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h ¼Jh bejku gqlSu½ % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 22 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) दिल्ली में वर्तमान समय में बीपीएल राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पुराने बीपीएल कार्डधारकों को पीआर–एस श्रेणी के कार्ड जारी किये जा रहे है;

(ग) 31 अक्टूबर, 2015 तक कार्डों की स्थिति निम्न प्रकार है :

श्रेणी	कार्ड सं.
एएवाई	77,552
पीआरएस	190,788
पीआर	6,91720
कुल	19,600,60

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत के नये राशन काड बनवाने के लिए कुल 70,772 आवेदन लम्बित हैं।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लार्भाथियों की संख्या निश्चित की गई है जो कि लगभग पूरी हो गयी है। प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के बाद उनको वरीयता सूची में रखे जाने का प्रस्ताव है। जैसे ही पर्याप्त संख्या उपलब्ध होगी, आवेदकों को कार्ड जारी कर दिये जायेंगे।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गर्ग।

Jh fotUn xx % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो राशन कार्डधारी हैं, उनसे बिजली के बिल मांगे जा रहे है। वे किरायेदार हैं या झुग्गी में रह रहे हैं। जिनके यहां मीटर भी नहीं हैं, उनसे बिजली के बिल मांगकर उनको परेशान किया जा रहा है और दुकानदारों को खाद्य आपूर्ति विभाग दिशा निर्देश जारी करे कि जिनके नाम पर मीटर नहीं है; उनका राशन न रोका जाये।

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,o vkifr e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अभी तक ऐसी कोई शिकायत विभाग के पास नहीं आई है और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % इस पर केवल तीन सप्लीमैन्टरी होंगी। मनोज जी।

Jh eukt dekj % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से

जानना चाहूंगा कि जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि सभी जगह राशन कार्ड बनाने के लिए बिजली के बिल मांगे जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नोएडा से टच है, उसमें मैक्सिमम लोग किरायेदार हैं। एक बिल्डिंग में कई–कई सौ परिवार रह रहे हैं। वे इतने गरीब परिवार हैं कि तीन–चार हजार रु० मासिक में गुजारा करते हैं।

v/;{k egkn; % मनोज जी, प्रश्न कीजिए।

Jh euk t dekj % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही है कि जिनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाई जायेगी कि राशन कार्ड उनको भी उपलब्ध हों, और उनको भी खाद्य सामग्री उचित दर पर मिल सके। यह सुझाव है सर।

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,o vkifr e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने हमें राशन कार्ड बनाने के लिए कुल 72,77 995 लाभार्थियों की संख्या दी गई है। इसके लिए हमने भारत सरकार को लिखित में भेज दिया है कि दिल्ली के लिए इसकी संख्या बढ़ाई जाये। क्योंकि दिल्ली में पहले के मुकाबले जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए इस बारे में भारत सरकार को लिखकर भेज दिया गया है जैसे ही हमें वहां से जवाब आयेगा, तो इसे लागू कर दिया जायेगा।

v/;{k egkn; % श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (ति.न.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 72,70,995 से अधिक राशन कार्ड नहीं बन सकते हैं। लगभग दो महीने पहले क्षेत्रवासियों की शिकायत पर एक एफपीएस होल्डर की चैकिंग कराइ गई, तो 1040 के आस पास उसके पास राशन कार्ड थे, जिसमें से 600 के लगभग फर्जी निकले। इतने ज्यादा राशन कार्ड अगर फर्जी निकले जो पहले के बने हुए थे, तो उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उन पर ...ओर नये राशन कार्ड भी बन जायें। उनके ऊपर क्या हो रहा है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए विभाग ने आदेश भी दे दिए हैं और लगभग 25000 ऐसे राशन कार्ड इनकी निगाह में आये हैं और 16 लाख कार्डों की वेरिफिकेशन विभाग द्वारा करा दी गई है। जिसमें लगभग 25 हजार नकली कार्डधारक इनकी नॉलेज में आये हैं। जिनको इन्होंने निकाल दिया है।...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अंतिम प्रश्न सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राशनकार्ड के लिए क्राइटेरिया है बिजली का बिल का इनका क्राइटेरिया है। बीएसईएस ने without any due notice, without any due consideration, without following the process of law किलोवाट को बढ़ाकर

5 किलावाट कर दिया और किसी का 4 किलोवाट कर दिया। ऐसा करने से कई हजार लोग राशन कार्ड के लिए अयोग्य साबित हो गये। हम ये बात पहले भी लेकर आये थे कि इस बारे में क्या किया जा रहा है?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % देखिये, ऐसे नहीं। स्टार्ड प्रश्न का मैक्सिमम दो...अभी सदन चलेगा। किसी दिन नियम 280 के अन्तर्गत लगाइये आप।

Jh fxjh'k lkuh % अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर कार्डों की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सारी विधान सभा क्षेत्रों में देखें तो ज्यादातर राशन वाले गरीब लोगों का राशन ब्लैक करते हैं। विभाग इसमें सब शो वगैरह...इसमें सब मिली भगत चल रही है। इसमें विभाग क्या कर रहा है मुख्य बात है कि राशन काफी हद तक ब्लैक हो रहा है। क्योंकि उसकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, या क्या राशन वालों की समस्या ऐसी है कि उनको उसमें प्राफिट नहीं हो पाता। एक बहुत बड़ी समस्या है कि राशन ज्यादात ब्लैक होता है।

v/;{k egkn; % आपने रख दी अपनी बात। चलिए ठीक है। सोमनाथ जी।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, डीईआरसी का जो प्रोविजन है, उसमें तीन साल में एक किलोवाट इन्क्रीज कर सकते हैं।

[kk| ,oa vkifrZ e=h % अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हमने विभाग में चर्चा की है और मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक आदेश भी मुझे दिया है कि इसमें जो हम नया क्राइटेरिया बनाने जा रहे हैं, उसमें बिजली के बिल का जो प्रावधान है दो किलोवाट, चार किलोवाट या 5 किलोवाट, इसे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, आने

वाले समय में। और जैसा कि आपने कहा ...चोरी की बात और ब्लैक की बात, माननीय सदस्य ने की इसके लिए प्वाइंट ऑफ सेल् डिवाइस सभी दुकानों पर लगाया जा रहा है। 17 नवम्बर को इसका टैण्डर हो गया है और 16 मई, 2016 तक दिल्ली की सभी एफपीएस पर ये डिवाइस लगा दिया जायेगा। इसमें ये बायोमैट्रिक होगा। जो भी कार्ड होल्डर या उसके परिवार से कोई भी राशन लेने आयेगा तो उसके फिंगर प्रिन्टस वगैरह लेकर ही राशन दिया जायेगा और अगर वह भी मैच नहीं करेगा तो आंखों का रैटीने के से सत्यापन का भी प्रोविजन है, वह भी लिया जायेगा जिससे कि काफी हद तक ब्लैक रुकेगा और जितने भी ट्रक गोदामों में जाते हैं एफपीएस के लिए, उसमें भी ब्लैक की बात सुनने में आती है, तो उसमें भी जीपीएस सिस्टम लगा रहे हैं। इससे काफी हद तक कण्ट्रोल हो जायेगा।

v/;{k egkn; % प्रश्न सं. 23 श्री जगदीश प्रधान।

Jh txnh'k i/kku % अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 23 प्रस्तुत हैः

क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रियों के कार्यालयों व अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी सहित अन्य पदों पर कई नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस–किस पद पर ये नियुक्तियां की गई हैं और इन पदों की नियुक्ति के लिए किन–किन अधिकारियों को अधिकृत किया गया था;

(ग) क्या उन अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए डी.एस.एस.एस.बी. विभाग से संस्तुति ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

ifjogu e=h % ¼Jh xkiky jk;½ % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 23 का उत्तर प्रस्तुत हैं : (क) सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न पदों पर मंत्री परिषद के निजी कार्यालयों में को–टर्मिनस आधार पर नियुक्तियाँ की हैं, परन्तु चतुर्थ श्रेणी के पदों पर डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं० एबी। (14017/6/ 2009–स्था) (आरआर) दिनाँक 30/4/2010 के अनुसार कोई भी नियुक्ति नहीं की जाती है।

(ख) विवरण संलग्नक अ के अनुसार।

(ग) ऐसा प्रावधान नहीं है। मंत्री अपने निजी कार्यालयों में अपनी इच्छा अनुसार भर्ती नियमावली में योग्यता शर्तों के अनुरूप नियुक्तियाँ कर सकते हैं।

(घ) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।

v/;{k egkn; % श्री जगदीश प्रधान जी पूरक प्रश्न पूछिए।

Jh txnh'k iz/kku % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

vuyXud ^v*

dk-Vfeuk l fu;fDr;k

सं.	नाम	पद	श्रेणी	नियुक्ति कर्त्ता
1	श्री विभव कुमार	मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव	ए	उप राज्यपाल
2	सुश्री अस्वाति मुरलीधरन	मुख्य मंत्री जी के संयुक्त सचिव	ए	उप राज्यपाल
3	श्री महेश कुमार	चालक (उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में)	सी (एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट)	उप राज्यपाल
4	श्री सुरेन्द्र जगलन	पर्यावरण मंत्री के निजी सचिच	बी	मुख्य सचिव
5	श्री रोहित कुमार	चलक (परिवहन मंत्री के कार्यालय)	सी (स्किल क्वालिफिकेशन में छूट)	उप राज्यपाल
6	श्री सुबोध प्रसाद	चपरासी/एमटीएस (परिवहन मंत्री के कार्यालय)	सी	प्रधान सचिव (सा. प्रा. वि.)
7	श्री प्रभात कुमार	निम्न श्रेणी लिपिक (परिवहन मंत्री के कार्यालय)	सी (स्किल क्वालिफिकेशन में छूट)	उप राज्यपाल

8	श्री आदित्य राय	चपरासी/एमटीएस (परिवहन मंत्री के कार्यालय)	सी	प्रधान सचिव (सा. प्रा. वि.)
9	श्री अभिनव राय	अवर लिपिक (परिवहन मंत्री के कार्यालय)	सी	प्रधान सचिव (सा. प्रा. वि.)
10	श्री सतपाल सिंह	चपरासी/एमटीएस (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	सी	प्रधान सचिव (सा. प्रा. वि.)
11	श्री महेश कुमार	चालक (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	सी (एजुकेशनल तथा स्किल क्वालिफिकेशन में छूट)	उप राज्यपाल
12	श्री धन्जय सिंह	चपरासी/एमटीएस (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	सी (एजुकेशनल क्वालिफिकेशन छूट)	उप राज्यपाल
13	सुश्री लक्ष्मी	चपरासी/एमटीएस (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	सी (एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट)	उप राज्यपाल
14	श्री तजेन्द्र पाल सिंह	परिवहन मंत्री के निजी सचिव	बी	मुख्य सचिव
15	श्री शशांक त्यागी	अवर श्रेणी लिपिक (समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय)	सी	प्रधान सचिव (सा.प्रा.वि.)
16	श्री जितेन्द्र सोलंकी	चपरासी/एमटीएस (समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय)	सी	प्रधान सचिव (सा.प्रा.वि.)

सं.	नाम	पद	श्रेणी	नियुक्ति कर्त्ता
17	श्री सौरभ गोयल	एमटीएस (पयर्टन मंत्री के कार्यालय)	सी	प्रधान सचिव (सा.प्रा.वि.)
18	श्री गौरव पाल	एमटीएस (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	सी	प्रधान सचिव (सा.प्रा.वि.)
19	श्री रूपलाल यादव	एमटीएस (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	सी (एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट)	उप राज्यपाल

vuc/k d vk/kkj ij fu;fDr;k

सं.	नाम	पद	नियक्ति कर्ता
1	श्री नागेंद्र शर्मा	सलाहकार (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	उप राज्यपाल
2	श्री आशीष तलवार	सलाहकार (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	उप राज्यपाल
3	श्री अमरदीप तिवारी	सलाहकार (कानून मंत्री के कार्यालय)	उप राज्यपाल
4	श्री रोहित पांडे	मुख्यमंत्री जी के निजी सहायक	उप राज्यपाल
5	श्री अरूनोदय प्रकाश	सलाहकार (उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में)	उप राज्यपाल
6	ब्रिगेडियर दिनकर अदीब रिटायर्ड	स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक	प्रभारी मंत्री (सा.प्रा.वि.)
7	श्री प्रशांत सक्सेना	सलाहकार (स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में)	प्रभारी मंत्री (सा.प्रा.वि.)
8	श्री समीर मल्होत्रा	सलाहकाार (स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में)	प्रभारी मंत्री (सा.प्रा.वि.)
9	श्री रजत तिवारी	ऐड–डी–कैम्प (स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में)	प्रभारी मंत्री (सा.प्रा.वि.)

10	श्री गोपाल मोहन	सलाहकार (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	प्रभारी मंत्री (सा.प्रा.वि.)
11	श्री राकेश कुमार सिंहा रिटायर्ड	मुख्य मंत्री जी के विशेष सलाहकार	प्रभारी मंत्री (सा.प्रा.वि.)
12	श्री राहुल भसीन	सलाहकार (मुख्य मंत्री के कार्यालय)	मुख्य मंत्री

MiV'ku d vk/kkj ij fu;fDr;k

सं.	नाम	पद	श्रेणी	नियुक्ति कर्त्ता
1	श्री संजय कुमार	उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में निजी सहायक	बी	मुख्य–सचिव
2	श्री प्रवीन सिंह	समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय में निजी सचिव	बी	प्रधान सचिव (सा.प्रा.वि.)

lygkdkj

सं.	नाम	पद	नियुक्ति कर्त्ता
1	सुश्री निशा सिंह	उप मुख्यमंत्री के सलाहकार	उप राज्यपाल
2	सुश्री अतिशि मर्लिना	उप मुख्यमंत्री के सलाहकार	प्रभारी मंत्री (सा.प्रा.वि.)

v/;{k egkn; % प्रश्न सं. 24 श्री अजेश यादव। (उपस्थित नहीं) प्रश्न सं. 25 श्री शदर कुमार जी।

Jh 'kjn dqekj % अध्यक्ष महोदय प्रश्न सं. 25 प्रस्तुत है :

क्या [kk| एवं vkiwfr e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन न किए जाने पर भी उनकी उचित दर दुकान बदल दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे उपभोक्ताओं को होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए इस नीति पर पुर्नविचार किया जाने का प्रस्ताव है?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,oa vkiwfr e=h % अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न सं. 25 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी हाँ

(ख) निम्नलिखित परिस्थितियों में उपभोक्ता द्वारा बिना आवेदन के भी दुकान बदली जा सकती है :

1. संबंधित दुकान के सस्पेंड/केन्सिल होने पर।

2. विभाग द्वारा सभी दुकानों पर कार्डों का रैश्नलाइजेशन किये जाने पर।

विभाग की नीति के अनुसार आवेदक के निवास स्थान के समीप की दुकान पर ही उसका राशन कार्ड लगाया जाता है।

v/;{k egkn; % शरद यादव जी, पूरक प्रश्न?

Jh 'kjn ;kno % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नरेला विधान सभा क्षेत्र काफी लम्बा चौड़ा एरिया है, उसमें काफी गांव हैं, इन्होंने पिछले काफी समय से क्या किया कि जो पुराने दुकानदार थे, इन्होंने अपनी मर्जी से, कोई 6 किलोमीटर दूर गांव है, अपना वहां भी लगा दिया। इनको पता है कि एक गांव वाला इतनी दूर तो जाने से रहा, एक गांव वाला दूसरे गांव में जाने के लिए तो इन्होंने पिछले एक डेढ साल में 5–6 हजार कार्ड अपनी मर्जी से दुकानदारों के लगा लिये, जब कि वहां गांव वाले पहुँच ही नहीं पाते, उनसे राशन लेने के लिए। उस राशन को वे अपने ब्लैक में जो भी करते हों, ब्लैक वगैरह करते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरह इसलिए दिलाना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से...

v/;{k egkn; % आप एफपीएस वगैरह जो कुछ भी हुआ है, वह लिखकर दे दीजिए खाद्य मंत्री जी को।

Jh 'kjn ;kno % बिल्कुल सर, रिकॉर्ड है, मैं उसके तहत बोल रहा हूँ। तो कृपया जरा इस पर ध्यान दिया जाये, धन्यवाद।

[kk| ,o vkifr e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चांहूगा कि ये समस्या लगभग सभी जगह है। तो इसके लिए विभाग को आदेश दे दिये गये हैं कि इसकी इन्क्वारी करवाकर जो सबसे नजदीक दुकान हो, उस पर कार्ड धारक का कार्ड डालना है, इसके लिए अभी सर्वे होना शुरू हो जायेगा और जो दुकान उसके घर के सबसे नजदीक होगी, उसी पर उसको राशन मिलेगा।

Jh 'kjn ;kno % अध्यक्ष महोदय, जो अब से पहले इन्होंने कार्रवाई की,

किस वजह से की, इसका भी एक जवाब होना चाहिए कि क्यों ये इतने समय से ऐसा करते आ रहे हैं। उनके पास राशन पहुँच ही नहीं पाती हैं।

[kkn; ,o vkifr e=h % अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इन्क्वारी करवायी जायेगी।

Jh 'kjn dekj % धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री अजय दत्त :

Jh vt; nRr % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, साढ़े सत्तर लाख से ज्यादा कार्ड हैं, जब मैंने इसमें जानने की कोशिश की तो पता चला कि, इसमें ऐसे बहुत बहुत से कार्डधारी हैं, जिनको कार्ड की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने कार्ड इसलिए ले रखे हैं कि उनको मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिल जायेगी। इसलिए मेरा ये सुझाव है, मुझे पता नहीं कि ये कितना फिजीबल है...अगर हम बीपीएल कार्ड से मेडिकल फैसिलीटी हटाकर जो गरीब लोग हैं, उनके लिए अलग से कार्ड बना दें तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोग कार्डस सरैण्डर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और बात लोगों से पता की कि तकरीबन 25 से 40 प्रतिशत लोग अपना राशन नहीं लेते हैं। जिससे कि ब्लेक मार्केटिंग हो रही है और दूसरा वे बीपीएल कार्ड इसलिए रख रहे हैं कि वे फ्री मेडिकल फैसिलिटी एवेल कर सकें। तो यह मेरा एक सुझाव है, देखें मंत्री महोदय, उसे कैसे लेकर आगे आयेंगे।

[kk| ,o vkifr e=h % अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अभी प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस हर दुकान पर लगाया जा रहा है। अपना राशन लेने जो तीन महीने तक नहीं आयेगा, उसका राशन कार्ड कैन्सिल कर दिया जायेगा या चैक

काराया जायेगा कि वह बाहर गया हुआ है या कहीं और गया हुआ है। अगर ऐसा पाया जायेगा कि उसे जरूरत नहीं है या इलीजिबल नहीं है, तो उसे कैन्सिल किया जायेगा।

v/;{k egkn; % राखी बिड़ला जी। यह अंतिम पूरक प्रश्न है।

lJh jk[kh fcMyk % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि बहुत ही गंदा राशन मिल रहा है। आज सुबह भी जब मैं अपने ऑफिस में थी तो बहुत सारे लोग आये थे। एकदम जो बारिश की मार से पिटा हुआ, धुला हुआ जो गेहूं है, वह जनता को वितरित किया जा रहा है। टूटा हुआ, कंकड़ पत्थरों से भरपूर चावल जनता के बीच में भेजा जा रहा है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो हमारे सैन्टर के फूड मिनिस्टर हैं, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स है, वह सारा वहीं से भेजा जाता है तो एक बार इस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि जनता को हम भले ही दो रु. किलो गेहूं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो रु. किलो की आड़ में हम उन्हें कूड़ा करकट दें, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत सारे राशन कार्ड ऐसे हैं जो विभाग में बन तो चुके हैं, लेकिन अभी तक वितरित नहीं हो पाए। तो माननीय मंत्री जी कृपया इस पर ध्यान दें। स्टॉफ की भी बहुत कमी है, तो स्टॉफ की कमी की तरफ भी अवश्य थोड़ा ध्यान दें, धन्यवाद।

[kk| ,oa vkifrZ e=h % अध्यक्ष महोदय, जो चावल और गेहूं की बात माननीय सदस्या बात रही हैं, तो इसके लिए हमने केन्द्र सरकार को लिखकर भेज दिया है और हमने उनसे कहा है कि हमें अच्छा राशन चाहिए। लेकिन

अभी तक इसका वहां से जवाब नहीं आया है। और अगर ऐसा होता है तो उस पर विभाग कार्रवाई करेगा। और जो आपका दूसरा सवाल था कि राशन कार्ड अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वे लगभग 72 हजार है, वे इसलिए नहीं पहुँचे कि हमारी संख्या पूरी हो गयी है। तो अब जो ये हम अभी कटवा रहे हैं, जो गलत राशन कार्ड मिले हैं, कि हैं ही नहीं लगभग 25 हजार हैं। ये संख्या पूरी हो जायेगी तो जल्द से जल्द सब के राशन कार्ड पहुँचा दिये जायेंगे।

v/;{k egkn; % बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री सरिता सिंह एवं श्री आदर्श शास्त्री जी उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न सं. 29 अलका लाम्बा जी।

lJh vydk ykEck % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 29 प्रस्तुत है :

क्या [kk| एवं vkifr; e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लोगों को दालें व अन्य खाद्य वस्तुओं की उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या दिल्ली सरकार ने इन वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण दें,

(घ) क्या सरकार के पास खाद्य वस्तुओं का भण्डारण करने में इस्तेमाल होने वाले गोदामों एवं स्टॉकिस्टस की सूचना उपलब्ध है;

(ङ) क्या सरकार जमाखोरी रोकने हेतु जमाखोरों की गतिविधियां को नियंत्रित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(च) क्या सरकार 'सफल' की तरह बिक्री केन्द्र खोलकर दिल्ली के लोगों को उचित दर पर खाद्य उत्पादों को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे वर्तमान में चल रहे एवं प्रस्तावित बिक्री केन्द्रों का विवरण क्या है?

[kk| ,o vkifr! e=h ¼ अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न सं. 29 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) वर्तमान में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। परन्तु सरकार आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए वचनबद्ध है तथा समय–समय पर खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता की समीक्षा करती है।

(ख) जी हाँ।

(ग) दुकानों एवं गोदामों की जांच समय–समय पर की जाती है। जांच के क्रम में ही विभागीय टीम ने तकरीबन 34000 क्विंटल दाल अधिग्रहीत की। जमा खोरी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 व संबंधित कण्ट्रोल आदेशों के आधीन कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 2 जमाखोरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी है। तत्पश्चात संबंधित समाहर्ता/जिला दण्डाधिकारी (उत्तरी) द्वारा अग्रिम कार्रवाई की गयी।

(घ) ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिएशन से विभाग को दालों के भण्डारण संबंधी सूचना अब देने के लिए कहा गया है जो कि पाक्षिक अंतराल पर प्राप्त हो रही है। जिनसे सूचना प्राप्त हो रही है। उनको यह सूचना देने के लिए कहा गया है।

(ङ) खाद्य एवं संभरण विभाग द्वारा जमाखोरी रोकने हेतु समय–समय पर जांच टीम बनाकर आवश्यक वस्तुओं के गोदामों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच करायी जाती है। दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गम नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(च) उपरोक्त (क) के अनुसार

(छ) लागू नहीं।

v/;{k egkn; % अलका लाम्बा जी

lJh vydk ykEck % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

v/;{k egkn; % श्री सुरेन्द्र कुमार।

Jh lqjUnj dqekj % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जैसा मंत्री जी ने बायोमैट्रिक की बात की, तो यह प्रोजेक्ट मेरे विधान सभा क्षेत्र से चालू किया गया है और कुल मिलाकर जो वहां फिंगर प्रिन्ट होते हैं, वह कई बार मिल नहीं पाते हैं और बहुत सारे जो कार्ड होलडर्स हैं, उनको राशन नहीं दिया जाता। क्योंकि मैंने पीछे चैक करवाया था तो कई दुकानें ऐसी पायी गयी थी जिन्होंने एक किलोग्राम राशन भी नहीं बांटा था। उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। कई दुकानदारों ने, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, भय की वजह से दुकानें छोड़ दी। उनकी जगह पर अभी तक किसी को दुकान का एलाटमैन्ट या कोई इस आशय का विज्ञापन नहीं निकाला गया है। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र की पूरी सरकारी कालोनी है। पहले वहां पर वाहनों से राशन दिया जाता था। पिछले कुछ समय से वे

गाडियां बंद हैं। जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि 20–25 किलोमीटर जाना पड़ता है।

v/;{k egkn; % प्रश्न कीजिए।

Jh lqjUnz dqekj % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही है कि जो गाड़ियां थी, वह बंद कर दी गयी हैं। जिन क्षेत्रों में गाड़ियों से राशन दिया जाता था, नेता जी नगर, मोती बाग और चाण्क्य पुरी का जो इलाका है, वहां पर गाड़ियां बंद हैं। उन लोगों को 15 किलोमीटर दूर महराम नगर गांव जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद जब अंगूठा लगाते हैं तो फिंगर प्रिन्ट मिलता नहीं है या किसी कारण से या दुकानदार खुद बदमाशी करता है। तो उस बन्दे को राशन नहीं मिलता है। तो बार बार इससे परेशानी लोगों को हो रही है तो यह क्या चीज है, कैसे इसे संज्ञान में लाया जायेगा, दुकानदारों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जायेगा?

[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h % अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि बहुत दूर दूर दुकानें हैं, इसलिए लोग नहीं जा पाते हैं, इसके लिए मोबाइल वैन से राशन ...जो एक किलोमीटर से ज्यादा दूर कार्डधारक रहते हैं, उनके लिए मोबाइल वैन का प्रोविजन रखा जा रहा है। जिसका तीन महीने के लिए लाइसेन्स दिया जायेगा। तो वह जल्द से जल्द आपके यहां हम करा देंगे।

v/;{k egkn; % प्रश्न 26 गलती से छूट गया था। इसे अब ले रहे हैं। श्री पवन कुमार शर्मा जी।

Jh iou dqekj 'kekZ % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 26 प्रस्तुत है :

क्या [kk| एवं vkifr] e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उचित दर दुकानदार द्वारा कार्डधारियों का शोषण किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उपभोक्ताओं से इन दुकानदारों के खिलाफ केवल एक निश्चित समयावधि के दौरान ही राशन बांटने की शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के लिए विभाग द्वारा उचित दर दुकानदारों के खिलाफ क्या कारवाई की जा रही है;

(घ) क्या राशन कार्डधारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस आशय का एक सूचना पट्ट प्रत्येक उचित दर दुकान के बाहर लगवाने की सरकार की कोई योजना है, और

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,oa vkifr] e=h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 26 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) एवं (ख) सामान्यत : उचित दर दुकानदारों के विरुद्ध विभाग में निम्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं :

1. समय पर दुकान न खोलना,

2. कम राशन देना,

3. सूचना पट्ट पर सूचना न दर्शाना,

4. कार्डधारी का रसीद न देना,

5. मूल्य अधिक लेना,

6. सामग्री पंजी को पूरा न करना,

7. दुकान बंद पाया जाना,

8. कार्डधारी के साथ दुर्व्यवहार,

9. दुकान पर राशन की मात्रा राशन स्टॉक रजिस्टर से भिन्न पाया जाना, आदि।

(ग) शिकायत पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है;

(घ) जी हाँ। सभी उचित दर दुकानों के बाहर दुकान खुलने/बंद होने का समय आन्त्योदय अन्न योजना कार्ड तथा पीआरएस कार्डों की सूची दर्शाना, महीने में प्राप्त राशन की कुल मात्रा दर्शाना, प्रति कार्ड राशन की मात्रा/मूल्य का बोर्ड तथा साप्ताहिक अवकाश का बोर्ड लगाना आवश्यक है। प्रत्येक उचित दर दुकान के बाहर संबंधित अधिकारियों, परिपालन शाखा, तथा ग्राहक सेवा केंद्र के दूरभाष नम्बर भी दर्शाये जाते हैं।

v/;{k egkn;% गिरीश सोनी जी।

Jh fxjh'k lkuh % अध्यक्ष जी, मैं राशन की व्यवस्था के बारे में एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह समस्या बहुत ज्यादा है कम तौलने की/ राशन वाले को लगता है कि मुफ्त का राशन हैं, तो कम तौल कर देते हैं।

ज्यादातर मैंने समस्या देखी है तो इसके लिए क्या ऐसा प्रावधान हो सकता है कि राशन किलो के पैकेट्स में मिलने लगे और ट्रांसपेरेंट हो, राशन पॉलिथिन में मिलने लगे, जिसकी क्वालिटी भी दिखे और साथ ही वो पैकेट्स उठा कर दे। पांच किलो देना है तो पांच पैकेट्स उसको दे दें। इस तरह का कोई प्रावधान बन सकता है तो बनाने की कोशिश कीजिए।

[kk| vkifr] e=h % अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है इसके लिए विभाग से चर्चा होगी।

v/;{k egkn; % सौरभ भारद्वाज जी।

Jh lkjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष महोदय, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कई राशन की दुकानों को बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थी हो यह रहा है कि दुकाने बंद होने के बाद नई दुकानें लेने के लिए कोई दुकानदार आगे नहीं आ रहा हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि ईमानदारी से उतने खर्चें में दुकान चलाना मुश्किल है तो क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रहा है ताकि एक सस्टेनेबल मॉडल हम बना सके, जिसमें दुकानदार ईमानदारी से अपनी दुकान चला सकें।

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| vkifr] e=h % अध्यक्ष जी, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया है कि इनका जो मार्जिन मनी है, कमीशन रेट बढ़ाये जाने पर चर्चा चल रही है और जैसे ही हो जाएगा तो मार्जिन मनी बढ़ जाएगी।

v/;{k egkn; % अगला सवाल वेद प्रकाश जी। देखिये, एक क्वेश्चन पर

में दो सप्लीमेंट्री अलाउ कर रहा हूँ। आपने नोट किया होगा। सौरभ जी से पहले एक बोल चुके हैं।

v/;{k egkn; % वेद प्रकाश जी।

Jh on izdk'k % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 30 प्रस्तुत है :

क्या [kk| एवं vkifr e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधान सभा क्षेत्र के सर्कल–07 में खाद्य एवं संभरण अधिकारी के पद रिक्त हैं व अन्य कर्मचारियों की भी कमी है;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा इन पदों पर खाद्य एवं संभरण अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी;

(ग) क्या बवाना विधान सभा की जनसंख्या व क्षेत्रफल को देखते हुए सरकार का इस क्षेत्र में एक और खाद्य एवं संभरण कार्यालय खोलने का प्रस्ताव; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बारें में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| vkifr e=h % अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी हाँ

(ख) सेवा विभाग को इस आशय से निवेदन किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त उत्तर ग के अनुसार।

v/;{k egkn; % एनी सप्लीमेंट्री? फतेह सिंह जी, आपका बाकी रह रहा है। पुष्कर जी, आपका 31 नंबर क्वेश्चन है ही। आप सप्लीमेंट्री में क्या जायेंगे? उसी में अपनी बात रख लीजिएगा।

Jh inat i"dj % जो प्रश्न पूछा गया था, उसका पूरक प्रश्न होगा।

v/;{k egkn; % हाँ, हो जाएगा सप्लीमेंट्री में।

Jh inat i"dj % मेरा प्रश्न अलग है, वो प्रश्न पूछा गया था, उसका पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्य को है या नहीं है?

v/;{k egkn; % अच्छा पूछिये आप।

Jh inat i"dj % पूरक प्रश्न पूछूँ मैं?

v/;{k egkn; % आप सप्लीमेंट्री क्या पूछना चाह रहे हैं?

Jh inat i"dj % सर, जो होगा, मैं बताऊँगा।

v/;{k egkn; % हाँ, पूछिये।

Jh inat i"dj % अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक, प्रश्न यह है मंत्री महोदय से, स्पीकर महोदय के माध्यम से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार, कदाचार के सदस्य महोदय ने प्रश्न उठाये, मैं जानना यह चाहता हूँ कि गत नौ महीनों में इस संबंध में कितनी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं, उस पर कितनी कार्रवाई हुई, केवल यह संख्या में जानना चाह रहा हूँ।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, किसी प्रश्न से संबंधित यह प्रश्न हुआ नहीं।

किसी भी प्रश्न से संबंधित नहीं हुआ। अब तक जितने भी खाद्य मंत्री जी से प्रश्न पूछे गये है...(व्यवधान)

Jh idt i"dj % माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि शिकायत पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

v/;{k egkn; % कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं?

Jh idt i"dj % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 26 ग के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि शिकायत पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। पूरक प्रश्न इसमें यह है कि गत नौ माह में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के लिए किस संख्या में शिकायतें मिली और कितनों में उसका निराकरण हुआ।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, आप 26 प्रश्न पर चले गये। हमारा तीसवां प्रश्न यह खत्म हुआ है।

Jh idt i"dj % अध्यक्ष महोदय 30वें प्रश्न से पहले 26वां चल रहा था तब मैंने पूरक प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाया था।

v/;{k egkn; % अब आप प्रश्न संख्या 31 पूछिये। पुष्कर जी।

Jh idt i"dj % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 31 प्रस्तुत है :

क्या **[kk|** एवं **vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत

इंस्पेक्टर के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में इनमें से कितने पदों पर इंस्पेक्टर कार्यरत हैं;

(ख) शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा पिछले सात महीने में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन रिक्त पदों का कब तक भरा जएगा;

(घ) खाद्य एवं आपर्ति विभाग, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में लिपिक के कितने पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में इनमें से कितने पदों पर लिपिक कार्यरत हैं;

(ङ) शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा पिछले सात महीने में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा;

(छ) क्या यह सत्य है कि ऐसे कर्मचारियों की कमी के कारण नए कार्ड बनाने एवं कार्डों में संशोधन करने में तय सीमा से कई गुणा अधिक समय लग रहा है;

(ज) यदि हां, तो क्यों उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए लिपिकों की भर्ती होने तक की अवधि के लिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

Jh vke idk'k 'kekZ % अध्यक्ष महोदय, मामला 26 पर अटक रहा है।

v/;{k egkn; % 26 पर मामला नहीं अटक रहा। 26 पास ऑन हो चुका। आप 31 कीजिए।

Jh ikd t i"dj % अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या 26 पर पूरक प्रश्न करने की अनुमति दी।

v/;{k egkn; % 26 के बाद 27 निकल गया, 28 निकल गया, 29 निकल गया, 30 निकल गया। मैंने तीसवें पर अनुमति दी थी। ओम प्रकाश जी, नियम के अनुसार चलिये। आप 31 नंबर का उत्तर दीजिए खाद्य मंत्री जी।

Jh ikd t i"dj % अध्यक्ष महोदय, सदन का अमूल्य समय खराब नहीं होता इतनी देर में मंत्री महोदय उत्तर दे देते उसका ....(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप उत्तर देने दीजिए। मुझे नियम से चलाना पड़ेगा गैर नियम से नहीं।

Jh ikd t i"dj % अध्यक्ष महोदय, आपने 26 छूट गया था, उसको बाद में किया।

v/;{k egkn; % कोई 21वें का पूछने लगे तो ऐसे थोड़े ही आएगा। खाद्य मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

Jh ikd t i"dj % अध्यक्ष महोदय, 26 छूट गया था, वो भी आप दोबारा लाये, वो भी नियम विरुद्ध था, नियम विरुद्ध क्या है हम यहां नियमों की पूर्ति करने के लिए थोड़े ही बैठे हैं।

v/;{k egkn; % मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

[kk| vkiifr e=h % अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 31 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) स्वीकृत पद 273 भरे हुए पद 126

विभाग द्वारा रोजमर्रा के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों पर मौजूदा स्टाफ को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

(ख) एवं (ग) इंस्पेक्टरों की नियुक्ति सेवा विभाग के द्वारा की जाती है।

(घ) स्वीकृत पद 283 भरे हुए पद 67 (लिपिक) + 179* (DEO)

* लिपिक पदों की रिक्तियों पर 179 डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) की सेवाएं ली जा रही हैं।

(ङ) एवं (च) लिपिक पद की नियुक्ति सेवा विभाग द्वारा की जाती है।

(छ), (ज) एवं (झ) लिपिकों के रिक्त पदों के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर ही गई है।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी।

Jh idt i"dj % स्पीकर महोदय, मेरा एक तो अनुरोध यह है कि उत्तर अधूरे मिले हैं और पूरक प्रश्न से पहले 31वें प्रश्न का ग, च और छ इसका उत्तर आया ही नहीं है। अगर आपकी अनुमति हो तो पूरक प्रश्न से पहले वो मैं पढ़कर सुना दूं।

v/;{k egkn; % इनके पास है। ग का उत्तर दे दीजिए।

Jh idt i"dj % मंत्री महोदय, ग, च और छ का उत्तर दे दें।

v/;{k egkn; % ग इन रिक्त पदों का कब तक भरा जाएगा? दोनों में यही है, इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा?

[kk| vkifrt e=h % अध्यक्ष जी, सेवा विभाग द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, वो हमने भेज दिया है। जल्द से जल्द इनको भरेंगे।

Jh idt i"dj % मंत्री महोदय, क्या कोई समय–सीमा तय की जा सकती है? क्योंकि ये जो सारी समस्याएं इस संदर्भ में आई हैं, भ्रष्टाचार के सवाल आये हैं, कार्ड समय पर न बनने के सवाल आये हैं, उसके पीछे कारण क्या हैं, वो बतायें।

[kk| vkifrt e=h % अध्यक्ष जी, कार्ड समय पर न बनने के जो सवाल आये हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए कि केन्द्र सरकार ने 72 लाख 77,995 की लिमिट दे रखी है, वो लिमिट पूरी हो चुकी है और जो इसमें अवैध राशन कार्ड बने हुए हैं, वो कम हो रहे हैं, उन्हें कटवा कर नए बनाये जायेंगे। केन्द्र सरकार को भी लैटर भेज दिया गया है। जैसे ही वहां से कुछ संख्या बढ़ाई जायेगी तो नए बनेंगे।

Jh idt i"dj % क्या मंत्रालय द्वारा कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है कि इस समय तक हमें अपने स्टाफ की पूर्ति चाहिये। सेवा विभाग को जो अनुदेश दिया गया है, जो निवेदन किया गया है किस समय तक मंत्रालय चाहता है कि स्टाफ पूरा हो जाये?

[kk| vkifrt e=h % अध्यक्ष जी, जल्द से जल्द पूरा होगा। मंत्राालय चाहता है बहुत जल्द पूरा होना चाहिए। जल्द से जल्द पूरा हो।

Jh idt i"dj % क्या अगले सत्र तक पूरा हो जाएगा?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, ऐसा नहीं होता है। सदन में ऐसे, मेरी बात सुन लीजिए। सभी माननीय सदस्य बैठिये। एक सैकेंड बैठिये।

[kk| vkifr e=h % अध्यक्ष जी, आप मेरे पास आओ, आपके साथ बैठ कर बात करते हैं। जल्द से जल्द करेंगे। जैसा आप कहोगे, जल्द से जल्द करेंगे।

Jh idt i"dj % यह कोई व्यक्तिगत बात थोड़े ही है।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, बैठिये प्लीज। आपने जो एक बात कही, किस कारण कार्ड बनने में देरी हो रही है, कर्मचारी कम हैं, कार्ड तो ऑलरेडी जितने बनाना चाहिए, बन चुके हैं। खाद्य मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

Jh idt i"dj % नाम बदलने की, नाम बढ़ाने, कटने के कई तरह के इशु हैं।

v/;{k egkn; % वो प्रक्रिया हो रही है। अभी उन्होंने कहा जल्द से जल्द ...(व्यवधान)

[kk| vkifr e=h % नाम बढ़ने की और कटने की वो तो प्रक्रिया चल रही हैं, उसमें कोई देरी नहीं हो रही है।

Jh idt i"dj % मैं विस्तार से, पूरे यहां पर आंकड़े विधान सभा के पटल पर रख दूंगा कि हर जगह देरी हो रही है और हर जगह कारण यह बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी है। मेरा अनुरोध यह है कि स्पीकर महोदय उत्तर न दे, मंत्री महोदय उत्तर दें।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, उन्होंने आपसे व्यक्तिगत तौर पर अभी कहा है सदन के बीच में आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर उनसे मिल लें। कहीं ऐसी कमी है, तो बता दीजिए।

Jh i:dt i"dj % अभी एक प्रश्न जो अधूरा रह गया वो 'छ' है क्या यह सत्य है कि ऐसे कर्मचारियों की कमी के कारण नए कार्ड बनाने एवं कार्डों में संशोधन करने में तय सीमा से कई गुणा अधिक समय लग रहा है?

v/;{k egkn; % कार्ड बनने वाली तो बात ही खत्म हो गई।

Jh i:dt i"dj % दूसरी बात तो बची हुई है ना। संशोधन बची हुई है उसमें।

v/;{k egkn; % अभी जवाब तो दिया है इन्होंने। कार्डों में कोई अमेंडमेंट है, अभी उसी का तो उत्तर दिया उन्होंने कि कार्डों के अमेंडमेंट में कोई देरी नहीं हो रही।

Jh i:dt i"dj % अगर ऐसा मंत्री महोदय कह रहे हैं तो यह मिथ्या भाषण होगा। सदन में यह बात दर्ज हो जाये।

v/;{k egkn; % चलिये, ठीक है। पूरा हो गया। ओम प्रकाश जी, बताइये।

Jh vke i:dk'k 'kek % अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड जाली कार्ड या किसी वजह से भी जो कार्ड कैंसिल हो रहे हैं क्या इनकी पूर्ति इन्हीं विधानसभा में की जाएगी या उनको इक्टठा करके कोई और उसका तरीका होगा, कृपया बताने का कष्ट करें।

[kk| ,o vkifr e=h % हमारे पास जो आवेदन आये हुए हैं जिन लोगों

के नहीं बने तो पहले उनको वरीयता दी जाएगी, उनको पूरे किये जाएंगे। उसके बाद में जैसे–जैसे आवेदन मिलते रहेंगे वैसे–वैसे बनते रहेंगे।

Jh vke i:dk'k 'kek % मेरा केवल एक सुझाव यह है अगर जिन विधानसभाओं में पूर्ति है पहले अगर उसी को वरीयता पर पूरा करें तो आपकी कृपा होगी। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % प्रश्न संख्या 32 श्री ओमप्रकाश शर्मा जी।

Jh vke i:dk'k 'kek % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 32 प्रस्तुत है :

क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञापन नीति को लेकर कुछ दिशा–निर्देश दिये हैं;

(ख) यही हाँ, तो क्या इन निर्देशों के अनुपालन हेतु सरकार द्वारा संबंधित विभागों के मार्गदर्शन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार इस नीति पर पुनर्विचार के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध कर रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है;

(च) दिल्ली सरकार द्वारा गठित 'शब्दार्थ' नाम विज्ञापन एजेंसी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या यह सत्य है कि सरकार के सभी विज्ञापन इसी एजेन्सी द्वारा जारी किये जाते हैं;

(ज) दिल्ली सरकार के पेनल पर कौन कौन सी विज्ञापन एजेंसियां स्वीकृत हैं तथा यह पेनल किस अवधि तक के लिए गठित किया गया है;

(झ) दिल्ली सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में कितने विज्ञापन सीधे शब्दार्थ व अन्य एजेंसियों के माध्यम से जारी किये गये है और इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ञ) सरकार के विज्ञापन सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

v/;{k egkn;% मंत्री जी।

mi e[;e=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) परिपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) (घ) के अनुसार लागू नहीं है।

(च) कार्यरत है।

(छ) जी नहीं।

(ज) भारत सरकार की स्वीकृत विज्ञापन एजेंसियों की सूची में ये दिल्ली सरकार ने वर्ष 2013 में विभिन्नि प्रकार के प्रचार कार्यों के लिए पैनल गठित किया जिसकी सूची परिपत्र 'ब' पर उपलब्ध है और इसकी अविध 31.03.2016 तक है।

(झ) (i) चालू वित्त वर्ष में शब्दार्थ द्वारा 504 विज्ञापन तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से 958 विज्ञापन (प्रिंट–936, टीवीसी–5, रेडियोजिंगल–8 और आउटडोर–9) जारी किए गये हैं।

(ii) इन विज्ञापनों पर अभी तक कुल रुपए 15,35,44,747/– व्यय हुआ है और बकाया खर्च के भुगतान की प्रक्रिया चल रही हैं।

(ञ) सरकार के विज्ञापन सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, डिजाइनों को विभाग द्वारा यथायोग्य ब्रीफिंग के बाद बनवाया जाता है।

ANNEXURE-A

MOST IMMEDIATE
SUREME COURT MATTER

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
BLOCK NO. IX, OLD SECTT., DELHI-110054

NO. 16(22)/DIP/Advt/2015-16/872 Dated : 32/6/15

To,

All HODs,

Government of NCT of Delhi

Sub : Hon'ble Supreme Court Judgement dated 13.5.2015 in the Matter of Guidelines for Government funded advertisements in the matter of WPC No. 13 of 2003 and 194 of 2004 by Common Cause and Centre for Public Interest Litigation

Sir,

In the matter of WPC No. 13 of 2003 and 194 of 2004 by Common Cause and Centre for Public Interest Litigation, the Hon'ble Supreme Court had appointed a three member committee to suggest Guidelines for

Government funded advertisements. Hon'ble Supreme Court has delivered its judgement on the above matter on 13.5.2015. Full text of the judgment is available and same may be visited in the website of Hon'ble Supreme Court of India.

Hon'ble Supreme Court has observed that ONLY the photograph of the President, Prime Minister and Chief Justice of the country should be displayed in Government advertisements. The Hon'ble Supreme Court has, inter-alia, also directed that "Adverstisement issued to commemorate the anniversaries of acknowledge personalities like the father of the nation would of course carry the photograph of the departed leader".

The judgement is binding on the Union of India, State Governments and Union Territory Administrations and its agencies. This implies that the judgement is applicable to all local bodies, public sector undertakings and other autonomous bodies/organization established under a Statue. These Guidelines are applicable to all Governments advertisements other than classifieds and in all mediums of communications, such as print, electronic, outdoor and digital, including internet advertising.

It is necessary to take note of all aspects of the judgement of Hon'ble Supreme Court for compliance in letter and spirit. It is therefore advisable to download the full text of the judgement for necessary compliance.

Additional Director (I &P)

Copy to :

1. Secretary to Lt. Governor of Delhi Sh. Ved
2. Secretary to Chief Minister, Delhi Sh. Shyam Veer
3. Secretary to Deputy Chief Minister, Delhi Sh. Shyam Veer
4. Secretary to all Cabinet of Ministers, Delhi Sh. Shyam Veer
5. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi Sh. Ved
6. Deputy Director (Press)/Advt/Fiel Publicity; DIP

ANNEXURE-B

List of Empanelled Agencies (Group-A) for Creative PRINT MEDIA

Sl.No.	Agency	Address
1	Adsyndicate Services Pvt. Ltd	Atma Ram House, 7th floor, Tolstoy Marg, New Delhi-01
2	Alaknanda Advertising Pvt. Ltd.	69 DSIDC Shed, Scheme-I, Okhla Phase-II, New Delhi-20
3	Associated Advertising Pvt. Ltd.	501, Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi-19
4	Astral Advertising & Marketing India	916 A Narang House, 9th Floor, 21 , K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi-110001
5	Concept Communications Ltd.	Plot No. 264, 3rd Floor, Okhla Indl Estate, Phase-III, New Delhi-110020
6	Crayons Advertising Limited	NSIC Complex, Maa Anandmayee Marg, Okhla Industrial Estate, Phase-3 New Delhi-20
7	Dentsu Communications Pvt. Ltd.	No.5 10th floor, Tower-A, DLF cyber city, Gurgaon, Haryana-122002
8	Disha Communication Pvt. Ltd.	Nehru House, 4th floor, 4, Bahadurshah zafar Marg, New Delhi-02
9	Enthrall Communication Pvt. Ltd.	Antriksh Bhawan, No. 515, 5th Floor, No. 22, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi-110001

Sl.No.	Agency	Address
10	Garuda Advertising Pvt. Ltd.	D-25/C1 South Extension-II New Delhi-110049
11	Goldmine Advertising Ltd.	Milap Niketan, 8-A, Lower Bsement, BSZ Marg, New Delhi-110002
12	Graphisads Pvt. Ltd.	B-18/1 Okhala Phase-II, New Delhi-110020
13	Inter Publicity (P) Ltd.	8-D Atma Ram House,1 Tolstoy Marg, New Delhi-110001
14	Mode Advertising & Marketing Pvt. Ltd.	3, Feroz Gandhi Road, Lajpat Nagar-III New Delhi-110024
15	Pehachan Advertising & Mktg Pvt. Ltd.	307-08, EMCa, 2nd Floor Chambers, 51, Darya Ganj, New Delhi-02
16	Percept Advertising	2 Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-65
17	Prahatam Advertising (P) Ltd.	38, Rani Jhansi Road Pvt. Ltd., Jhandewalan, New Delhi-55
18	Pressman Advertising	DCM Building, 10th floor, 16, Bara Khamba Road, New Delhi
19	Sharad Advertising Pvt. Ltd.	184, Parparganj Industrial Area, Delhi-92
20	Span Communications	B-174, East of Kailash, New Delhi-65

Sl.No.	Agency	Address
21	Square Communications Pvt. Ltd.	A-216, Ansal Chamber-I, 3, Bhikaji Cama Place, New Delhi-66
22	Triton Communications Pvt. Ltd.	5/42, 2nd floor, Kanishka Complex, K-Block, Kalkaji, New Delhi-110019

List of Empanelled Agencies (Group-B) for creative PRINT MEDIA

S.No.	Name of Agency	Address
1	Adwit (India) Pvt. Ltd.	8A, 3rd Floor, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-1
2	Akar Advertising & Marketing Pvt. Ltd.	A-269, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi-24
3	Censer Advertising Pvt. Ltd.	4-E/7, Jhandanwalan, New Delhi-55
4	Centum Advertising & Marketing Pvt. Ltd.	407-408, Padma Tower-II, 22, Rajendra Place, New Delhi-25
5	Chiranjan Advertising	E-170, Lover Ground Floor, East of Kailash, New Delhi-65
6	Continental Advertising Pvt. Ltd.	605 & 608, Gagan Deep Building, 12 Rajender Place, New Delhi-08
7	Critique Communication Ltd.	53, Ground Floor, Jangpura, Bhogal, New Delhi-14

S.No.	Name of Agency	Address
8	Degree 3600 Solutions Pvt. Ltd.	114, 1st Floor, Pratap Bhawan, 5, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
9	Devraha Communications Ltd.	201, Devraha House, (Caxton House) 2E, Rani Jhansi Road, New Delhi-55
10	Falcon Advertisers	206 A, Caxton House, 2E, Jhandewalan Extension, New Delhi-55
11	Flame Advertising Company Pvt. Ltd.	Block No-5, 5724 (2nd Floor), D.B Gaupta Road, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi-05
12	Infinity Advertising Services Pvt. Ltd.	D-4/2, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi-20
13	Interads Advertising Pvt. Ltd.	4/24A, Asaf Ali Road, New Delhi-02
14	Mercantile Advertising	A-22, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-24
15	MG Advertising-Serkices	3-A/19, 3rd Floor, WEA, Near Radha Swami Satsung, Sat Nagar, New Delhi-05
16	Moulis Advertising Service Pvt. Ltd.	M-54, 3rd Floor, GK-II (M-Block Market), New Delhi-48
17	National Advertising Agency	212, 412 & 520 Sanchi Building, 77, Nehru Place, New Delhi-19

S.No.	Name of Agency	Address
18	Newfields Advertising Pvt. Ltd.	3/4-A, Asaf Ali Road, New Delhi-02
19	Nidhie Ads Consultancy Service	F-252 F, 1st Floor, ISKON Temple Road, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi
20	Nirman Advertising Pvt. Ltd.	1, Link Road (LGF), Jangpura Extension, New Delhi-14
21	Pamm Advertising & Marketing	302, 304, Sethi Bhawan, 7, Rajendra Place, New Delhi-08
22	Paromita Advertising Agency Pvt. Ltd.	A-433, Ground Floor, A-Block, Kalkaji, New Delhi-19
23	Perfect 10 Advertising	90/28A, Malviya Nagar, New Delhi-17
24	Promodome Communication Pvt. Ltd.	205/205A, Laxmi Bhavan, 72, Nehru Place, New Delhi-19
25	Quantum Communication	201/H-1, Vikrammaditya Tower, Alaknanda Shopping Complex, New Delhi-19
26	SAMPL Communication Pvt. Ltd.	F-18-B, Laxmi Nagar, Delhi-92
27	Siddhartha Advertising	42, 2nd Floor, Krishna Market, Kalkaji, New Delhi-19
28	Surya Ad Systems Pvt. Ltd.	I-11, lover ground Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-24
29	Ventures Advertising Pvt. Ltd.	714, Shakuntala Building, 59, New Delhi-19

S.No.	Name of Agency	Address
30	VIVID India Advtg & Marketing	401 & 411, Deepshikha, 8, Rajendra Place, New Delhi-08
31	Yakshi Communications	135, 1st Floor, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place New Delhi-66

List of Empanelled Agencies for ELECTRONIC MEDIA (Radioi and Television)

S.No.	Name of Agency	Address
1	Airads Ltd.	433, FIE, Patparganj, Delhi-92
2	ANI	6G, Vandana Building, Tolstoy Marg, New Delhi
3	Aryan Advertising	8/14, Ground Floor,
4	Comfed Communication	H-1583, LGF, Chitranjan-Park, New Delhi
5	Concept Communication	Plot No. 264, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-II, New Delhi-20
6	Crayons Advertising	NSIC Complex, Maa Anandmayee Marg, Okhla Industrial Estate, Phase-3, New Delhi-20
7	Enthral Communication (P) Ltd.	515, Antriksh Bhawan 5th Floor, 22, K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi-1

S.No.	Name of Agency	Address
8	Garuda Advertising	D-25/C1 South extension-II, New Delhi-110049
9	Goldmine Advertising	Milap Niketan, 8-A, Lower, Basement Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-2
10	Grey Worldwide	Park Contra, 503-505, Sector-30 NH-8, Opp. 32nd milstone, Gurgaon, Haryana
11	Invicta Media (P) Ltd.	4/5, east Patel Nagar
12	Mode Advt. (P) Ltd.	C-40 Basement, Lajpat Nagar-II, New Delhi-24
13	Nirman Advt. (P) Ltd.	1, Link Road, Jangpura Extn., New Delhi-110049
14	Prakriti Media	8/14, Ground Floor, East Patel Nagar, Balraj Khanna Marg, New Delhi
15	Promodome	205-205A, Laxmi Bhawan, 72 Nehru Place, New Delhi
16	Sharad Advertising	184, Parparganj Industrial Area, Delhi-92
17	Smriti Films	B-120, 3rd Floor Pandav Nagar, PPG Road, Opp. Mother Dairy, N Delhi-92
18	Snapper Advt. (P) Ltd.	39, Mohammadpur, Bhikaji Kama Place, New Delhi
19	Span Communications	B-174, East of Kailash, New Delhi-65
20	Super Ads	28/149, West Patel Nagar, N. Delhi-8

List of Empanelled Agencies (Group-A)
for Creative MULTIMEDIA

S.No.	Name of Agency	Address
1	Associated Advertising Pvt. Ltd.	501, Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi-19
2	Concept communication Ltd.	Plot No. 264, 3rd Floor, Okhla Indl Estate. Phase-III, New Delhi-110020
3	Crayons Advertising Limited	NSIC Complex, Maa Anandmayee Marg, Okhla Industrial Estate, Phase-3, New Delhi-20
4	DDB Mudra Pvt. Ltd.	Platinum Tower, Ground Floor, 184 Udyog Vihar, Phase-I, Gurgaon, Haryana-122016
5	Dentsu Communications Pvt. Ltd.	No. 5, 10th Floor, Tower-A, DLF cyber city, Gurgaon, Haryana- 122002
6	Enthrall Communications Pvt. Ltd.	Antriksh Bhawan, No. 515, 5th Floor, No. 22, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi-110001
7	Garuda Advertising Pvt. Ltd.	D-25/C1 South Extension-II, New Delhi-110049
8	Goldmine Advertising Ltd.	8-A Milap Niketan, Lower Bsement, BSZ Marg, New Delhi-110002

S.No.	Name of Agency	Address
9	Mode Advertising & Marketing Pvt. Ltd.	C-40/44, Lajpat Nagar-II, New Delhi 110024
10	Percept Advertising	2 Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-65
11	Sharad Advertising Pvt. Ltd	184, Parparganj Industrial Area, Delhi-92
12	Span Communications	B-174, East of Kailash, New Delhi-65

List of Empanelled Agencies (Group-B) for Creative MULTIMEDIA

S.No.	Name of Agency	Address
1	Adknack Advertising	Bhanot Chambers, 3rd Floor, 3 LSC Aramagh, New Delhi-110055
2	Aryan Adver4tising Pvt. Ltd.	8/14, Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008
3	Brand-Curry Communication Pvt. Ltd.	24, Adchini, New Delhi-11017
4	Centum Advertising & Marketing Pvt. Ltd.	407-408, Padma Tower-II, 22, Rajendra Place, New Delhi-25
5	Falcon Advertisers	206 A, Caxton House, 2E. Jhandewalan Extension, New Delhi-55
6	Impact Advertising Pvt. Ltd.	4654 Ansari Road, 21 Daryaganj, New Delhi-02

S.No.	Name of Agency	Address
7	Interads Advertising Pvt. Ltd.	4/24A, Asaf Ali Road, New Delhi-02
8	Mercantile Advertising	A-22, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-24
9	Moulis Advertising Service Pvt. Ltd.	M-54, 3rd Floor, GK-II (M-Block Market), New Delhi-48
10	Nirman Advertising Pvt. Ltd.	1, Link Road (LGF), Jangppura Extension, New Delhi-14
11	Pamm Advertising & Marketing	302-304, Sethi Bhawan, 7, Rajendra Place, New Delhi-08
12	Primetime Communication	A-4 (Commercial), 2nd Floor, Inderpuri, New Delhi-110012
13	Promodome Communication Pvt. Ltd.	205/205A, Laxmi Bhavan, 72, Nehru Place, New Delhi-19
14	Snappers Advt. & Mktg. Pvt. Ltd.	39, 1st Floor, Mohammadpur, Bhikaji Came Place, New Delhi-110066

Jh vke idk'k 'kekZ % माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से ये जानकारी चाहता हूँ कि 29.06.15 को तारांकित प्रश्न सं.15 के माध्यम से यही सवाल जब पूछा गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित शब्दार्थ नामक विज्ञापन एजेंसी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके अनुबंध के बारे में, तब इसके बारे में जो जवाब आया था वो इसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये बताया जाए की इन दोनों में से कौन सा ठीक हैं?

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, जून में जो सवाल पूछा गया था की क्या यह सत्य है कि शब्दार्थ विज्ञापन एजेंसी को दिल्ली सरकार द्वारा अनुबंधित किया गया है। उस वक्त मैंने इसका उत्तर ये नहीं दिया था और ये अभी भी सत्य है क्योंकि 'शब्दार्थ' कोई विज्ञापन एजेंसी नहीं है और न ही 'शब्दार्थ' को किसी दिल्ली सरकार के अनुबंध द्वारा अनुबंधित किया गया है। शब्दार्थ दिल्ली सरकार के विज्ञापन विभाग द्वारा तैयार की गई एक सोसायटी है जो विज्ञापन के देने के लिए और विज्ञापन के बनवाने के लिए कुछ क्रिएटिव काम करती है। न तो वह विज्ञापन एजेंसी है और न ही उसको दिल्ली सरकार द्वारा अनुबंधित है।

Jh vke idk'k 'kek % यहां तो आप कह रहे हैं कार्यरत है। वहां कह रहे हैं कि अनुबंध नहीं दिया गया है ये बात समझ में नहीं आ रही। अब समझने के लिए तो बैठे हैं मास्टर जी से।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय मैंने जानकारी दी है कि 'शब्दार्थ' विज्ञापन एजेंसी मूलतः नहीं है वो विज्ञापन का काम करने के लिए एक संस्था गठित की गई है, सोसायट गठित की गई है।

Jh vke idk'k 'kek % एजेंसियों में फर्क है।

mi e[;e=h % जी

Jh vke idk'k 'kek % क्या?

mi e[;e=h % संस्था होगी तो कमर्शियल कंपनी होगी कोई विज्ञापन एजेंसीज होगी। प्राईवेट एजेंसी भी हो सकती है।

v/;{k egkn; % एजेंसी में देखिये ओम प्रकाश जी।

Jh vke izdk'k 'kek % नहीं–नहीं मेरा केवल निवेदन इतना है क्या इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकती है?

mi eq[;ea=h % बिल्कुल मिल सकती है जब विस्तार से इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा या अगर माननीय सदस्य चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर उनको जानकारी दी जा सकती है और अगर चाहें तो क्योंकि जितने सवाल पूछे गये थे उनकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

Jh vke izdk'k 'kek % अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के पास जब भी समय हो कृपया इसके विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दें।

v/;{k egkn; % नहीं आप लिखित में जो कुछ जानना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त वो लिखित में भेज दीजिये। लिखित में उत्तर आ जाएगा।

Jh vke izdk'k 'kek % बोल तो रहा हूँ, अभी यहां बोलने से बात नहीं बनेगी।

v/;{k egkn; % नहीं इतना पूरा उत्तर दे दिया उन्होंने।

Jh vke izdk'k 'kek % नहीं, पूरा नहीं है।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय विस्तार से जो–जो जानकारी माननीय सदस्य को चाहिए जो–जो जानकारी वो चाहते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से ये भी जानकारी काफी विस्तार में है और इससे और अधिक विस्तार में अगर उनके मन में कोई सवाल है तो निश्चित रूप से मैं उनके स्वतः उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।

Jh vke i:dk'k 'keki % धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री आदर्श शास्त्री जी, उपस्थित नहीं हैं।

v/;{k egkn; % अगला प्रश्न संख्या 34 श्री जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k i:/kku % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 34 प्रस्तुत है :

क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रियों के कार्यालयों में को—टर्मिनस स्टाफ रखा जाता है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन नियुक्तियों की संस्तुति किस सक्षम अधिकारी से ली जाती है; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार के कार्यलय में को—टर्मिनस स्टाफ को नियुक्त करने के लिए संस्तुति सक्षम अधिकारी से ली गई है; और

(घ) यदि नहीं तो क्यों?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

Jh xkiky jk; % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 34 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी हाँ।

(ख) विभागाध्यक्ष, मुख्य सचिव एवं प्रभारी मंत्री/उप राज्यपाल को क्रमशः ग्रुप सी., बी., और ए की नियुक्ति हेतु अधिकृत किया गया है।

(ग) जी हाँ।

(घ) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।

v/;{k egkn;% Supplementary, any Supplementary. प्रश्न संख्या 35 श्री वेदप्रकाश जी।

Jh onizdk'k % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 35 प्रस्तुत है :

क्या [kk| ,oa vkifrt e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधान सभा में बी.पी.एल. कार्ड धारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) बी.पी.एल. कार्ड बनवाने के लिए आज तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) जिन व्यक्तियों ने बी.पी.एल. कार्ड के लिए आवेदन किया है, उनके कार्ड कब तक बना दिये जाएंगे;

(घ) क्या दिल्ली सरकार का भविष्य में और बी.पी.एल. कार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए।

v/;{k egkn;% मंत्री जी।

[kk| ,oa vkifrt e=h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 35 का उत्तर प्रस्तुत है : (क), (ख), (ग) बवाना विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने से पूर्व कुल 13783 बीपीएल कार्डधारी थे, जिनमें से कुल 7226 कार्डधारियों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड बनवाने

हेतु आवेदन किया है जिसमें से 7099 आवेदन स्वीकृत कर दिये गये हैं। शेष 127 आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी। उक्त पुराने बीपीएल कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पी.आर.एस. कार्ड (PR-S) जारी किये जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

v/;{k egkn; % प्रश्न संख्या 36 श्री ओमप्रकाश जी।

Jh vkse izdk'k 'kekZ % माननीय उप मुख्यमंत्री जी मंत्री जी कृपया इस पर वक्तव्य देने का कष्ट करें।

v/;{k egkn; % नहीं परिवहन मंत्री से तो रिलेटेड है ही नहीं ये।

ifjogu e=h % जी, 36 नंबर।

Jh vkse izdk'k 'kekZ % जी।

v/;{k egkn; % 36 नंबर का तो आपसे रिलेटेड है ही नहीं।

Jh vkse izdk'k 'kekZ % कोई नये मंत्री बना दो।

v/;{k egkn; % नहीं–नहीं, ऐसा नहीं होता स्टार्ड क्वेश्चन कम से कम मिनिस्टर को जाता है, तो कंसर्न मिनिस्टर उसको अध्ययन करके आते है।

Jh vkse izdk'k 'kekZ % तो कौन देंगे?

v/;{k egkn; % परिवहन मंत्री जी दे रहे हैं।

ifjogu e=h % सवाल क्या है, पूछिये मैं बता देता हूँ।

Jh vke idk'k 'kekZ % प्रश्न संख्या 36 प्रस्तुत हैं :

क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करें कि :

(क) दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यालय, आवास एवं कैम्प ऑफिस में किस–किस विभाग से किस–किस पद पर और किस आधार पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, मंत्रीवार विस्तृत विवरण दें,

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिल्ली सरकार में पुनर्नियुक्ति के मामले में डी.ओ.पी.टी. के आदेशों का पालन करती है;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों;

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति में इन आदेशों की अवहेलना की गयी हैं; और

(ङ) यदि हाँ तो क्यों?

v/;{k egksn; % मंत्री जी।

ifjogu e=h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 36 का उत्तर प्रस्तुत है :
(क) कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्न 'अ' पर है।

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में, कोई भी पुनर्नियुक्ति नहीं की गई है।

(ग), (घ), (ङ) उपरोक्त 'क' और 'ख' के सदंर्भ में, प्रश्न लागू नहीं होता है।

Annexure-C

e[;e=h dk;kZy ,oa dEi vkfQl esa ekuuh; e[;e=h d lkFk dk;jr

संख्या	नाम और पद	विभाग
1	श्री राजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	स.प्र.वि.
2	श्री एस.एस. यादव, मुख्यमंत्री के सचिव	ट्रेड एवं टेक्स विभाग
3	डॉ. वसंता कुमार एन., मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव	केट्स
4	श्री सुकेश कुमार जैन, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी	सा.प्र.वि.
5	सुश्री गीतिका शर्मा, मुख्यमंत्री अतिरिक्त सचिव	सा.प्र.वि.
6	श्री विभव कुमार, मुख्यमंत्री के निजी सचिव	सा.प्र.वि.
7	सुश्री अवस्थी मुरलीधरन, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव	सा.प्र.वि.
8	श्री राकेश कुमार सिंहा, मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार	सा.प्र.वि.
9	श्री राहुल भसीन, मुख्यमंत्री के सलाहाकार पर्यटन	सा.प्र.वि.
10	श्री नागेन्द्र शर्मा, सलाहाकार मीडिया	सा.प्र.वि.
11	श्री आशीष तलवार, सलाहाकार राजनीतिक	सा.प्र.वि.
12	श्री गोपाल मोहन, सलाकार एंटी करप्शन/शिकायत	सा.प्र.वि.
13	श्री तरूण शर्मा, उप–सचिव	ट्रेड एवं टेक्स विभाग
14	श्री राजीव गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी	सा.प्र.वि.
15	श्री रोहित पांडे, निजी सहायक	सा.प्र.वि.
16	श्रीमती लक्ष्मी, मल्टी टास्किंग स्टॉफ	सा.प्र.वि.
17	श्री धनंजय सिंह, मल्टी टास्किंग स्टॉफ	सा.प्र.वि.

संख्या	नाम और पद	विभाग
18	श्री सतपाल सिंह, मल्टी टास्किंग स्टॉफ	सा.प्र.वि.
19	श्री गौरव पाल, मल्टी टास्किंग स्टॉफ	सा.प्र.वि.
20	श्री रूपलाल यादव, मल्टी टास्किंग स्टॉफ	स.प्र.वि.
21	श्री महेश कुमार, वावहन चालक	स.प्र.वि.
	mi e[;e=h d dk;kZy; vkj dEi e dk;Zjr	
1	श्री सी अरविंद, उप मुख्यमंत्री के सचिव	वेट
2	श्री नवलेंदर कुमार सिंह, उप मुख्यमंत्री के ओ एस डी	रिवेन्यू
3	श्री श्रीरंगगम साईं, उप मुख्यमंत्री के ओ एस डी	वेट
4	श्री पियूष जोशी, उप मुख्यमंत्री के ओ एस डी	वेट
5	श्री जी. के माधव, उप मुख्यमंत्री के ओ एस डी	वेट
6	श्री गोविंद सिंह, उप मुख्यमंत्री के पीपीएस	सा.प्र.वि.
7	श्री एम के कोशिक, उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव	दिल्ली ट्रांसको लि.
8	श्री संजय कुमार, उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव	सा.प्र.वि.
9	श्री अलोक श्रीवास्तव, उप मुख्यमंत्री के सचिव के निजी सचिव	ऑडिट
10	श्री अरूनोड प्रकाश, सलाहाकार मीडिया	सा.प्र.वि.
11	श्री अतिषी मार्लेन, सलाहाकार	सा.प्र.वि.
12	श्री सुशील कुमार सूद, मुख्य लिपिक	सा.प्र.वि.
13	श्री दीपक दहिया, कोर्डिनेटर	शिक्षा विभाग
14	श्री प्रेम शिला सिंह, ग्रेड–2, दास/आशुलिपिक	सिचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग

संख्या	नाम और पद	विभाग
15	श्री ओ.पी.तिवारी, यू डी सी	शिक्षा विभाग
16	श्री ईश बजाज, यू डी सी	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
17	श्री दीपक रावत, यू डी सी	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
18	श्री सुरेन्द्र, यू डी सी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
19	श्री राजेन्द्र सिंह मेहता, यू डी सी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
20	श्री सचिन कुमार, यू डी सी	वेतन एवं लेखा कार्यालय–10
21	श्री मोहन सिंह गोंसाई, एल डी सी	संजय गांधी हॉस्पिटल
22	श्री मनोज कुमार, एल डी सी	स.प्र.वि.
23	श्री विरेन्द्र, एल डी सी	पॉवर
24	श्री विजेन्द्र, एजी–2	आईपीजीसीएल
25	श्री के पी सिंह, नर्सिंग अरदली	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
26	श्री मुकेश कुमार, चपरासी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

संख्या	नाम और पद	विभाग
27	श्री अर्जुन सिंह, चपरासी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
28	श्री पंकज, चपरासी	डॉ. अम्बेडकर हॉस्पिटल
29	श्री लोहा सिंह, चपरासी	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
30	श्री राज किशोर, चपरासी	शिक्षा विभाग
31	श्री बाबू लाल, चपरासी	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
32	श्री अमर पाल, चपरासी	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
33	श्री नसीम हुसेन, ड्रेसर	स्वास्थ्य सेवाएं विभाग
34	श्री सतीश कुमार, चौकीदार	शिक्षा विभाग
35	श्री सत्यपाल सिंह, दफतरी	स.प्र.वि.
36	श्री मृत्जंय सिंह, डिस्पेच राईडर	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
37	श्री नरेन्द्र सिंह, जरनल मेट	आईपीजीसीएल
38	श्री किशन लाल, डिस्पेच राईडर	हिन्दी अकेडमी
39	श्री महेश कुमार, चालक	सा.प्र.वि.

संख्या	नाम और पद	विभाग
40	श्री राजकुमार, चालक	शिक्षा विभाग
41	श्री राम कुमार, चालक	दिल्ली जल बोर्ड
	mi e[;e=h d dk;y; e dk;jr	
1	श्री भारत भूषण भसीन, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता	तीस हजारी कोर्ट
2	श्री विनीत कुमार, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता	तीस हजारी कोर्ट
3	श्री ज्ञान प्रकाश राय, सहायक सरकारी अधिवक्ता	तीस हजारी कोर्ट
	ifjogu e=h d dk;ky; e dk;jr	
1	श्री संजय कुमार, ग्रेड–2, आशुलिपिक	एग्रीकल्चर मार्केटिंग
2	श्री जे.पी. जोशी, ग्रेड–2, आशुलिपिक	हायर एजूकेशन
3	श्री ए.पी.एस. रावत, ग्रेड–2 आशुलिपिक	स.प्र.वि.
4	श्री विक्रम पांडे, ग्रेड–3, आशुलिपिक	सा.प्र.वि.
5	श्री विनोद कुमार, ग्रेड–4, एल डी सी	स.प्र.वि.
6	श्री सरविंदर सिंह रावत, ग्रेड–4 एल डी सी	स.प्र.वि.
7	श्री देवेन्द्र कुमार सहरावत, ग्रेड–4 एल डी सी	स.प्र.वि.
8	श्री ब्रिज मोहन रामानी, ग्रेड–3, यू डी सी.	संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल
9	श्री राजन कुमार, ग्रेड–3 यू. डी. सी.	शिक्षा विभाग

संख्या	नाम और पद	विभाग
10	श्री सुदर्शन कुमार, ग्रेड–3, यू. डी. सी.	वन सरंक्षक विभाग
11	श्री अनिल कुमार, ग्रेड–3, यू. डी. सी.	परिवहन विभाग

lekt dY;k.k] efgyk vkj cky fodkl vkj dY;k.k
e=h d dk;ky; e dk;jr

1	श्री एस के सिकंदर, मंत्री के ओ एस डी	दिल्ली विधान सभा
2	श्री दया शंकर, वरिष्ठ निजी सचिव	डीआईपीएस एआर
3	श्री रमेश चंद, विरष्ठ निजी सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग
4	श्री अशोक कुमार, आशुलिपिक ग्रेड–2	एग्रीकलचर मार्केटिंग
5	श्री टी आर खत्री, आशुलिपिक, ग्रेड–2	सामान्य प्रशासन विभाग
6	श्रीमती सेलजा चिटी, आशुलिपिक, ग्रेड–2	सी ई ओ
7	श्री भावनेश तनेजा, ग्रेड–2 दास	सामान्य प्रशासन विभाग
8	श्री डी एस रावत, ग्रेड–2 दास	स्वास्थ्य परिवार कल्याण
9	श्री देवेन्द्र सिंह, यू डी सी	डीएसएसएसबी
10	श्री महेश कुमार शर्मा, यू डी सी	परिवहन
11	श्री मनोज पोसवाल, एल डी सी	सामान्य प्रशासन विभाग

LokLF; e=h d: dk;kZy; e: dk;jr

संख्या	नाम और पद	विभाग
1	श्री संजय कुमार, आशुलिपिक	होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा
2	श्री सुनील सिंघल, आशुलिपिक	भूमि एवं भवन विभाग
3	श्री विवेक कोहली, मुख्य लिपिक	शिक्षा विभाग
4	श्री राज कुमार निर्वाण, वरिष्ठ लिपिक	विकास विभाग
5	श्री भारत, चपरासी, बह्यस्त्रोत	सामान्य प्रशासन विभाग
6	श्री आशीष कुमार, चपरासी बह्यस्त्रोत	सामान्य प्रशासन विभाग
7	श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लिपिक	चुनाव कार्यालय

ekuuh; e=h d: lkFk dk;jr vf/kdkfj;k@deZpkfj;k dh lwph %

क्र. सं.	कर्मचारी/ अधिकारी	पद	कार्यालय/आवास/ कैम्प ऑफिस	विभाग
1	श्री जी.पी. सिंह	माननीय मंत्री जी के सचिव	कार्यालय	जी.एस.डी.एल.
2	श्री एन.एस. भौरिया	प्रधान निजी सचिव	कार्यालय	सामान्य प्रशासन विभाग
3	श्री पंकज भटनागर	विशेष कार्यकारी अधिकारी	कार्यालय	व्यापार एवं कर विभाग
4	श्री राज कुमार सैनी	विशेष कार्यकारी अधिकारी	कार्यालय	उद्योग विभाग

क्र. सं.	कर्मचारी / अधिकारी	पद	कार्यालय / आवास / कैम्प ऑफिस	विभाग
5	श्री रोशन शंकर	पर्यटन मंत्री के सलाहकार	कार्यालय	पर्यटन विभाग / को–टर्मिनस
6	श्री अरूण तिवारी	अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड के सचिव	कार्यालय	दिल्ली जल बोर्ड / को–टर्मिनस
7	श्री अंकित श्रीवास्तव	अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड के अति. निजी सचिव,	कार्यालय	दिल्ली जल बोर्ड / को–टर्मिनस
8	श्री सौरभ गोयल	एम.टी.एस.	कार्यालय	सा.प्रशा. विभाग / को–टर्मिनस
9	श्री विनोद कुमार	चालक	कार्यालय	सा.प्रशा.विभाग

ekuuh; [kk| ,o vkifr] i;koj.k ,o ou] pquko e=h] fnYyh ljdkj

depkfj;ks dh lwph

क्र. सं.	कर्मचारी / अधिकारी सर्वश्री / सुश्री	पद	कार्यालय / आवास / कैम्प ऑफिस	नियुक्ति का आधार
1	श्री दीपक विरमानी	माननीय मंत्री जी के सचिव	कार्यालय	सेवाएं विभाग के आदेशानुसार
2	श्री आर के पहूजा	विशेष कार्यकारी अधिकारी	कार्यालय	सेवाएं विभाग के आदेशानुसार
3	श्री ललित जैन	विशेष कार्यकारी अधिकारी	कार्यालय	सेवाएं विभाग के आदेशानुसार
4	श्री अनूप सरदाना	माननीय मंत्री जी के निजी सहायक	कार्यालय	सेवाएं विभाग के आदेशानुसार

क्र. सं.	कर्मचारी/अधिकारी सर्वश्री/सुश्री	पद	कार्यालय/आवास/ कैम्प ऑफिस	नियुक्ति का आधार
5	श्री सुरेन्द्र जगलान	माननीय मंत्री जी के निजी सहायक	कार्यालय	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार
6	श्री कुलदीप सिंह	चलक	कार्यालय	सेवाएं विभाग के आदेशानुसार
7	श्री नरेन्द्र सिंह	चलक	कार्यालय	सेवाएं विभाग के आदेशानुसार

rkjkfdr i'uk d fyf[kr mRrj

24- Jh vt'k ;kno % क्या [kk| ,o vkifr मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या राशन कार्ड आबंटन प्रक्रिया में डाक विभाग के अलावा किसी अन्य एजेंसी से राशन कार्ड बटवाने का प्रावधान है;

(ख) राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक सिस्टम/रियल टाईम मैनेजमेंट सिस्टम कब तक आरम्भ किया जायेगा तथा कब तक इसे पूर्ण करने की योजना है;

(ग) क्या दिल्ली की गरीब जनता को कुछ घर की आवश्यक जरूरतों की चीजें जैसे : नमक, दाल, तेल इत्यादि इन राशन दुकानों पर उपलब्ध कराने की योजना है;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के राशन विभाग द्वारा जारी उचित दर राशन की दुकान का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम पर जारी हुआ है, उस

व्यक्ति के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति या फर्म उस दुकान को चला सकती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो बादली विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार से चल रही दुकानों का ब्यौरा क्या है?

[kk| ,o vkifr e=h % (क) जी नहीं।

(ख) राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक सिस्टम लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है। इसके लिये ई–टेण्डर की प्रक्रिया जारी है तथा परियोजना को मई 2016 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) विभाग द्वारा उचित दर दुकानदारों को पी.डी.एस. आइट्म के साथ–साथ 8 प्रतिबंधित सामग्री को छोड़कर नान–पीडीएस सामग्री को भी बेचने की अनुमति दी गयी है। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त घ के अनुसार लागू नहीं।

List of banned non-PDS items which cannot be sold through Fair Price Shops

Fair Price Shop owners are allowed to sell all non PDS items through FPS outlets to improve the viability of Fair price Shops except following items :

1. Wheat flour and Wheat Maida.
2. Rice flour and Sujji.
3. All explosive item which require license for sale/stock.

4. Drugs, Alcohol and Alcoholic substances.

5. Poisonous substances such as insecticides, pesticides, rodent killer, fungicides.

6. Items which make the SFAs unfit for consumption either by Odour or by physical mixing.

7. Eatable items which require preparation on the spot such as Halwai shops, dhaba and tea stall etc.

8. Meat and meat products, with certain conditions.

27- lJh lfjrk flg % क्या [kk| ,o vkifr e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहताश नगर विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड बनने बंद हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्यों;

(ग) राशन कार्ड कब तक पुनः बनाने शुरु किये जायेंगे;

(घ) क्या यह सत्य है कि उपभोक्ताओं का बिजली के लोड की सीमा 3 किलोवाट से ज्यादा होने पर उनका राशन कार्ड केंसिल कर दिया जाता है,

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है,

(च) सरकार इस अनियमितता को रोकने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है,

(छ) क्या उचित दर दुकानदारों को यह अधिकार है कि वे उपभोक्ताओं की बिजली की खपत के आधार पर उन्हें राशन का वितरण करें,

(ज) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है, और

(झ) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को कौन–कौन सी खाद्य वस्तुएँ कितनी मात्रा में वितरित करने के आदेश हैं?

[kk| ,o vkifr e=h % (क), (ख), (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिल्ली के लिये कुल 72,77,995 लाभार्थियों की संख्या निश्चित की गई है जो कि लगभग पूरी हो गयी है जिसमें रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र भी शामिल हैं। प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के बाद उनको वरीयता सूची में रखे जाने का प्रस्ताव है। जैसे ही पर्याप्त संख्या उपलब्ध होगी आवेदकों को कार्ड जारी कर दिये जायेंगें।

(घ), (ङ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार जिन आवेदकों के बिजली के लोड 2 किलोवाट से अधिक पाये जाते हैं वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड के पात्र नहीं हैं।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(छ) जी नहीं।

(ज) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(मात्रा किलोग्राम में)

(झ) श्रेणी	गेहूँ	चावल	चीनी
ए.ए.वाई. (प्रति कार्ड)	25	10	6
पी.आर.–एस. (प्रति सदस्य)	4	1	6 (प्रति कार्ड)
प्राथमिकता श्रेणी (पी.आर.) (प्रति सदस्य)	4	1	0

28- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के नागरिकों के लिए न्याय क्षेत्राधिकार निकटतम न्यायालय के आधार पर तय किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो द्वारका विधान सभा क्षेत्रा की मोहन नगर जैसी कुछ कालोनियां द्वारका न्यायालय के बजाय पटियाला हाउस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

mi e[;e=h % (क) जहां तक संभव हो सरकार द्वारा दिल्ली के नागरिकों के लिए न्यायिक क्षेत्राधिकार निकटतम न्यायालय में ही उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है लेकिन न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसके अलावा अन्य कारकों से भी प्रभावित रहता है जैसे कि लंबित मुकद्मों की संख्या, जनसंख्या वितरण, न्यायिक जिले, राजस्व जिला एवं पुलिस जिला की समानता, बुनियादी एवं ढांचागत सुविधाएं, वित्तिय निहितार्थ इत्यादि।

(ख), (ग) यह मामला दिल्ली सरकार के संज्ञान में है तथा पश्चिम जिले में से कुछ क्षेत्रों का स्थानांतरण दक्षिण–पश्चिम जिले में किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

33- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या [kk| ,o vkifr e=h यह बताने की कृपा करें कि :

(क) दिल्ली में राशन कार्डधारियों की कुल कितनी संख्या है,

(ख) अवैध राशन कार्डधारी व्यक्ति के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ग) क्या यह सत्य है कि राशन कार्डधारियों से आवास के प्रमाण के रूप में बिजली के बिल के बारे में पूछा जा रहा है,

(घ) यदि नहीं, तो द्वारका विधान सभा क्षेत्र में खाद्य एवं सम्भरण विभाग द्वारा बिजली के बिल के नाम पर राशन कार्डधारकों को क्यों धमकाया जा रहा है कि बिजली के बिल प्रस्तुत न करने पर उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा?

[kk| ,o vkifr e=h % (क) दिल्ली में राशन कार्डधारियों की कुल संख्या 19,60,060 है।

(ख) संज्ञान में आने पर नियमानुसार राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है।

(ग) जी नहीं। बिजली के बिल की कॉपी आवेदन के समय ही मांगी जाती है, जिसकी सीमा दो किलोवाट है।

(घ) ऐसी कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आई। संज्ञान में आने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

37- Jh jktn iky xkre fo/kk;d % क्या **LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों जैसे हस्पताल, स्कूल आदि में सफाई, सुरक्षा एवं अन्य पदों पर ठेकेदारों द्वारा ठेके पर कर्मचारी रखे गए हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उन्हें कानूनन निर्धारित न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, ई.एस.आई. आदि की सुविधाएं एवं लाभ नहीं दिए जा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसे ठेकेदारों के ठेके रद्द करने एवं श्रम कानूनों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का सरकार का कोई प्रस्ताव हैं,

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

(ङ) क्या ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

LokLF; e=h % (क) जी हाँ।

(ख) यदि किसी विभाग में ठेकेदारों के माध्यम से कार्य पर रखे गए ठेका श्रमिकों की संख्या 10 या उससे अधिक है तो ठेका श्रमिकों को ई.एस.आई. की सुविधायें लागू हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी विभाग में ठेकेदारों द्वारा कार्य पर रखे गए ठेका श्रमिकों की संख्या 20 या उससे अधिक है तो ऐसा ठेका श्रमिक भविष्य निधि के लाभ के लिए भी हकदार हो जाते है। यह सत्य नहीं है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत सभी ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि व अन्य लाभ नहीं दिए जा रहे हैं लेकिन यदा कदा कुछ कर्मचारियों की शिकायत प्राप्त होती रहती है। भविष्य निधि व ई.एस.आई. से सम्बंधित शिकायतों को केंद्र सरकार को भेजा जाता है, क्योंकि उक्त दोनों ही अधिनियमों को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही लागू किया जाता है। न्यूनतम वेतन से सम्बंधित शिकायत का निवारण श्रम विभाग,

दिल्ली सरकार द्वारा ही किया जाता है। कार्यवाही के रूप में प्रबंधकों के विरुद्ध मेट्रोपॉलीटीएन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कर्मचारियों से सम्बंधित दस्तावेज न रखने/न दिखाने के विरुद्ध चालान किया जाता है एवं जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावे लगाये है, उनमें उचित आदेश भी पारित किए जाते हैं।

(ग), (घ) ठेका श्रम अधिनियम 1970 व ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है, यदि ठेकेदार द्वारा दी गई सेवाओं को ठीक नहीं पाया जाता तो मुख्यनियोक्ता ठेकेदार का ठेका सीधे ही निरस्त/रद्द कर सकता है। इसके अलावा दिल्ली के सभी नौ जिलो में पदस्थापित अतिरिक्त/संयुक्त/उपश्रमायुक्तो को न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान किया जाता है वे कर्मचारी सम्बंधित जिले के श्रम कार्यालय में उक्त प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा दाखिल कर सकते है जिस पर सम्बंधित प्राधिकारी को न्यूनतम वेतन के बकाया के अलावा, बकाया वेतन की राशि का दस गुना राशि तक क्षति पूर्ति का आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा सम्बंधित ठेकेदार के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान भी दाखिल किये जाते हैं।

(ङ), (च) वर्तमान में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

38- lJh vydk ykck lnL; % क्या mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली सरकार द्वारा न्यायिक जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ग) क्या बलात्कार के किशोर आरोपियों की उम्र सीमा कम से कम करने एवं उनके लिए कठोर सजा के प्रावधान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या हैं,

(ङ) महिलाों के विरूद्ध अपराध के मुकदमों के लिए दिल्ली में कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट है तथा क्या सरकार इनकी संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है,

(च) महिलाओं के कल्याण संबंधी मामलों को देखने के लिए महिला न्यायाधीशों, की संख्या कितनी है तथा क्या सरकार शीघ्र न्याय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही हैं?

mi e[;e=h % (क) महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा द्वारा जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव पास किया गया था जिसके पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया जो अभी दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विचाराधीन है।

(ख) उत्तर संख्या (क) का अवलोकन करें।

(ग) इस बारे में एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार के मंत्री समुह के पास विचाराधीन है।

(घ) इस संबंध में दिल्ली सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के दोषी (जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं) को कठोर सजा देने के लिए आपराधिक कानूनों में उपयुक्त संशोधन की सिफारिश के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय कानून मंत्री, माननीय गृह मंत्री को मिलाकर मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है।

मंत्रियों का समूह सभी हितधारकों के साथ विचार–विमर्शकर रहा है तथा इस बारे में एक सार्वजनिक नोटिस सभी सम्बंधित वर्गों से उनके सुझाव देने के लिए आग्रणी समाचार पत्र में जारी किया गया था। संबंधित विज्ञापन की प्रति संलग्न है। इस के अलावा, मंत्रियों के समूह के द्वारा, स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी वकीलों, विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों, कानूनी विशेषज्ञों आदि के साथ विचारविमर्श किया गया है। मंत्रियों के समूह मसौदा प्रस्ताव से संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(ङ) महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मुकद्दमों के लिए दिल्ली में 6 फास्ट ट्रैक कोर्टस् हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार संकल्पबद्ध हैं तथा न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से 13वें वित आयोग की न्याय संबंधी संस्तुति के अनुसार राज्यों के लिए आरक्षित फंड की मांग भी की गई है। सरकार उतनी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्टस् शुरू करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है, जितनी संख्या महिलाओं के विरूद्ध मामलों को तेजी से निपटाने के लिए आवश्यक हों। इसके लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और जल्द ही निर्णय लिए जायेंगे।

(च) यह जानकारी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी।

efgykvk ,o cfPp;k dh lj{kk d fy, viu l>ko n

दिल्ली में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की बढ़ती जघन्य घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास किये जायें। इसके लिए सरकार ने मंत्रिमंडल समूह का गठन किया है। इस मंत्रिमंडल समूह को निम्नलिखित विषयों पर आपके सुझाव चाहिए।

* क्या छोटी बच्च्यिों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को कम से कम 'आजीवन कारावास' या 'फांसी' की सजा हो?
* क्या बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को बाल अपराधी मानने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष कर देनी चाहिए?
* बलात्कार के किसी भी मामले की जांच में देरी होने की स्थिति में जांच टीम की क्या जवाबदेही तय की जानी चाहिए?
* संविधान में CrPC और IPC को लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दी गई है (Concurrent list)। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में अगर पीड़िता स्थानीय पुलिस थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो क्या इसके लिए दिल्ली सरकार को विशेष पुलिस थानों की स्थापना करनी चाहिए?
* बलात्कार के मामलों में अदालती प्रक्रिया को किस तरह तेजी से निपटाया जा सकता है?
* महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध में कमी लाने के लिए और क्या–क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

vki viu l>ko 7 uoEcj] 2015 rd fuEu ir
ij vFkok bl&ey l Hkt ldr g %

bl&ey&gomofdelhigov@gmail.com

irk&lfpo lnL;] **GoM**] dejk u- 803] ,&fox]
fnYyh lfpoky;] ubl fnYyh&110002

प्रश्न सं. 39 माननीय सदस्य Jh on i:dk'k ने तारांकित प्रश्न संख्या 39 वापस लिया।

40- Jh txnh'k i:/kku % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होता है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार के कार्यालयों में ठेकेदारो द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को उनके द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है?

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनका न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

ifjogu e=h % (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। दिल्ली सरकार के कार्यालयों में ठेकेदारो द्वारा नियुक्त ठेका श्रमिको को उनके द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है। ठेकेदारो के माध्यम से कार्यरत ठेका श्रमिको का भुगतान करने की जिम्मेदारी सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को दी गई है, फिर भी यदा कदा इस सम्बन्ध में श्रम विभाग में शिकायते प्राप्त होती रहती है। भविष्य निधि व ई.एस.आई. से सम्बंधित शिकायतों को केंद्र सरकार को भेजा जाता है, क्योंकि उक्त दोनों ही अधिनियमों को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही लागू किया जाता है। न्यूनतम वेतन से सम्बंधित शिकायत का निवारण श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा ही किया जाता है। कार्यवाही के रूप में प्रबंधकों के विरुद्ध मेट्रोपॉलीटीयन मजिस्ट्रेट के न्यायालय

में कर्मचारियों से सम्बंधित दस्तावेज न रखने/ न दिखाने के विरुद्ध चालान किया जाता है एवं जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन के अन्तर्गत सक्षम प्राधि ाकारी के समक्ष दावे लगाये हैं, उनमें उचित आदेश भी पारित किए जाते है।

(ग) दिल्ली के सभी नौ जिलों में पदस्थापित अतिरिक्त/संयुक्त/उपश्रमआयुक्तों को न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान किया जाता है वे कर्मचारी सम्बंधित जिले के श्रम कार्यालय में उक्त प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा दाखिल कर सकते है जिस पर सम्बंधित प्राधिकारी को न्यूनतम वेतन के बकाया के अलावा, बकाया वेतन की राशि का दस गुना राशि तक क्षति पूर्ति का आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा सम्बंधित ठेकेदार के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मेट्रोपॉलीटीयन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान भी दाखिल किये जाते है।

vrkjkfdr iz'uksa ds fyf[kr mRrj

16- Jh vkn'kZ 'kkL=h ¼ क्या [kk| ,oa vkiwfrZ ea=h यह बताने की कृपा करें कि :

(क) दिल्ली में उचित दर दुकानों की कितनी संख्या है,

(ख) पिछले 9 महीनों में इनमें से कितनी दुकानों का निरीक्षण/छापा मारा गया,

(ग) छापा मारने पर किस–किस दुकान पर क्या–क्या अनियमितता पाई गई,

(घ) सरकार द्वारा संबंधित दुकानों/दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, और

(ङ) भविष्य में ऐसी अनियमिततायें रोकने की सरकार की क्या योजना हैं?

[kk| ,o vkifr e=h ½ (क) दिल्ली में कुल 2249 राशन की उचित दर दुकानें हैं।

(ख) विभाग द्वारा पिछले 9 महीनों में 1039 उचित दर दुकानों का निरीक्षण/छापा मारा गया है।

(ग) छापे के दौरान सामान्यतः दुकानों पर निम्न शिकायतें पायी गयी :

1 समय पर दुकान न खोलना।

2 कम राशन देना।

3 सूचना पट्ट पर सूचना न दर्शाना।

4 कार्डधारी को रसीद न देना।

5 मूल्य अधिक लेना।

6 सामग्री पंजी को पूरा न करना।

7 दुकान बन्द पाये जाना।

8 कार्डधारी के साथ दुर्व्यवहार।

9 दुकान पर राशन की मात्रा राशन स्टाफ रजिस्ट्रर से भिन्न पाये जाना, आदि।

(घ) अनियमितताएं पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है। संबंधित दुकानदारों के विरूद्ध की गई जिलावार कार्यवाही सलंग्न है।

(ङ) खाद्य एवं सम्भरण विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करवाया जाता है तथा दोषित दुकानदारों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। उपभोक्तओं को एस.एम.एस. एवं मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाता है।

सलंग्नक

क्र. सं.	जिला	निरीक्षित दुकानों की संख्या	अनियमितताओं की संख्या	आर्थिक दण्ड	निलंबित	लाइसेंस रद्द	एफआईआर दर्ज करायी गई
1	पूर्वी	113	23	23 —	—	—	
2	उत्तर पूर्व	103	40	40	—	—	—
3	उत्तरी	40	26	21	02	03	—
4	पश्चिमी	38	09	04	—	02	03
5	मध्य	37	37	37	—	—	—
6	नई दिल्ली	144	32	23	09	—	—
7	उत्तर पश्चिम	95	12	12	—	—	—
8	दक्षिण	154	129	115	7	7	—
9	दक्षिण पश्चिम	194	41	37	4	—	—
10	परिपालन शाखा	121	12	03	—	—	09
	कुल	1039	361	315	22	12	12

17- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या [kk| ,o vkifr e=h यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों के लिये राशन दुकान मालिकों को क्या दलाली (कमीशन) दिया जाता है,

(ख) क्या सरकार के स्तर पर इस दलाली दर (कमीशन रेट) में संशोधन की कोई योजना है

(ग) क्या सरकार की जनवितरण प्रणाली को आधुनिक बनाते हुए पुनर्जीवित करने की कोई योजना है, और

(घ) क्या सरकार इस योजना के तहत अन्य वस्तुओं की बिक्री पर भी आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है?

[kk| ,o vkifr e=h % (क) जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों के लिये राशन दुकान मालिकों को 70 रुपये प्रति क्विंटल मार्जिन मनी (Margin Money) दिया जाता है।

(ख) विभाग द्वारा मार्जिन मनी (Margin Money) में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) विभाग द्वारा जनवितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु उचित दर दुकान को Point of Sale (PoS) मशीन से जोड़ा जा रहा है तथा कार्डधारियों को एस.एम.एस. (S.M.S.) के माध्यम से राशन पहुंचने की सूचना दी जा रही है तथा राशन प्राप्ति संबंधी उनके विचार मोबाइल नं.–7738299899 पर भी लिये जा रहे हैं। व्हाट्सऐप (WhastApp)नं.–8800950480, फेसबुक–https://

www.facebook.com/cfood.delhi (Facebook) एवं ग्राहक सेवा केन्द्र (Customer Care Centre) नं.—1800—11—0841 तथा 1967 के माध्यम से कार्डधारियों की शिकायतें ली जाती हैं तथा उनका समाधान किया जाता है।

(घ) वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

18- Jh txnh'k i/kku % क्या **[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) दिल्ली में अब तक कुल कितने बी.पी.एल. कार्डधारक पंजीकृत हैं तथा उन्हें सरकार द्वारा क्या—क्या सुविधायें प्रदान की जाती,

(ख) पिछले छः महीने में कितने बीपीएल कार्डधारकों ने आवेदन किया व कितने बीपीएल कार्ड जारी किये गये, और

(ग) शेष आवेदन कर्ताओं को कब तक बीपीएल कार्ड जारी कर दिये जायेंगे?

[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h % (क) दिल्ली में अब तक कुल 2,13,747 पुराने बी.पी.एल (Now PR-S) कार्डधारक पंजीकृत है। इस श्रेणी के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 4 किलोग्राम गेहूँ व 1 किलोग्राम चावल तथा प्रति कार्ड प्रतिमाह 6 किलोग्राम चीनी दी जाती है।

(ख), (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिल्ली में सितम्बर, 2013 से लागू है। सितम्बर, 2013 से 31 अक्तूबर, 2015 तक कुल 2,13,747 पुराने बी.पी.एल. कार्डधारकों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आवेदन किया तथा कुल 1,90,700 आवेदकों को PR-S श्रेणी के कार्ड जारी कर दिये गये हैं। कुल 4,378 पुराने बी.पी.एल. कार्डधारकों के आवेदनों के संबंध में कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है। शेष 18,669 आवेदन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी मानदण्डों को पूरा न कर पाने की वजह से निरस्त कर दिये गये।

19- Jh vk-ih- 'kek ¼ क्या [kk| ,o vkiwfr ea=h यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सत्य हैं कि दिल्ली सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से प्याज व अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री की है,

(ख) यदि हाँ, तो प्याज की खरीद किस दर से की गई और उसे किस दर पर बेचा गया,

(ग) किस–किस विधायक द्वारा कितना–कितना प्याज वितरण करवाया गया पूर्ण ब्यौरा दें, और

(घ) प्याज की बिक्री में किन–किन को कितना–कितना कमीशन दिया गया और सरकार को कितना मुनाफा हुआ?

[kk| ,o vkiwfr ea=h ¼ (क) जी हाँ, राशन की दुकानों के माध्यम से केवल प्याज की बिक्री की गयी है।

(ख) 32.86 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) से दिल्ली सरकार द्वारा खरीदी गई। इसके अलावा माल भाड़ा, माल की चढ़ाई/उतराई पर भी खर्चा हुआ। दिनांक 10.08.2015 से दिनांक 12.08.2015 तक 40/–रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेची गई। दिनांक 13.08.2015 से 30/– रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेची गई।

(ग) किसी भी विधायक द्वारा प्याज का वितरण नहीं करवाया गया। केवल उचित दर दुकानों व मोबाइल बैन के द्वारा प्याज बेचा गया है।

(घ) उचित दर दुकानदारों को 4/– रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर मर्जिन मनी (कमीशन) दिया गया है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) व दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. (DSCSC) से एकाउन्ट सैटलमैन्ट (account settlement) की प्रक्रिया चल रही है। उपरोक्तानुसार सरकार ने इस योजना में सब्सिडी दी है।

20- Jh vk-ih 'kekZ % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा कि :

(क) फरवरी, 2015 से पूर्व दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार पंजीकृत थे, श्रेणी अनुसार ब्यौरा दें;

(ख) फरवरी, 2015 से लेकर अक्टूबर, 2015 तक कितने बेरोजगार अभ्यार्थी पंजीकृत हुए, श्रेणी अनुसार ब्यौरा दें;

(ग) फरवरी, 2015 से लेकर अक्टूबर, 2015 तक कितने बेरोजगार अभ्यार्थीयों को सरकार ने रोजगार प्रदान किया, क्षेणी अनुसार ब्यौरा दें; और

(घ) पंजीकृत बेरोजगार अभ्यार्थियों को कब तक सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने की योजना है, यदि हाँ तो पूर्ण ब्यौरा दें।

ifjogu e=h % (क) फरवरी, 2015 से पूर्व दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में 12,05,217 बेरोजगार पंजीकृत हुए थे। श्रेणी अनुसार ब्यौरा Annexure-A में दर्शाया गया है।*

(ख) फरवरी, 2015 से लेकर अक्टूबर 2015 तक 87,261 बेरोजगार अभ्यार्थी पंजीकृत हुए। श्रेणी अनुसार ब्यौरा Annexure-B में दर्शाया गया है।*

(ग) फरवरी, 2015 से लेकर अक्टूबर, 2015 तक 2,189 बेरोजगार अभ्यार्थियों को सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया गया। श्रेणी अनुसार ब्यौरा Annexure-C में दर्शाया गया है।*

(घ) रोजगार निदेशालय बेरोजगार पंजीकृत व्यक्तियों का नाम नियोक्ताओं को भेजने के अलावा साल भर सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी संस्थाओं के साथ मिलकर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहता है जिससे बेरोजगार पंजीकृत युवकों को रोजगार मिल सके।

Annexure-A

Period	Gen	SC	ST	OBC	Total
15-06-2009 to 31-01-2015	678791	344178	16499	165749	1205217

Annexure-B

Period	Gen	SC	ST	OBC	Total
01-02-2015 to 28-02-2015	4313	3073	127	1075	**8588**
01-03-2015 to 31-03-2015	4621	3034	107	1273	**9035**
01-04-2015 to 30-04-2015	4564	2610	90	1390	**8654**
01-05-2015 to 30-05-2015	4381	2720	117	1220	**8438**
01-06-2015 to 30-06-2015	5316	3214	120	1511	**10161**
01-07-2015 to 31-07-2015	7133	3335	181	1877	**12526**
01-08-2015 to 31-08-2015	8320	3981	289	2184	**14774**
01-09-2015 to 30-09-2015	4822	2389	116	1293	**8620**
01-10-2015 to 31-10-2015	3575	1846	85	959	**6465**
Total	47045	26202	1232	12782	**87261**

Annexure-B

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT

GOVT OF NCT OF DELHI

PLACEMENT RECEIVED DURING THE YEAR 2015

Sl. No.	Month	Req No.	Name of Org.	Name of Post	Placements							
					Group	Gen	SC	St	OBC	PH	EXCER	Total
1	Jun. 15	2015000124	Dipp. Min of Commerce	Canteen Attendant	D	2	1	-	1	-	-	4
2	Jul. 15	2015000685	Lic of India	Temp. Watermen	D	34	23	-	9	-	-	66
3	Sep. 15	2015000648	Air Force Station	Ldc	C	-	-	-	1	1	-	2
4	Sep. 15	2015000649	Air Force Station	Mts	D	1	-	-	1	-	-	2
5	Oct. 15	2015000628	Vinay Nagar Bengal Sr. Sec. School	Tgt (Hindi)	C	1	-	-	-	-	-	1
6	Oct. 15	2015000120	Ministry of Tribal Affairs	Staff Car Driver	C	-	1	-	-	-	-	1
7	Oct. 15	2015000293	Engineers India Ltd	Apprentice Draftwman (Mech)	C	3	2	-	-	-	-	5
				Total		41	27	0	12	1	0	81

The Candidates In Job-Summit 2015 Are 2018

Annexure-C

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT
GOVT OF NCT OF DELHI
JOB-SUMMIT-2015
SHORT LISTED CANDIDATES DETAILS

Sl. No.	Name of Organization	Name of Post	Date of Screening	Place of Screening	No. of Post	No. of Candidates Appeared	Shortlisted Candidates
1	2	3	4	5	6	7	8
1	——Securities Private Ltd.	Security Supervisor	25-07-2015	DEE, Kirby Place, Delhi Cant	50	106	48
			27-07-2015	DEE, IARI Coplex. Pusa	-	450	27
2	—-Securities	Security Personnel	01-08-2015	DEE, Sector 4, R.K. Puram	75	75	13
3	—-Insurance Ltd	Financial Planning Advisor	01-08-2015	DEE, IARI Coplex,Pusa	150	300	72
4	Pantaloon Fashion and R——	Fashion Assistant	01-08-2015	DEE, Sector 4, R.K.Puram	50	37	10
5	—-Education Trust	Different Posts for PWD (OH, VI, HI)	01-08-2015	DEE, IARI Coplex, Pusa	800	1200	140
6	———	Promoter	03-08-2015	DEE, Sector 4, R.K.Puram	50	74	24
			05-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	-	150	50

1	2	3	4	5	6	7	8
7	—Work—	Sales Executive	03-08-2015	DEE, Sector 4, R.K.Puram	100	55	27
8	Lion Manpower Solutions (P) Ltd.	Security Guard/ Supervisor	03-08-2015	DEE, Sector 4, R.K.Puram	100	85	35
9	—-Network	Sales Executive	03-08-2015	DEE, Kirby Place, Delhi Cant	100	119	29
10	——-Pvt Ltd	Sales Persons	03-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	255	300	100
11	LIC of India (—— Nagar Branch)	Insurance Advisor	03-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	200	300	125
12	LIC of India (New Rajendra Nagar Branch)	Insurance Advisor	06-08-2015	DEE, Iari Coplex, Pusa	100	86	21
			07-08-2015	DEE, Iari Coplex, Pusa	-	57	19
			08-08-2015	DEE, Iari Coplex, Pusa	-	31	8
13	Lic of India (Tilak Nagar Branch)	Insurance Advisor	06-08-2015	DEE, Kirby Place, Delhi Cant	200	40	21
14	Bikanerwala Foods Pvt Ltd	Counter Boys/ Cashier	06-08-2015	Dee, Iari Coplex, Pusa	48	138	45
15	Assocom India Pvt Ltd	Housekeeping Posts	06-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	500	300	100
			06-08-2015	DEE, Sector 4, R.K.Puram	-	70	7
			06-08-2015	DEE, IARI Coplex, Pusa	-	26	7
			07-08-2015	DEE, Kibry Place, Delhi Cant	-	192	8

16	Walsons Fa— Solutions Pvt Ltd	Housekeeping Posts	07-08-2015	DEE, Kirby Place Delhi Cant	50	223	107
17	Sai Swayam Society	Different Posts for Pwd (OH, HI)	07-08-2015	DEE, Iari Coplex, Pusa	160	642	162
18	S— India Pvt Ltd	Branch Sales Officer	07-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	100	42	32
19	Nimbl Manpower	Telecallin Associates	08-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	100	100	1
20	—-Hotels Ltd	Guest Service Associates/ Executives	08-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	6	10	4
21	Acro Hr Solutions (India) Pvt Ltd.	Field Executives	08-08-2015	DEE, Sectpr 4, R.K. Puram	200	153	56
			05-08-2015	DEE, Kirby Place, Delhi Cant	-	164	35
			07-08-2015	DEE, Sector 4, R.K. Puram	-	93	51
			08-08-2015	DEE, Iari Coplrc, Pusa	-	62	26
22	— Security Pvt Ltd	Security Guard	04-08-2015	DEE, Kirby Place, Delhi Cant	40	90	37
23	O-Zone Coating Pvt Ltd	Sales Executive	04-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	5	100	14
24	— Fashion —-Style	Customer Care Associates	04-08-2015	DEE, Sector 4 R.K.Puram	10	95	9
25	PNB Metule Insurance	Agency Partner	05-08-2015	DEE, Kirby Place, Delhi Cant	110	145	50

1	2	3	4	5	6	7	8
26	LIC Of India (Defence Colony Branch)	Insurance Advisor	05-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	500	200	200
			06-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	-	148	148
			07-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	-	80	50
			08-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	-	118	69
27	——	Managers/	05-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	220	100	10
		Advisors	06-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	-	10	6
			07-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	-	50	10
			08-08-2015	DEE, Vishwas Nagar, Shahdara	-	0	0
28	ICICI Prudential —	Managers/ Advisor	08-08-2015	DEE, Sector 4, R.K.Puram	220	100	35
29	LIC of India (CBD Shahdara)	Insurance Advisor	08-08-2015	Dee, Vishwas Nagar, Shahdara	100	130	60
				Total	4599	7046	2108

The Selection of Candidates in Insurance Sector Subject to Qualitying Irda Test as per Guidlines GOI for Insurance.

21- Jh vk-ih- 'kekZ % क्या ifjogu e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री व मंत्रियों के कार्यालय, निवास स्थान तथा कैंप ऑफिसों में जो स्टाफ लगा हुआ है चाहे वह सैंक्शन पोस्ट से हो या को–टर्मिनोंस पोस्ट चाहे डिवैर्टेड कैपेसिटी में हो या कंसलटेंट हो या अन्य किसी भी प्रकार से पोस्टिंग हो, इनको टेलीफोन, आवास तथा गाड़ियों की सुविधा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाती है;

(ख) यह बताने का कष्ट करे कि उपरोक्त स्टाफ को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों में से कितनों को प्राइवेट आधार पर किराये पर लिया गया है और कितनी गाड़ियों को अन्य विभागों से मंगाया गया है तथा टेलीफोन और आवास कि सुविधा किस–किस कर्मचारियों/अधिकारियों को दी गई है, ब्यौरा दे;

ifjogu e=h % (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा योग्य अधिकारियों को गाड़ी एवं टेलीफोन की सुविधा दी जाती है। आवास की सुविधा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी जाती है।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों में से दो अन्य विभागों की है। कोई भी गाड़ी प्राइवेट आधार पर किराये पर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

टेलीफोन की सुविधा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई है उसका ब्यौरा संलग्नक 'अ' पर है। * जिन अधिकारियो/कर्मचारियों को मकान की सुविधा दी गई है। उसका ब्यौरा संलग्नक 'ब' पर है।*

lyXud ^v*

मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के निवास स्थान एवं कैम्प ऑफिस में कार्यरत अधिकारियों को प्राप्त दूरभाष सुविधा का ब्यौरा

क्रम सं.	नाम और पद
1	श्री राजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव
2	श्री भीभव कुमार, मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव प्राईवेट
3	श्री सुकेश जैन, मुख्यमंत्री जी के ओ एस डी
4	श्री जे एस रावत, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव के निजी सचिव
5	श्री हित गोविंद, मुख्यमंत्री कैम्प ऑफिस के निजी सहायक
6	श्री जे के वशिष्ट, मुख्यमंत्री जी के पाईलट
7	श्री संजय कुमार, उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव
8	श्री जी पी सिंह, कानून मंत्री के सचिव
9	श्री दीपक विरमानी, वन मंत्री के सचिव
10	श्री रवि दधीच, परिवहन मंत्री के सचिव
11	श्री ए के कौशल, समाज कल्याण मंत्री के सचिव
12	श्री विनोद कुमार, पयर्टन मंत्री के चालक
13	श्री बलजीत सिंह, मुख्यमंत्री जी के पाईलट

lyXud ^c*

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान की सुविधा दी गई है उसका ब्यौरा

श्री विनोद कुमार (कोटर्मिनॉस स्टाफ)

श्री जजेंदर पाल सिंह (कोटर्मिनॉस स्टाफ)

श्री विभव कुमार, मुख्यमंत्री के सयुक्त सचिव

श्रीमती अश्वती मुरलीधरन, मुख्यमंत्री के सयुंक्त सचिव

श्री सुकेश कुमार जैन, ओ.स.डी., मुख्यमंत्री

श्री प्रवीण मिश्रा, ओ.स.डी., मुख्यमंत्री

श्री कपिल सिंह, ओ.स.डी., उप मुख्यमंत्री

श्री संजीव विमल, ओ.स.डी., ऊर्जा मंत्री

श्री विनीत कुमार, ओ.स.डी. लीगल

i`fronuks ij lgefr

v/;{k egksn; % प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अब मैं सुश्री राखी बिरला जी, सोमनाथ भारती जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वह सदन में दिनांक–18 नवंबर 2015 को प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

lJh jk[kh fcMyk % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि ये सदन दिनांक 18 नवंबर 2015 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं वह ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ। ...(व्यवधान)

Jh lkeukFk Hkkjrh % कल की जो 18 तारीख की घटना हुई सदन के अंदर।

v/;{k egkn; % वह मेरे पास आया है, मैं अभी रखने वाला हूं। कोई और विषय?

Jh lkeukFk Hkkjrh % जो श्री ओ.पी. शर्मा जी ने 18 तारीख को एक माननीय सदस्य को आतंकवादी कहा दूसरे को गुंडी कहा। ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन के अंदर हो, ये बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं उसके एवज में आपकी अनुमति से निंदा प्रस्ताव मूव करना चाहता हूं और मेरा ख्याल है मेरे जो साथी यहां बैठे हैं, इससे सहमत होंगे क्योंकि इससे सदन की गरिमा को काफी धक्का पहुंचा है। ये जो इन्टालरैन्स के डिस्कशन के दौरान इतना इन्टालरैन्स दिखाया गया, तो मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि इस निंदा प्रस्ताव को सदन

में रखने की अनुमति दी जाये और ये हाऊस जो भी उचित समझे उस माननीय सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करें जिससे की आने वाले समय में किसी भी सदस्य की हिम्मत ना हो कि वह ऐसे शब्दों का उपयोग कर पाये चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % जगदीश जी दो मिनट बैठिये। मैं इस पर अपनी बात कर लूं।

Jh txnh'k i:/kku % मैं इसी पर कह रहा था जो अभी ओमप्रकाश जी के बारे में कहा।

v/;{k egkn; % हां, बताइये।

Jh txnh'k i:/kku % अध्यक्ष महोदय, उसी पर कहना चाह रहा था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जो भी सदन में गलत भाषा का प्रयोग होता है, वह नहीं होना चाहिये। उसमें गलत भाषा का प्रयोग, पहले उधर से हुआ था उसके ऊपर ओमप्रकाश जी ने टिप्पणी की थी। उन्होंने आदरणीय स्वर्गीय अशोक जी को कातिल कहा था, वो उनको नहीं कहना चाहिये था। उग्रवाद जैसी बात उन्होंने की थी, न कि ओमप्रकाश जी ने। उन्होंने बाद में कहा। सदन में कोई भी सदस्य इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करे।

v/;{k egkn; % अब बात हो गई है। इस विषय को बढ़ाइये नहीं। सोमनाथ जी, आप मुझे यह लिखित में दे दीजिए।...(व्यवधान)

Jh jkt:'k xqIrk % जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगर एक सदस्य के प्रति ऐसी दुर्भावना से बात की जाये ...व्यवधान ये देश की धरोहर की बात करते

हैं और ऊपर से एक सम्मानीय सदस्य को जो कि एक महिला है, कल लक्ष्मी बाई जी का जन्मदिन था।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी दो मिनट बैठ जाइये। हां, हो गया सोमनाथ जी। आपका ये विषय जो है मुझे एक बार राइटिंग में नोटिस दे दीजिये आप। मैं अभी 280 के अंतर्गत जो लगे हैं उन विषयों को लेकर आऊं। माननीय सदस्य अमानतुल्लाह जी की और से एक पत्र प्राप्त हुआ है, वह मैं सदन के सामने पढ़कर सुना रहा हूं। विषय है, मेरे साथ मारपीट और हमला किये जाने के संदर्भ में जिसके कारण मैं आज सदन में उपस्थित नहीं हो सकता। सूचित करना है कि कल दिनांक 19.11.2015 सायं लगभग छह से सात बजे के बीच जब अपने घर को आ रहा था तभी भोपाल ग्राउंड, नियर होली फैमिली हास्पिटल के नुक्कड़ पर एक अनजान आदमी ने मुझे सलाम किया और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जब मैं गाड़ी से उतरकर उससे हाथ मिला रहा था तभी पीछे से किसी ने मुझ पर डंडो से वार किया और मेरे दाहिने पैर में तेज चोट मारकर भागने लगा। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो गालियां बकते हुए दोनों व्यक्ति भाग खड़े हुए। मुझे तेज चोट लगने की वजह से मैं उसका पीछा ना कर सका। जब तक मेरे साथी श्री फिरोज अहमद कार से बाहर निकले तब तक दोनों लोग फरार हो चुके थे। जिसके बाद रात को एक अनजान धमकी भरा फोन काल आया जिसमें उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकाया ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि फोन राजस्थान से आया था। मैं श्रीमान को सूचित करता हूं कि ऐसे हमले मुझ पर किये जा सकते हैं। अतः श्रीमान अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इसकी उचित जांच की जाये। मैं यह पत्र सदन अगर सहमत है तो पुलिस कमिश्नर को भेज देता हूं।

vè;{k egkn; : विशेष उल्लेख 280 श्री गुलाब सिंह जी।

fo'k"k mYys[k ¼fu;e 280½

Jh xqykc flag ½ धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आज जिस विषय को सदन के समक्ष रख रहा हूं इस विषय पर काफी बार यहां पर चर्चा हुई है और आगे होती भी रहेगी और विषय है नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला। सफाई व्यवस्था की हालत दिल्ली की ...(व्यवधान)

v/;{k egksn; ½ गुलाब सिंह जी, एक सैकेण्ड। मैं रोक रहा हूं जो आपने लिखित में दिया है, इसको पढ़ेंगे तो उचित रहेगा और आप विषय से भटकेंगें नहीं।

Jh xqykc flag ½ मेरे पास यही है। मैंने टेबल पर रखा था। मैंने भेजा ही नहीं।

v/;{k egksn; ½ चलिये बोलिये।

Jh xqykc flag ½ सफाई व्यवस्था की जो हालत खराब है उसके मैंने एक बार पहलू जानने की कोशिश की तो ये पाया मेरी विधानसभा में मटियाला वार्ड है इसके अंदर करीबन 498 कर्मचारी सफाई कर्मचारी काम करते हैं ऑन रिकॉर्ड और जब मैं कई बार हाजिरी प्वाइट पर सात बजे पहुंचा तो चालीस परसेंट से भी ज्यादा वहां पर सफाई कर्मचारी गैरहाजिर मिले और लिखित में मैंने इस बारे में पूछा तो ये मुझे अनआफिशियल इन्फार्मेशन मिली के 498 कर्मचारी हैं। लिखित में मैंने वहां कमिशनर मैडम से बात की कि मुझे पूरा इसका ब्यौरा चाहिये कि कितने कर्मचारी हैं पिछले नौ महीने हो गये सरकार चुने हुए, हमें विधायक बने हुए ऐसा मैंने मैडम को दो तीन बार कहा लेकिन आज तक एक लिस्ट नहीं मिली है। दूसरा आप ये लगा लीजिये कि अगर उसका चालीस

प्रतिशत पांच सौ का चालीस प्रतिशत निकाले तो 200 कर्मचारी बैठते हैं और एक कर्मचारी की तनख्वाह अगर दस हजार भी मान लें तो करीबन बीस लाख रुपया महीने का एक्स्ट्रा पैसा दिल्ली की खून पसीने की कमाई का, वह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जा रहा है। इसमें से मुझे जो जानकारी मिली है वह यह मिली है कि अगर किसी को दस हजार की सैलरी मिलती है तो वह कर्मचारी नौकरी कहीं और जगह भी कर रहा है। पांच हजार रुपये खुद ले रहा है और पांच हजार रुपये निगम के आफीसर्स के जेब भरने में काम आ रहे हैं और यहां तक की काउन्सर्ल्स भी इसके अंदर इनवोल्वड है। जिसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। इस पर सदन को बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिये।

दूसरा अवैध निर्माण में हालात ये है कि रोजाना, महीने की अगर आप बात करें मुझे लगता है कि अगर अवैध निर्माण दिल्ली में रोकने हैं तो फिर ये कानून बनाये किसलिये नगर निगम के सदन में ये कानून बने क्यों थे? आज अवैध निर्माण की आड़ में करोड़ों रुपये की वसूली हो रही है और मेरी विधानसभा का आलम यह है कि डी.सी. जो मैडम है वहां पर गरिमा गुप्ता ही रिटिन में उनको मैं खूब सारी कम्पलेन्टस कर चुका हूं। विद अखबार लेकर उस बिल्डिंग के फोटो सहित मैं कम्पलेंट कर चुका हूं और कोई भी एक्शन अभी तक उन बिल्डिंग पर नहीं हुआ है इवन मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। आज मैं अपने 67 विधायकों पर गर्व महसूस करता हूं कि आज हमारे विधायक बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन जो जनता के अंदर एक राय बन रही है कि अगर गुलाब सिंह के ऑफिस के बाहर एक अवैध निर्माण चल रहा है पांच सौ गज की बिल्डिंग में तो लोग आकर मुझे शिकायत करते

हैं लेकिन मैं उस बिल्डिंग को रोक नहीं पाता और लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये विधायक पैसे खाते हैं। ये क्यों नहीं रूक रहा है क्यों ऐसे आफिर्सस के ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही है? मैं चाहता हूं कि इस सदन से एक प्रस्ताव पास हो कि जितने भी डी.सी. रहे हैं, अपने अपने जोन मैं इन सबके खातों की जांच होनी चाहिये पिछले पांच पांच साल के खातों की जांच होनी चाहिये। इनकी चल और अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिये। इनके परिवार की जांच होनी चाहिये। ये हालात इन्होंने कर रखे हैं और ये भी चाहता हूं साथ में कि दिल्ली सरकार के एसडीएम को कमिश्नर साहब को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को इनको पावर मिले अवैध निर्माण को डेमोलिशन करने की पावर मिले। मैंने एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि हम भी एमसीडी कमिश्नर को लिखते हैं और फिर वह जवाब देते हैं कि उनके पास फोर्स है या नहीं है। वह जवाब देते हैं कि हम दौड़ पायेंगे या नहीं दौड पायेंगें। यानि के यह सदन ये रेजल्यूशन लेकर आये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम को पावर दी जाये पैरलल में पावर दी जाये कि अगर एमसीडी कमिश्नर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा तो दिल्ली सरकार का आफिसर उस पर कार्रवाई करें तो ये बहुत उचित कदम होगा हमारे लिये भी और जनता का इसमें विश्वास होगा। ये विषय मैं कई बार रख चुका हूं और इस विषय को सदन को बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिये और इसमें कोई ना कोई बड़ा कठोर कदम उठाना चाहिये। आपने मुझे सुना, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद, ओर आपने समय दिया बोलने का। बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अमानतुल्लाह खान जी, उपस्थित नहीं हैं उनका लैटर आया है। श्री आदर्श शास्त्री जी भी उपस्थित नहीं हैं। कर्नल देवेन्द्र सहरावत।

duy noUn lgjkor % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया है जिस विषय पर मैं आज बात करना चाहूंगा वह है दिल्ली के दलित वर्ग के साथ भूमि आवंटन में हो रही पूर्व में अन्याय की घटनायें। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जितनी भी जमीन थी वह आजादी के बाद दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के तहत विधानसभा के अंदर आ गई जो सम्मिलित जमीन थी और जो इनडिविजुअलस की जमीन थी, वह खातेदार के अंदर आ गई। ये जो ग्राम सभा की जमीन थी इसमें से भूमिहीन जो दलित वर्ग था, उनका भी हिस्सा था, इसमें लेकिन शहरीकरण के बाद ये जमीन जब एमसीडी एक्ट के आधीन धारा 507 के आधीन जब डीडीए के पास आई तो ये पूरी की पूरी जमीन दिल्ली से डीडीए के पास चली गई और पूरी दिल्ली से ये जमीन छिन गई। अब ये मामला, मैं रंगपुरी का आपको बता रहा हूं दलित वर्ग का। इस गांव के लोगों को 14.08.1980 में 120 गज के प्लाट पंचायत द्वारा एक रेजल्यूशन द्वारा आवंटित किये गये 1980 में। 1986 में कांग्रेस के सांसद श्री भरत सिंह कार्यकारी परिषद श्री प्रेम सिंह इन सब में जो है इनको ये प्लाट बांटने के सर्टिफिकेटस बांटने का कार्यक्रम किया था, वो सारी तस्वीरे मेरे पास हैं। अध्यक्ष महोदय, वो मैं आपको दिखाउंगा। उस फंक्शन की तस्वीरें आज भी लोगों के पास हैं। उसके बाद आठ वर्ष तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन प्लाटस को सौंपने की कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये पूरा दलित वर्ग हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका फाईल की। हाई कोर्ट में 31 अक्टूबर 2012 को दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया कि एक समिति का गठन हो जो दलित वर्ग को जो ये प्लाट दिये जाने थे, ये प्लाटस सौंपे और ये समिति तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को दर्ज करे।

परंतु ये हो ना सका। ऐसा हुआ नहीं और इस वर्ग को फिर ये हाई कोर्ट में जाना पड़ा। जब ये हाई कोर्ट में गये तो हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आदेश दिया। जब दिल्ली सरकार के खिलाफ आदेश दिया तो वही कांग्रेस की सरकार जो बाहर प्रेस में कह रही थी कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के जो प्लाट हैं, उनकी रजिस्ट्री आसान करी जायेगी। वही सरकार दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका फाईल करती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका फाईल की। ये याचिका फाईल की गई तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऊपर ढाई लाख का जुर्माना किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऊपर ढाई लाख का जुर्माना किया अदालत का समय बर्बाद करने के लिये और दलित वर्ग के साथ अन्याय करने के लिये।

v/;{k egkn; % यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है ना?

duy noUn lgjkor % ये विषय आज भी अदालतों में घूम रहा है जो 102 लोग थे उनमें से 60–62 जीवित बने हैं और आज के दिन जो दिल्ली के 360 गांव है, उनमें से मेरे पास पूरी लिस्ट है। अध्यक्ष महोदय ये पूरी फाईल है।

v/;{k egkn; % इसको सहरावत जी मेरे को अलग से दे दीजिये।

duy noUn lgjkor % अध्यक्ष महोदय, मैं आपको समझाउंगा और मैं जो है पूरे सदन से सभी सदस्यों से ये आग्रह करूंगा कि दिल्ली के दलित वर्ग के जो लोग हैं, जिनके साथ पिछले 70 वर्ष में जो अन्याय हुआ है जो उनका मूल अधिकार था जो उन्हें नहीं मिला है। उस पर गंभीरता से चिन्तन किया जाये। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जो वेलफेयर कर रहे हैं

उस पर थोड़ा urban poor की तरफ तो देख लेते हैं उसकी तरफ विशेष ध्यान तो कर लेते हैं और उस झुग्गी झोंपड़ी वाले की तरफ पहले तो ध्यान कर लेते हैं, ये पता करे बिना कि उसके पास उसके पिछले राज में उसके मूल निवास में कितनी जमीन है कितनी कृषि भूमि है। परंतु इन गांवो का वह दलित जो कि आज भी एक छोटे कोठे में रहता है जिसको 70 साल में कुछ नहीं मिला है, उसकी तरफ ध्यान बहुत कम जाता है तो मेरा ये अनुरोध है कि इन सब के लिये जो इनका कानूनी हक है दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम में उसके अंतर्गत और ये जो इतने वर्ष से जो संघर्ष चल रहा है ये सिर्फ एक गांव का है बाकी पूरे कागज मेरे पास हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस पर जो है मैं पेटीशन्स कमेटी में भी याचिका दूंगा कि इसे लिखित तौर पर किया जाये क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो 280 के जो सवाल है वो सिर्फ बात ही रह जाते हैं। मैं इसको पेटीशन्स कमेटी में दूंगा।

v/;{k egkn; % विषय हो गया पूरा?

duy noUn lgjkor % अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर अति गंभीरता से जो है जवाब दिया जाये। और इस पर कदम उठाये जायें।

v/;{k egkn; % सहरावत जी, विषय हो गया पूरा।

duy noUn lgjkor % धन्यवाद।

v/;{k egkn; % विशेष रवि जी।

Jh fo'k"k jfo % धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान हर साल दिल्ली सरकार द्वारा एससी/एसटी फंड के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हर साल दिल्ली सरकार

एससी/एसटी फंड अलग से रखती है। जो हर विधानसभा के अन्दर जहां भी एससी/एसटी लोग रहते हैं जो एलएलए फंड होता है, यह फंड उससे अलग होता है। हर विधानसभा के अन्दर 33 प्रतिशत तक लोग एससी/एसटी कम्यूनिटी के रहते हैं। तो यह फंड उस बस्ती में, उस मौहल्ले में, उस इलाके में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लिस्ट होती है जिसके तहत सरकार के पास वो ब्यौरा होता है कि कौन सी विधानसभा के अन्दर, कौन से क्षेत्र में एससी/ एसटी के लोग रहते हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि इस फंड को पूरी तरह स्वतंत्र किया जाये और जो भी जरूरत, जो भी रिक्वायरमेंट उस बस्ती के लोगों से आये, उस फंड को इस्तेमाल के लिये रख दिया जाये। बहुत–बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

v/;{k egkn;% जरनैल सिंह (तिलक नगर)

Jh tjuSy flag ¼fryd uxj½% अध्यक्ष जी, आज मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान खुलेआम हो रही खतरनाक और जानलेवा नशे के कारोबार की तरफ दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी कुछ दिनों में तीन ऐसी मौंते हुई हैं जो कि नशे की वजह से हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस इन सब चीजों के बारे में जानती नहीं है। शाम के समय क्षेत्र में काफी विदेशी नागरिकों द्वारा जो कि आसानी से आइडेन्टिफाई हो सकते हैं उनके द्वारा नशे की खुलेआम बिक्री की जाती है और पुलिस यह कह कर पल्ला झाड़ लेती है कि इसमें कोई मुजरिम नहीं है। जब कि वो सब लोग इसके अन्दर मुजरिम हैं। वो इस नशे के कारोबार में शामिल हैं। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें साफ–साफ लिखा होता है कि

इसकी डेथ ड्रग्स की वजह से हुई है। कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, किसी की कोई जवाबदारी नहीं बनती। तो मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि पुलिस के ऊपर भी जवाबदारी और जिम्मेदारी फिक्स की जाये और हास्पिटल से कोई ऐसा डेटा लिया जाये कि नशे की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है और वो नशा कैसे और कितनी आसानी से उपलब्ध हो रहा है दिल्ली के अन्दर, उस पर सख्त कदम उठाया जाये।

v/;{k egkn; % धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री नितिन त्यागी जी।

Jh fufru R;kxh % Thank you Speaker Sir for giving me this opportunity under rule 280. I wanted to bring forth the problem of cleanliness in Delhi, actually. Yes, we do blame MCD and we all do know that MCD's inaction is responsible to a large extent for the garbage on roads, streets and, I mean, the whole Delhi has become the garbage hub. We are talking about business hub, trade hub but it has become more of a garbage hub. But, to a large extent, even the public is responsible, the people are responsible. They have become quite habitual of spreading, I mean, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सफाई कर्मचारी अगर सुबह सफाई कर भी देता है तो उसके बाद भी सड़कों पर कूड़ा होता है। क्योंकि हम ही लोग फेंकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिकटनेस होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है फाइन्स हों। जो लोग कूड़ा फेंकते हैं। हेबिच्युअल हो चुके हैं हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स है। कूड़ा फैलाने के लिये

जहां सफाई होती। आपने देखा होगा हम सभी ने देखा होगा कि अगर कोई खम्भे के नीचे जाते हुए केले का छिलका फेंक देता है तो वहां पर थोड़ी देर में कूड़े का ढेर हो जाता है। सभी लोग वहां पर फेंकते हैं। कन्फेक्शनरी की दुकानें होती हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई डस्टबिन नहीं होता। हम लोग पालिथिन्स, चिप्स के पैकेटस, फ्रूटी के पैकेटस सब इधर उधर डाल देते हैं, इसकी वजह से नालियां चॉक होती हैं, गटर चॉक हो जाते हैं। इस कूड़े की वजह से जल बोर्ड के सीवर चॉक हो जाते हैं। सड़कों पर कूड़ा फेंका जाता है। इसके ऊपर एक फाईन का सिस्टम होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हमारे यहां एक सैनिटेशन लॉ इस तरीके की पास की जाये जिससे हम रेकोर्स कर सकें कि लोग अपने शहर को, जहां पर वह रहते हैं उन मौहल्लों को वो क्लीन रखने में बाध्य हो। हम लोग स्वच्छ भारत की बात करते हैं। स्वच्छ दिल्ली की बात करते हैं लेकिन यह इनिशिएटिव तब तक पूरा नहीं हो पायेगा, जब तक लोगों का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो श्योर नहीं होता है। नेता, कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी एक दिन स्वच्छ भारत अभियान चला लेंगे, दो दिन चला लेंगे हफता भर चला लेंगे। महीना भर चला लेगें। पर उन लोगों का क्या जिनकी आदत नहीं है चौथी मंजिल से उतर कर कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने की। ऊपर से Basket Ball फेंकते हैं कूड़े का बनाकर, गाड़ी में गिरा, नहीं गिरा तो नहीं गिरा। सड़क पर पड़ा है। रात के अंधेरे में कूड़ा फेंक दिया जायेगा। जहां मेरा आफिस है लक्ष्मी नगर में। छतरपुर मेन रोड पर। रोज सफाई होती है। मुझे पता है। सफाई होती है। सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं वहां पर। पर अगर आप दिन के टाइम या रात के टाइम पर वहां चले जाइये तो आफिस के सामने सड़क पर बहुत सारा कूड़ा मिलेगा क्योंकि पूरे मौहल्ले के

लोग बहुत सालों से वहां पर कूड़ा डाल रहे हैं। मेरा आफिस खुल गया है तो इसमें क्या जरूरी है कि वहां पर कूड़ा डालना बन्द हो गया। पर यह सिर्फ मेरे आफिस की बात नहीं है। यह एक जनरल पब्लिक की बात है, हम लोगों के अन्दर हेबिट ही नहीं है कि हम लोग जगह को साफ रख सकें। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। सर, एक मैं एप्रोच करना चाहूंगा और रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि सदन के माध्यम से कि एक Sanitation Law ऐसा पास होना चाहिए जिसमें ऐसे लोगों के ऊपर फाइन का प्रोविजन और इसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्पलीमेंट किया जा सके और जो एथोरिटी इसको इम्पलीमेंट करे। उसके ऊपर भी यह नजर रखी जानी चाहिये कि वो इम्पलीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। थैंक्यू।

v/;{k egkn; % श्री सोमदत्त जी।

Jh lkenRr % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा की टूटी हुई सड़कों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एमएलए फंड से हम नयी सड़कें तो बनवा सकते हैं लेकिन बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत टूटी हुई हैं और एमएलए फंड किसी भी तरीके से उनकी रिपेयर में नहीं लग सकता। बहुत सारी नालियों की जालियां ऐसी होती हैं, जो टूटी हुई हैं पर एमएलए फंड से हम उनको ठीक नहीं करवा सकते। अभी एक सर्कूलर यूटी डिपार्टमेंट से जारी हुआ है। जिस पर मलेरिया डिपर्टमेंट मच्छरों को कन्ट्रोल करने के लिये अभी नये सर्कुलर के मुताबिक हम लोग 10 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। यह नया प्रोविजन आया है। तो मेरा यह सुझाव है और यह कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार रोड रिपेयर करवाने के लिये भी एमएलए फंड से 10 लाख रुपये तक का प्रोविजन रखा जाये ताकि जो छोटे–मोटे रिपेयर

वर्क हैं, हम लोग करवा सकें। एमसीडी कोई काम नहीं कर रही। सारी नालियां–जालियां टूटी हुई हैं। रोड टूटे हुए हैं। कोई रिपेयर वर्क नहीं हो रहा। वो इन्सपेक्ट वो करना ही नहीं चाहते और पब्लिक आती हैं, हम समझाते हैं कि यह जाली तो एमसीडी के पास है, यह ड्रेन एमसीडी करेगी या यह रोड टूटा हुआ है, यह एमसीडी करेगी। पब्लिक को हम बता नहीं पाते कि यह एमसीडी का काम है या दिल्ली सरकार का काम है। तो एमएलए बजट के अन्दर यह प्रोविजन रखा जाना चाहिये। इस प्रकार मलेरिया में 10 लाख तक हम खर्च कर सकते हैं, कन्ट्रोल कर सकते हैं ऐसे ही रिपेयर वर्क, सीमेन्ट वगैह इन सब चीजों के ऊपर एमएलए फंड से प्रोविजन होना चाहिये। ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके।

v/;{k egkn; % आप पीडब्लयूडी रोड की बात कर रहे हैं या एमसीडी की बात कर रहे हैं।

Jh lkenRr % मैं एमसीडी की बात कर रहा हूं।

v/;{k egkn; % ठीक है।

Jh lkenRr % धन्यवाद।

v/;{k egkn; % बैठिये, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % चौ. फतेह सिंह जी।

pk- Qrg flag % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन आवारा कुत्तों के कारण प्रायः घटनायें होने के मामले भी बहुत

देखने में आ रहे हैं। दिल्ली की नगर निगमों द्वारा इन आवारा कुत्तों को पकड़ने अथवा उनकी संख्या नियंत्रित करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। जिसके कारण दिल्लीवासियों में इन आवारा कुत्तों का भय बढ़ रहा है। लोग इनसे अक्सर भयभीत रहते हैं, क्योंकि गली–मौहल्लों में ये कुत्ते बड़ी संख्या में रहते हैं और मौका मिलते ही प्रायः ये लोगों को काट लेते हैं। अनेक मामले ऐसे भी हो चुके हैं, जिनमें इन आवारा कुत्तों के काटने से लोगों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं हुई और उन लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अतः अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिये दिल्ली नगर निगमों का निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे राजधानी वासी इन आवारा कुत्तों के भय से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

v/;{k egkn; % श्री अजय दत्त जी।

Jh vt; nRr % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन को और हमारे मंत्रीगण को एक विशेष रोड जो हम कहते हैं बीआरटी। पिछली बार सदन में मैंने यह मुद्दा उठाया था और उसके बाद दो एनाउन्समैंट हुई जिसमें हमारी गर्वनमेंट ने कहा कि इसको रिमूव करें। मुझे ऐसा लगता है कि प्रक्रिया चल रही है। बीआरटी को रिमूव करना और उसको दोबारा नये तरीके से बनाने की जो प्रक्रिया छः महीने से चल रही हैं, इस प्रक्रिया में हम लोग कह चुके हैं कि यह जल्दी होगी। अभी 20 दिन पहले यह वक्तव्य आया था। इसी बीच करीबन दो दुर्घटनायें हुई हैं, जिसमें एक जवान लड़का और एक जवान लड़की की मौत हो गई है on the spot और अम्बेडकर नगर में जो थाना है वो वहां से आधा किलोमीटर दूर है और पुलिस चौकी करीबन 100 मीटर

की दूरी पर है। मुझे फोन आया कि साहब वहां पर दुर्घटना हो गई है। तो मैंने अपने वलिन्टियर्स को कहा कि जाकर देखिये, क्या स्थिति है वहां पर। पुलिस को इन्फार्म किया गया। पुलिस करीबन एक घंटे तक, दुर्घटना स्थल पर जो व्यक्ति पड़ा हुआ था, परे जो लड़का अपनी जिन्दगी से जूझ रहा था उसको ले जाने में असमर्थ रही और जब उसको हास्पिटल ले कर जाया गया तो उसको डेड घोषित कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि बीआरटी रोड एक ऐसी वजह है जिस पर जिग जैग ट्रैफिक है और ट्रैफिक संचालन में बहुत इशू है। पुरानी गर्वनमेंट ने जो गलत काम किया, उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अगर कोई घटना हो जाती है, उस घटना को कोई आदमी अगर एक घंटे तक दुर्घटनाग्रस्त होकर रोड पर पड़ा हुआ है, उसको उठाकर हास्पिटल ले जाने में एक घंटा लग जाता है जिससे लोगों की मौत हो रही है। यह वजह है मेरे क्षेत्र में वहां के लोगों में बहुत गुस्सा उत्पन्न कर रहा है और इससे हमारी पार्टी की छवि बहुत खराब हो रही है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि जो हमने लोगों को कहा है कि हम काम को करेंगे। मैंने मंत्री साहब को भी बताया कि इस काम को कराइये। उन्होंने कहा कि यह एक महीने में हो जायेगा। मैंने जब पीडब्ल्यूडी के लोगों से पूछा कि आज बीआरटी को रिमूव करके इसको रिस्टोर करने की क्या स्थिति है तो उन्होंने बताया कि इसमें ओर टाइम लगने जा रहा है। अगर यही स्थिति रही अगर हम टाइम को बार–बार एक्सटेंड करते रहे और रोड पर जवान लड़कों की, लड़कियों की मौत होनी शुरू हो गई, जैसे चल रहा है दस मौंते मैं देख चुका हूं छः महीने के अन्दर। यह बहुत बड़ा दुख का विषय है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी रिमूव कराकर रिस्टोर कराया

जाये। जिससे कि हम दुर्घटनाओं को रोक सकें और जो हमारी निकम्मी पुलिस है, उसके सहारे न बैठे अगर कोई दुर्घटना हो जाये। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

v/;{k egkn; % बहुत–बहुत धन्यवाद। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए टी–ब्रेक हेतु स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 4:00 बजे तक चायकाल हेतु स्थगित की गई)

Inu iVy iLrqr dkxtkr

Inu vijkºu 4%05 iqu% leor gqvk

अध्यक्ष महोदय ¼Jh jkefuokl xks;y½ *पीठासीन हुए।*

v/;{k egkn; % अब माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी कार्य सूची के बिंदु संख्या 4 में क्रम संख्या 1 से 3 तक दिए गए कागजों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु संख्या 4 में क्रम संख्या 1 से 3 तक दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं:*

1 वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 हेतु नेताजी सुभाष प्रोद्योगिकी संस्थान दिल्ली के लेखों और लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन।

2 वर्ष 2014–15 हेतु दिल्ली सरकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन।

---

*पुस्तकालय में सदर्भ सं. R 15470-70 पर उपलब्ध है।

3 वर्ष 2013–14 हेतु जियोस्पासियल दिल्ली लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन।

v/;{k egkn; % श्री मनीष सिसौदिया, उप मुख्यमंत्री दिल्ली विद्यालय लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी विधेयक 2015 को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे।

Jh fotUn xIrk % ....(व्यवधान)

mi e[;e=h % अध्यक्ष जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये बिल दिल्ली की जनता के ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अभी डिस्ट्रिब्यूट हो जायेगी थोड़ी देर में।

fo/k;dk dk ijkLFkkiu

mi e[;e=h % डिस्ट्रिब्यूट हो रही है। वो ले आए हैं।

v/;{k egkn; % ऐसा थोड़ा ही होगा।

mi e[;e=h % मैं आपसे जिस बिल को रखने की अनुमति मांग रहा हूं ...(व्यवधान)

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है ....(व्यवधान)

v/;{k egkn; % देखिए, विजेन्द्र जी, एक बार उनको प्रस्तुत करने दीजिए। ....व्यवधान...उनको बोलने नहीं देंगे क्या? उनके बोलने का अधिकार भी छीनेंगे क्या? नहीं ऐसा नहीं है।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय मुझे मालूम है उधर से क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर हो सकता है ....(व्यवधान)

---

*पुस्तकालय में सदर्भ सं. R 15504 पर उपलब्ध है।

Jh fot Un xIrk % अध्यक्ष जी, मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर ...(व्यवधान)

mi e[;e=h % मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

Jh fot Un xIrk % इसमें कानूनी, नियमों का हवाला दे रहा हूं ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अभी सदन पटल पर आने तो दीजिए ना, सदन पटल पर आने तो दीजिए ...व्यवधान...नहीं ऐसा कुछ नहीं चलिए।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल सदन पटल पर रखने से पहले ....व्यवधान.... ट्रॉजेक्शन ऑफ बिजनेस रुल्स के रुल 55 के अनुसार प्रायर अप्रूवल सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट से लेनी जरूरी होती है, लेनी होती है। अगर वो repugnant है तो लेकिन ये पेश करने के लिए जरूरी नहीं है। ...व्यवधान

Jh fot Un xIrk % आप पारित नहीं करेंगे क्या? ...(व्यवधान)

mi e[;e=h % उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि पेश करने से पहले, तो मैं ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % सुन तो लो।

mi e[;e=h % तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि बिल के पेश करने में बाधा ना डाले ....व्यवधान... क्योंकि इस सदन में जब भी दिल्ली की जनता के हित का कोई काम होता है, ये तुरंत चार कागज लेकर खड़े हो जाते है और कहते है इस कागज के हिसाब से दिल्ली की जनता के हित का काम नहीं किया जा सकता। ...व्यवधान.... क्योंकि जब भी कोई जनहित का काम लेकर सरकार इस सदन में आती है तो ये चार कागज उठाकर खड़े हो जाते है और कहते है। ये नहीं होने देंगे। फलाने नियम के हिसाब से नहीं होने देगे। ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को ध्यान दिलाना चाहता

हूं कि इसी विधान सभा में जब हम 49 दिन के लिए सरकार में थे। इसी तरह से दिल्ली की जनता के हित का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रोका गया था और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जनता की तरफ से ये बात ध्यान रखें कि तब यहां 32 विधायक बैठे हुए थे। उन्होंने जनता के हित का एक लोकपाल कानून पेश नहीं होने दिया था। उसकी वजह से आज उनकी संख्या तीन रह गई है और जो यहां धोखा देकर गए थे, उनकी संख्या जीरो रह गई है। इनको सोचना चाहिए लोकतंत्र के बारे में, इनको सोचना चाहिए कि ये सदन जनता के लिए बना है। जनता के हित के कार्यो के लिए बना है। अगर ये जनता के हित में कोई भी काम होगा और उसमें बाधा डालेंगे, चार कागज लहराकर कहेंगे कि हम इसको नहीं होने देंगे, जनता इनको माफ नहीं करेगी, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मेरा point of order है। मुझे बात कहने दी जाए। देखिए मैं आपको TBR 55(1)(A) जिसका हवाला मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं वो आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा हूं ये TBA 55(1)(A) the Lt. governor shall refer to the Central Govt. every Legislative proposal which if introduced...(व्यवधान)

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, ये तो हर जनता के काम में ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी आपने पढ़ा ...(व्यवधान)

mi e[;e=h % दिल्ली के 36 लाख बच्चों के हितों के लिए नए नियम बहुत जरूरी है, ये रूल्स बहुत जरूरी है ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आपने क्या पढ़ा है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल पढ़ा है ना आपने ...(व्यवधान)

Jh fotUnz xqIrk % सदन के पटल पर लाने से पहले, आप चाहते ही नहीं ...(व्यवधान)

mi e[;e=h % ऐसा कही नहीं लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय, कि सदन के पटल पर लाने से पहले prior approval की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, लगता है नेता, प्रतिपक्ष को समझने में कमी हो गई है ...व्यवधान...कहीं नहीं लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

mi e[;e=h % 55 सबने पढ़ा हुआ है यहां पर। पूरा पढ़कर सदन का समय व्यर्थ ना किया जाए। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % मनीष जी, आप जारी रखिए।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली विद्यालय लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी विधेयक, 2015 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ...(व्यवधान)

Jh fotUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहे,

जो इसके विरोध में है वा ना कहे

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

mi e[;e=h dk oDr0;

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन में विपक्ष के साथियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जिस पार्टी से belong करते है, उसका नेता जब भी देश में कुछ अच्छा काम होता है, हवाई जहाज पकड़कर बाहर भाग जाता है। जब भी देश में किसी अच्छे मुद्दे पर चर्चा होती है, कुछ अच्छी बात होने की बात होती है, वो बाहर। इनकी भी problem ये है कि जब भी दिल्ली के लिए कुछ अच्छा होना होता है ये चार कागज लहराकर सदन से बाहर चले जाते है। इनके प्रधानमंत्री जी देश से बाहर चले जाते हैं। ये सदन से बाहर चले जाते है। ये किसी अच्छे काम में शरीक ही नहीं होना चाहते। ये किसी अच्छे काम में, जब दिल्ली की जनता के हित में इतना बड़ा विधेयक, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के हित में इतना बड़ा विधेयक और मैं कहूं कि देश की शिक्षा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की इच्छा से, एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे देश में शिक्षा की दिशा और दशा बदलने की उम्मीद है। उस वक्त उस पर चर्चा करने की जगह क्योंकि शायद उसमें रूचि नहीं है उनकी। उस पर चर्चा करने की जगह सदन से बाहर निकल जाए चार कागज लहराते हुए। ये दिखाता है कि इनकी कितनी नीयत है दिल्ली की जनता के हित में काम करने की।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस विधेयक के मुल बिंदुओं पर आता हूं और इसके विषय पर आता हूं और इसके विषय पर आता हूं। जैसा कि सदन को विदित है दिल्ली की सरकार दिल्ली में अगर किसी काम को सबसे अधिक प्राथमिकता से ले रही है, सबसे अधिक priority दे रही है तो वो है शिक्षा का काम।

शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करना, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना, ठीक करना दिल्ली सरकार का पहला काम है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार–बार कहते है कि हम चार पुल भले ही बाद में बना लेंगे लेकिन चार स्कूल पहले खोल देंगे तो आने वाली पीढ़ियां खड़ी हो जाएगी और आने वाली पीढ़िया अगर शिक्षित हो गई तो वो पुल भी बना लेगी और बेहतर समाज भी बना लेगी। इसीलिए इस सदन में, इस विधानसभा में जब हमने अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया था तो दिल्ली सरकार ने शिक्षा के बजट को दोगुणा कर दिया था। अभी भी सिर्फ बजट को दोगुणा करने का romanticism हम जानते है कि उससे सिर्फ शिक्षा नहीं सुधर सकती है। शिक्षा मंत्री के रूप में मैं स्वयं, हमारे पूरे अधिकारीगण और तमाम टीम खुद मुख्यमंत्री लगातार प्रत्येक सप्ताह दिल्ली के स्कूलों में, कालेजिज में, यूनिवर्सिटीज में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही है, उसकी समीक्षा करते है और उस समीक्षा के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती है। अभी तक हमने जो कहा उस पर अमल कर रहे हैं या उसको लागू करने की दिशा में काम कर रहे है।

मैं आपके समक्ष दिल्ली के शिक्षा का कुछ, दिल्ली की शिक्षा की स्थिति को दो मिनट में स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली में स्कूल एजुकेशन की बात करें तो इस वक्त या तो सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चे पढ़ते है या प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से। सरकारी स्कूल, सरकार के पास में करीब एक हजार हैं। इसमें अगर में मोटे–मोटे तौर पर सामने रखू तो तीस हजार कमरों में बैठकर हमारे सोलह लाख बच्चें पढ़ते हैं और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्थिति कई

जगह तो ऐसी है, विपक्ष के एक हमारे साथी यहां पर नहीं हैं जगदीश प्रधान जी, वो बार–बार सदन में भी उठाते रहे हैं। मैं स्वयं उनकी विधान सभा में जाकर देख कर आया हूं। कपिल भाई बैठे है। इनकी विधान सभा में स्थिति, वहां पर स्कूल्स के ऊपर बहुत लोड है। क्लासरूमस के ऊपर बहुत लोड है। पूरे ईस्ट दिल्ली में, नार्थ ईस्ट में जाइये। अमानत भाई भी आज नहीं है उनकी विधान सभा में, दिल्ली के कई हिस्सों में ऐसे–ऐसे क्लासरूम्स है जहां पर हमें कही जगह पर डेढ़–डेढ़ सौ बच्चे बिठाने पड़ रहे है। वो इसलिए क्योंकि पहले शिक्षा पर इतना ध्यान दिया नहीं गया। सरकार की जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी शिक्षा को नहीं समझा गया। हमारी सरकार इस दिशा में बहुत, दिन–रात एक करके काम कर रही है कि हम दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बेहतर स्थिति में ला सके। हम लोग बीस नए और, मैंने कहा एक हजार सरकारी स्कूल हैं। बीस नए स्कूल अगले सत्र से खोलने के लिए तैयार हो गए है। पिछले नौ महीनों में हमने लगभग–लगभग इतना काम कर दिया है कि बीस नए स्कूल तुरंत खोले जा सकेगें अगले सत्र से। इसके साथ–साथ आठ हजार नए क्लासरूम्स बनवा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। जैसा मैंने कहा डेढ़–डेढ़ सौ तक बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां क्लासरूम्स की सख्त जरूरत है। अलग– अलग सरकारी स्कूलों में जहां जगह उपलब्ध है, जहां स्थितियां उपलब्ध है, परिस्थितियां जहां एलाउ कर रही है, वहां पर हम आठ हजार नए क्लासरूम्स बनवा रहे हैं और अगर एक क्लासरूम्स को लगभग–लगभग 40–50 कमरों के हिसाब से देखा जाए तो ये स्थिति जाकर आप सामान्य मैथमैटिक्स के हिसाब से भी देखेगें तो ये लगभग–लगभग दो सौ नए स्कूल खोलने जैसा है। आठ हजार नए क्लासरूम्स बहुत बड़ी संख्या है। बीस नए स्कूल अगले सत्र से हो जाएंगे। आठ हजार

नए क्लासरूम्स अगले सत्र से बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो इससे सोलह लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। आठ हजार नए क्लासरूम्स में जब बच्चे बैठना शुरू करेंगे तो करीब तीन लाख बच्चों के अतिरिक्त बैठने की जगह हमारे स्कूल्स में उपलब्ध हो जाएगी। ये सारा हम quantity पर काम कर रहे है।

इसके साथ–साथ अध्यापकों की ट्रेनिंग, उनका सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का कान्फिडैन्स बने, वहां पेरंटस का कान्फिडैन्स बने। लोगों को लगे कि सिर्फ प्राइवेट में ही नहीं सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। टेलेंट की कमी नहीं है। सरकारी स्कूलों के टीचर्स में टेलेंट की कोई कमी नहीं है। एक से एक टेलंटिड टीचर दुनिया भर के टेलेंटिड टीचर से कम्पीट करने वाले टीचर्स बैठे हुए हैं। अच्छा माहौल है। कई स्कूल्स में जाता हूं तो वहां प्राइवेट स्कूल्स से बेहतर माहौल दिखता है। लेकिन एक परसैप्शन है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। कुछ में बहुत अच्छी हो रही है और कुछ में बहुत खराब हो रही है। उसकी वजह से बना हुआ है तो उस परसैप्शन को भी ठीक करने में हम काम कर रहे हैं। स्कूल की एजुकेशन, सरकारी स्कूल की लगभग–लगभग फ्री होती है। एडमिशन प्रोसस बहुत आसान होता है। जहां भी सीट उपलब्ध है वहां बच्चों का एडमिशन दिया जाता है।

इसके दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स है। प्राइवेट स्कूल्स की संख्या दिल्ली में कुल मिलाकर लगभग 1800 है। और इनमें 10 से 12 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। मैं यहां उल्लेखित कर दूं कि दिल्ली में और देश में भी प्राइवेट स्कूल्स का काम जो शुरू हुआ वो एक ट्रस्ट के तहत शरू हुआ। प्राइवेट स्कूल्स चलाने का काम कभी किसी कंपनी को नहीं दिया गया। कोई सैक्शन 25 की कंपनी

या कोई प्रोफिट मेकिंग कंपनी को नहीं दिया गया है। हमेशा ट्रस्ट को दिया गया है। ट्रस्ट को इसलिए दिया गया है क्योंकि समाज शिक्षा का काम उन लोगों को देना चाहता है जिन पर ट्रस्ट किया जा सके।

ये ट्रस्ट किया जा सके कि वो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देंगे। ये ट्रस्ट किया जा सके की वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए योगदान देंगे और मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो मैंने कहा 1800 के करीब प्राइवेट स्कूलस हैं, उनमें से बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा के काम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आज वो नहीं होते तो बहुत सारे लोग क्वालिटी एजूकेशन से वंचित रह गए होते क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल जहां एक तरह बहुत बड़ी पॉपूलेशन से, क्लासरूमस की कमियों से और एक माहौल से जूझ रहे थे वहीं प्राइवेट स्कूल्स उस वक्त कुछ प्राइवेट स्कूल उस वक्त वहां मेहनत कर रहे थे। कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने बाकायदा मेहनत करके शिक्षा के स्तर को बचा के रखा। लेकिन वहां एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी स्कूल्स खोल लिए जिनका काम शिक्षा में शुद्ध रूप से प्रोफिट मेकिंग था। जिनका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं था। उनका बस चलता तो वे कम्पनी के माध्यम से स्कूल खोजते ओर चलाते और फिर जनता को लूटते। लेकिन ट्रस्ट के नियमों में हमारे शिक्षा के कानून में थोड़ी–सी खामियों का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरा फायदा उठाते हुए शिक्षा को एक व्यापार बनाने की कोशिश की। मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये स्पष्ट है सदन के सामने और रिकॉर्ड में रहे की ना तो हम शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हैं, प्राइवेट स्कूल्स की भूमिका को नहीं नकार रहे

हैं। बहुत सारे स्कूल्स ने अच्छी भूमिका निभाई है लेकिन साथ–साथ सारे प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, कुछ स्कूल्स ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से समाज को लूटने का धंधा बना लिया शिक्षा को और दोनों एक ही नियम से चल रहे हैं, दोनों एक ही धारा से चल रहे है तो उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हमें मिलती हैं। शिक्षा के प्रति कॉन्फिडेन्स आमतौर पर देखें तो, किसी पेरेंटस को एक बच्चे को आज दिल्ली में एडमिशन दिलाना हो तो पहले वो कोशिश करता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाए जब प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता तो फिर किसी से पूछता है कोई अच्छा सा सरकारी स्कूल है, क्या वहां एडमिशन दिला देते हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं समाज में प्राइवेट स्कूल में दी जा रही शिक्षा के प्रति कॉन्फिडेन्स है हालांक वहां बहुत कमियां है, वहां भी जैसे सरकारी स्कूलों में कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, वहां भी कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब है लेकिन फिर भी, प्राइवेट स्कूल के संदर्भ में जो एक चीज निकल के आती है वो है वहां ली जाने वाली फीस। आप समाज में बात करिए सामान्य चर्चा मिलेगी साहब, प्राइवेट स्कूल्स में फीस तो बहुत ज्यादा है। एक सामान्य पेरेंटस भी जो अपने बच्चों को आज किसी न किसी कारणवश प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, कहता हुआ पाया जाएगा, ''साहब तनख्वाह से ज्यादा प्राइवेट स्कूल की फीस हो गई है।'' प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना आज एक night mare से ज्यादा हो गया है। अपनी तनख्वाह में सम्भव नहीं हो पा रहा है, लोगों को ओवरटाईम करना पड़ रहा है, लोगों को दो–दो जोब करनी पड़ रही है, कैसे पढ़ाए एक आम आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में? एडमिशन मिलना वहां एक बहुत

बड़ी समस्या है, वहां सिफारिश चलती है, बहुत सारी जगह इंटरव्यू लिए जाते हैं बहुत सारी जगह डोनेशन लिया जाता है, ये सब भी प्राइवेट स्कूल्स में चल रहा है, सब में नहीं चल रहा होगा, लेकिन जिनमें चल रहा हैं उनकी वजह से एक जनरल प्रसैप्शन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स के बारे में ये बना। मुझे प्राइवेट स्कूल्स के बारे में पेरेंटस की बहुत सारी शिकायतें मिली। बहुत सारे पेरेंटस ने बार–बार आके मेरे सामने बातें रखी, प्राइवेट स्कूल की फीस के बारे में डोनेशन के बारे में, एडमिशन में मनमानी के बारे में, हाईकोर्टस के इसमें आदेश भी थे। हमने थोड़ा देखा इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, होईकोर्टस के अलग–अलग आदेशों में कुछ कमेटियां बनाने को निर्देश है उसी के तहत एक कमेटी बनी थी जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी उस कमेटी ने जब उसने प्राइवेट स्कूल्स के एकाउंटस चैक किए तो बहुत सारे प्राइवेटस स्कूल्स में एकांउटस में फर्जीवाड़ा किया गया था। मैं दोनों चीजों को जोड़ना चाहता हूं की स्कूल्स ट्रस्ट के माध्यम से चलाये जाते हैं, ट्रस्ट का मतलब भरोसे के माध्यम से चलाये जाते हैं, लेकिन जब अनिल देव सिंह कमेटी आती है और एकाउंटस चैक करती है तो देखती है कि वो ट्रस्ट तो बार–बार तोड़ा गया है वहां पेरेंटस से स्कूल के नाम पे, स्कूल में शिक्षा के नाम पे पैसा लेके कहीं अलग डायवर्ट किया गया। ये जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी की कई सारी फाइडिंग्स में निकल के आया। काफी फाइनैंसियल इरैगूलेटरीज थी, जब हमने कई और राज्यों को देखा दिल्ली से बाहर तो हमने देखा कि कई राज्यों में कमेटिज बनाई गई है। कुछ राज्यों ने प्रयोग किया कि सरकार अपने अधीन अपने पास एक कमेटी बनाती है और वो कमेटी प्राइवेट स्कूल्स की फीस तय करती है। वो तय करती

है कि हमारे राज्य में कौन–सा प्राइवेट स्कूल कितनी फीस लेगा, ये भी एक मॉडल है और कई मॉडल है महाराष्ट्र, तमिलनाडू, राजस्थान अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग मॉडल हैं इसी के इर्द–गिर्द बनाने की कोशिश की। हमने उनसे भी बात की, हमारी टीम वहां गई, उनका अध्ययन भी करके आई कि आपका क्या अनुभव है इस बारे में? जब आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस पर काम करते हैं, एडमिशन प्रोसेस पर काम करते हैं तो आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? तो उनके अनुभव से भी सीखा और फिर दिल्ली के डेटा को देखा जो मैंने 1800 स्कूलों अध्यक्ष महोदय, उनमें से ऐसे स्कूल्स भी हैं जो बच्चों से दो सौ रुपये, चार सौ रुपये की फीस लेते हैं और ऐसे स्कूल्स भी हैं जो तीन–तीन, चार–चार हजार, पांच हजार, छह हजार तक तो सामान्य फीस लेते हैं हालांकि ऐसे स्कूल्स भी है जो 10–10, 15–15 हजार रुपये, 20–20 हजार रुपये महीना भी ले रहे हैं पर मैं उनको सामान्य की श्रेणी में इसलिए नहीं लेता की उनकी संख्या बहुत कम है, पांच–छह हजार, सात हजार की फीस लेने वाले, तीन–चार हजार की फीस लेने वाले बहुत हैं और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो हजार रुपये से नीचे तक की फीस भी लेते हैं दो सौ रुपये, 5 सौ रुपये तक की फीस लेते हैं, अलग–अलग वैराइटी के स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स की फैसलिटीज को देखा जाए तो कुछ स्कूल्स के पास जगह बहुत कम है, कुछ स्कूल्स के पास में सुविधाओं के अम्बार लगे हुए हैं, कोई एकदम फाइव स्टार सुविधाओं के साथ चला रहे हैं।

मैंने एक बड़ा दिलचस्प वाक्या देखा दो स्कूल्स में एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। वहां पर जो french language प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाते हैं तो विशेष रूप से फ्रांस से एक टीचर बुलाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए,

दूसरे एक स्कूल में फ्रैंच पढ़ाई जाती है। वहां फ्रैंच के जो टीचर हैं उन्होंने दो हफ्ते का फ्रैंच कोर्स किया हुआ Alliance Franciase De से। दोनों की क्वालिटी में निश्चित रूप से अंतर होगा, तो यहां क्वालिटी को देखें तो हमें लगा की सरकार के रूप में हम अगर प्राइवेट स्कूल्स की जो वे सर्विसीज दे रहे हैं, सिर्फ उनके आधार पर सरकार फीस तय करने की जिम्मेदारी ले लेगी तो डिक्टेटरशिप होगी, ये प्राइवेट स्कूल्स की क्वालिटी में भी समझौता होगा, उनकी autonomy में भी समझौता होगा। लेकिन साथ–साथ जस्टिम अनिल देव सिंह की कमेटी से ले के तमाम पेरेंटस के अनुभव बताते हैं की ट्रस्ट के नाम पे समझौता हो रहा है, ट्रस्ट के नाम पे प्राइवेट स्कूल्स जो चला रहे हैं, वे कई जगह शिक्षा की दुकानें चला रहे हैं। कई लोगों ने अपना शिक्षा का व्यापार खड़ा कर लिया है एक स्कूल्स खोलने से लेकर। तो ये सारी चीजें बड़ी दुविधा पूर्ण थी लेकिन पेरेंटस की समस्या में कहीं कोई दुविधा नहीं है कि पेरेंटस दुखी है, बच्चे दुखी हैं, पेंरेटस दुखी हैं एडमिशन नहीं हो रहे हैं, एडमिशन के नाम पे डोनेशन मांगा जा रहा है। तो कोई आदर्शवादी कल्पना तो कुछ नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, इस समस्या के समाधान के लिए हम कोई ऐसी आदर्शवादी परिकल्पना नहीं कर सकते कि आज दिल्ली सरकार तय करे कि दिल्ली में एक झुग्गी–झोपड़ी में चलने वाले एक स्कूल में जहां वो दो सौ रुपये फीस लेता है, से लेकर एक बहुत ऐफुयुल्युएन्ट सोसाइटी में चलने वाले स्कूल में जहां वो पांच हजार रुपये, 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये जो भी फीस ले रहा है, उसको सबको डिकटेट कर दिया जाये कि नहीं, आप पांच हजार की फीस लोगे या आप दो सौ रुपये की फीस लोगे ये तो डिक्टेटशिप हो जाएगी। इसलिए हमने ये मॉडल निकाला। अध्यक्ष महोदय, कि दिल्ली सरकार

ये देखे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल, पेरेंटस जो फीस ले रहे हैं, उसको खर्च कहां करना है, अगर वो स्कूल्स की फीस को पेरेंटस से ली जाने वाली फीस को अपनी ही जगर खर्च कर रहे हैं, उसी स्कूल पर खर्च कर रहे हैं इसका मतलब उन्हीं बच्चों पर खर्च हो रही है, तो तो ठीक है, लेकिन अगर उस फीस का इस्तेमाल उस स्कूल से बाहर कहीं किसी चीज के लिए किया जा रहा है, किसी व्यवसाय के लिए किया जा रहा है, पैसे को डायवर्ट किया जा रहा है, कुछ ओर नये संस्थान बनाने में दूर पूरे देश में अपने शिक्षा के व्यापार को फैलाने में किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। इसको रोका जाये। इसलिए एक प्रस्तावित बिल है सरकार की ओर से जिसमें फीस फिक्स करने की जगह हम अकाउंटस वैरीफाई करने की बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से हर स्कूल अपना फीस स्ट्रक्चर तय करेगा, हम इस कमेटी के माध्यम से इसमें कमेटी बना के जिसके चेयरमेन हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर जज अनुभव के साथ में होंगे। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई स्कूल जो बच्चों से पेरेंटस से फीस ली जा रही है, पहली बात तो वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, बच्चों का शोषण तो नहीं हो रहा पेरेंटस से फीस के नाम पर जो फीस ली जा रही है वो डायवर्ट तो नहीं हो रही। फाइनेशियल इरेगुलेरीटीज तो नहीं हैं, फर्जी बिल तो नहीं लगाए जा रहे है। ये सारी चीजें ये कमेटी अपने अधिकारियों के माध्यम से और सी.एस. के माध्यम से सुनिश्चत करेगी। ये इस बिल के माध्यम से हम प्रस्ताव रख रहे हैं सदन के सामने कि ऐसा कानून बनाया जाए कि हर एक स्कूल्स के लिए हर साल अपने आडिटेड एकाउण्ट सरकार को देना जरूरी हो और ये कमेटी हर साल उनका ऑडिट करा सके। हर साल ये देख सके कि क्या हो रहा है और इस कमेटी को अधिकार है

कि अगर वो ये पाती है कि स्कूल ने खातों में कुछ गड़बड़ी की है, फर्जी बिलिंग की है या बच्चों के पेरेंटस से जो पैसा मिला है, उस पैसे को डायवर्ट किया है कहीं किसी ओर काम के लिए तो ये गलत माना जाएगा। ये गलत होगा। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे पास शिक्षा का अधिकार, हमारे पास जो दिल्ली शिक्षा कानून है उसमें कोई भी स्कूल प्राइवेट स्कूल अगर कुछ गलत करता है तो हम उस पर सिर्फ एक पैनल्टी लगा सकते हैं। हम एक एक्शन ले सकते हैं सरकार की तरफ से कि हम उसकी मान्यता रद्द कर दें। स्कूल्स की मान्यता रद्द करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। क्योंकि मान्यता भी सरकार देती है, लेकिन वही अधिकार सिर्फ एक तरह की मोनोपोली पैदा कर देता है, सरकार के हाथ बांध देता है कि सरकार की कोई बात अगर स्कूल नहीं मान रहा है या कोई स्कूल नियमतः गलत कर रहा है तो हम सिर्फ उसकी मान्यता रद्द कर सकते हैं, मान्यता रद्द करने से मुझे नहीं लगता कि किसी मैनेजमैंट कमेटी के किसी व्यक्ति पर कोई खास फर्क पड़ेगा।

हाँ इतना जरूर है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चे, उनके पेरेंन्टस, उनके 100 टीचर्स, 200 टीचर्स वहां 150 टीचर्स काम करते हैं। टीचर्स की नौकरी जा सकती है अगर हम मान्यता रद्द करेंगे तो। वो हजारों बच्चे पढ़ने कहां जाएगें। उस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। स्कूल खोलने हैं, बन्द थोड़ी करना है। तो इसलिए इसमें हम अलग–अलग तरह के अपराध के लिए अलग–अलग तरह की पेनाल्टीज का प्रावधान कर रहें हैं। यह कमेटी पूरी तरह से वेरीफाई करेगी कि कही कोई इररेगुलेरटीज तो नहीं हैं। अगर इररेगुलरटीज पायी जाती है तो अलग–अलग तरीके के अपराध के लिए पचास हजार रुपये से लेकर उसके ऊपर पेनाल्टी लगा सकेगी। जो फीस चार्ज की जा रही है,

उसके कुछ गुणात्मक रूप से या तीन साल तक के इम्प्रीजनमेन्ट तक की और अगर रिपीट अफेन्स करते हैं तो उनको और ज्यादा सख्त सजा की बात करेगी। प्राईवेट स्कूल, यहां मैं यह भी कह दूं जो प्राईवेट स्कूल अपने खाते ठीक रखे हुए हैं। जो अपने खातों में बेईमानी नहीं करते। जो बच्चों से लिये गये पैसे को डाईवर्ट नहीं करते। जो किसी तरह की ट्रस्ट में धोखाधड़ी नहीं करते। उन स्कूल को एकदम इस विधान सभा की ओर से अभयदान मिल जाए इस कानून के माध्यम से। उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उनको खुश होने ही जरूरत है कि उनको जो बदनाम करने वाले स्कूल हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आज जब बदनामी झेलनी पड़ती है तो सारे प्राईवेट स्कूल को झेलनी पड़ती है। जो स्कूल अपने ट्रस्ट के खातों में हेराफेरी नहीं करते, फर्जीवाड़ा बिलिंग में नहीं करते, पैसे को डाईवर्ट नहीं करते, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार उनकी ऑटोनामी से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है लेकिन जो करते हैं, सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है। अब वो अलग–अलग तरीके के वायलेशन के लिए अलग–अलग तरीके की पेनाल्टी की बात कर रही है। तो उसके सम्बन्ध में एक बिल अध्यक्ष महोदय, यहां में रखूंगा जिसकी मैंने आपसे अनुमति ली है लेकिन साथ–साथ क्योंकि मैं दो बिल यहां पर लाने की अनुमति माँगूगा आपसे। दूसरे बिल की भी माँगूगा और मैं उसके सन्दर्भ में थोड़ी सी बात मैं अभी रख देता हूं।

जैसा मैंने कहा कि प्राईवेट स्कूल की एक बड़ी समस्या है उनकी मनमानी फीस दूसरी बड़ी समस्या है मनमाना एडमिशन प्रोसेस। वहां पर डोनेशन चलता है, वहां पर सिफारिश चलती है, वहां पर कई बार बच्चों के इण्टरव्यू लिये जाते हैं। वहाँ पर कई बार बच्चों को, माता–पिता को परेशान होना पड़ता है। उसको

कैसे ठीक किया जाये। उसके लिए भी अलग–अलग मॉडल हैं। देश में कई राज्यों में कुछ–कुछ मॉडल उन्होंने इस्तेमाल किये। हमारा मानना है कि हालांकि नियम के हिसाब से आज की तारीख में प्राईवेट स्कूल किसी भी बच्चे से कोई डोनेशन नहीं ले सकता। राईट टू एजूकेशन कानून जब से आया है, इसमें कैपिटेशन फीस लेने की मनाही है। लेकिन उसके बावजूद हम सब जानते हैं। यहां बैठे हमारे सारे विधायक साथी जानते हैं और जो तीनों बाहर चले गये। इस महत्वपूर्ण चर्चा को छोड़कर वे भी जानते हैं कि विधायकों के कार्यालयों में, घरों पर अभी समय आने वाला है, सुबह से पैरेन्टस की सबसे ज्यादा गुहार इसी बात की रहेगी कि साहब फलाने स्कूल पैसा मांग रहा है, फलाने स्कूल में सिफारिश करा दो, फलाने स्कूल ने दरवाजे बन्द कर दिये, फलाने स्कूल ने हमारे बच्चे को इण्टरव्यू लेकर फेल कर दिया। कानून में हमने लिख रखा है कि ऐसा नहीं होगा। फिर क्या करें? यहां भी अगर देखें तो पेनाल्टी के नाम पर हम ज्यादा से ज्यादा उस स्कूल की मान्यता रद्द कर सकते हैं वो भी तब जब कि प्रूफ मिला उसका। इसका समाधान क्या है? फिर आर.टी. ई. में जो एडमिशन प्रोसेस है, उसका क्लास वन से जिक्र है तो नर्सरी एडमिशन पर वो लागू नहीं होता। क्लास वन के एडमिशन पर होगा। इसलिए हमने भी जो दूसरा कानून मैं आपके समक्ष रखने की अनुमति मांग के प्रस्तुत करूंगा अध्यक्ष महोदय, उसमें हमने प्रावधान किया है। उसका जिक्र मैं यहां सदस्यों के सामने एक उदाहरण में कर देता हूं कि वहां हमने क्लास वन को हटा के एलीमेन्ट्री लेवल कर दिया, इन्ट्री लेवल कर दिया। कोई भी स्कूल जहां भी उसकी इन्ट्री लेवल है वो क्लास वन से इन्ट्री देता हो तो क्लास वन में, नर्सरी में एडमिशन देता हो नर्सरी में और दो साल के बच्चों को देना शुरू करे तो

उसमें, पांच साल के बच्चों को देना शुरू करे तो उसमें, दस साल के बच्चों, आठ साल के बच्चों को। जहां भी उसका इन्ट्री लेवल है, उस इन्ट्री लेवल पर ये कानून लागू होगा। इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा और इसमें हम दिल्ली स्कूल एजूकेशन एक्ट में हम एमेन्ड कर रहे हैं।

ये दूसरा जो बिल है एमेन्डमेन्ट का बिल, उसमें हम एमेन्ड करना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कैपिटेशन फीस लेता हुआ पकड़ा जाता है, वो स्कूल तो उसके ऊपर जितनी कैपिटेशन फीस लेते हुए पकड़ा गया उससे टेन टाईम्स या पांच लाख रुपये जो भी हायर हो, उतना उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। मान्यता रद्द करने से कुछ नहीं होगा। स्कूल वायलेशन करे और आप मान्यता रद्द करने का आदेश दे दो। क्या होगा? हजार बच्चे रोएंगे, उनके पैरेन्ट्स रोएगें। हजारों बच्चों का भविष्य खराब होगा। टीचर्स का भविष्य खराब होगा। वो ठीक नहीं है, और अगर कोई स्कूल दूसरी बार पकड़ा जाता है, वही अफेन्स करते हुए तो उसके ऊपर दस लाख रुपयें तक का जुर्माना होगा क्योंकि फिर वो बाज नहीं आ रहा है। ये ग्रेडेड पेन्लाटीज बहुत जरूरी है। अभी अगर देंखे तो मैंने कहा कि सिर्फ मान्यता रद्द करने की पावर थी लेकिन इसमें पेनाल्टी के साथ–साथ हम डिमार्टमेन्ट को और भी पावर देने की बात कर रहे हैं उसमें डी.एस.ई.ए.आर. के एमेन्डमेन्ट में, कि वो स्कूल को वार्निंग दे सकें। उसको अगर किसी तरह की कोई मदद दी जा रही है तो वो रोक सकें। उसके ऊपर फाईन लगा सकें। उसके एडमिशन प्रोसेस पर पाबन्दी लगा सकें। इससे वो स्कूल के ऊपर थोड़ा सा और सख्ती करने में उन ऑफेन्सेज में जिन पे मान्यता रद्द करने की जरूरत नहीं है। उन ऑफेन्सेज में सख्ती करने में वहां रूल को फॉलों कराने में हमें मदद मिलेगी।

एक और बड़ी चीज जो हमारे डी.एस.ई.ए.आर. में हमें खामी के रूप में दिखी, दिल्ली एजूकेशन एक्ट में हमें खामी के रूप में दिखी, वो यह है कि

उसमें एक सेक्शन में सेक्शन 10 में लिख दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स को, स्टाफ को उतनी ही तनख्वाह देंगे, जितने की सरकारी स्कूलों में दी जाती है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं जब से शिक्षा मंत्री बना हूं, तब से कम–से–कम दो सौ अध्यापक साहस करके मेरे घर पर आकर के मिल चुके हैं, दफ्तर में आकर के मुझ से मिल चुके हैं और जो अण्डरस्टैंडिंग मेरी बनी है, मैं समझता हूं कम–से–कम 60–70 प्रतिशत स्कूलों में कहीं अध्यापकों के साथ, जो प्राईवेट स्कूलों के अध्यापक हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनको सेलरीज नहीं दी जा रही है। गवर्नमेन्ट स्कूल के बराबर तो छोडिए, गवर्नमेन्ट स्कूलों में तो टीचर्स की अच्छी सेलरी मिलती है। गवर्नमेन्ट स्कूल के टीचर्स की बराबर की सेलरी को तो छोडिए, मिनिमम वेजज तक की सेलरी नहीं दी जा रही है। मैं ऐसे स्कूल के अध्यापकों की शिकायत भी सुन चुका हूं और उन पर दिखवा के जांच कर रहा हूं। जहां अध्यापकों का दावा है कि उनको चार–चार, पाँच–पाँच हजार रुपये महीने की तनख्वाह दी जाती है। अगर हम चार–पाँच हजार रुपये महीने देकर अपने बच्चों को पढ़वा रहे है तो फिर हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ कर क्या रहे हैं? और ये हकीकत है। हम कानूनन चाहे जो हवाबाजी कर लें कि साहब कानून में ये लिखा हुआ है, कानून में हमने वो लिखा हुआ है। हकीकत क्या है दिल्ली के 1800 प्राईवेट स्कूलों की वो जान लीजिए। 1800 स्कूल में से मैंने कहा, मेरे पास कोई साईंटिफिक आँकड़ा नहीं है। हम इस डेटा को इक्ट्ठा करा रहे हैं लेकिन इसका साईंटिफिक आँकड़ा मिलना भी मुश्किल है क्योंकि एक टीचर्स का ग्रूप मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हमको चेक तो पूरा दे देते हैं लेकिन बाद में पैसे वापस ले लेते हैं। देखिये, कई स्कूल ऐसे हैं जो चेक पूरा दे देंगे टीचर्स को, लेकिन साथ–साथ ब्लैंक चेक साईन करा लेते हैं सेल्फ का और उसको विड्रा कर लेते

हैं। पहले तारीख को, दूसरी तारीख को तनख्वाह का चेक दिया और तीसरी तारीख को जा के टीचर के तनख्वाह में से सेल्फ का चेक पहले से लेके रखा हुआ था, पैसे निकाल लिये। ए.टी.एम. कार्ड लेके रखे हुए हैं। ये सारी शिकायतें मुझे लगता है हमारे माननीय सदस्यों के पास में अलग–अलग माध्यमों से आयी होंगी। शिक्षा मंत्री होने के नाते ये मेरे पास भी आयी हुई हैं। मुझे लगता है जिस तरह से हम दिल्ली की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के हितों में काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर पर काम कर रहे हैं। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो प्राईवेट स्कूल के टीचर्स हैं वो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। उनके टैलेन्ट, उनकी मेहनत की वजह से ही हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं सिर्फ प्राईवेट स्कूल के प्रबन्धन की समितियां नहीं, उन टीचर्स को श्रेय देना होगा कि उनकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है।

अब हम कहें, अब हम स्कूल की तरफ जाते हैं एकाउन्टस की तरफ तो देखते हैं कि दो सौ रुपये, चार सौ रुपये लेने वाला स्कूल। कानून में हमने लिखा हुआ है कि सरकार के स्कूल के बराबर करेगा। वो जब देने चलता है तो उसके पास उतना फीस कलेक्शन तक नहीं होता हैं। अगर हम इसको डिक्टेट जारी करें जो कि हमारा पहले वाला बिल है फीस वेरिफिकेशन बिल, इसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए अपने खातों में किसी तरह हेराफेरी करना संभव नहीं है प्राईवेट स्कूल में। किसी भी प्राईवेट स्कूल्स के लिए अपने खातों में हेराफेरी करना संभव नहीं जाएगा फी वेरिफिकेशन बिल के बाद और जब वो हेराफेरी नहीं करेगा। ये सारा धन्धा उसका बन्द हो जाएगा। 40 हजार रुपये का चैक दिया 4 हजार रुपये की तनख्वाह दी 36 हजार रुपये वापिस ले लिए।

ऐसे में इस व्यवस्था को थोड़ा व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। जो दिल्ली में बहुत सारे बजट है करीब 500 या 600 स्कूल्स ऐसे है जिनकी मंथली फीस 1000 रुपये से कम है। उनके पास बच्चों की संख्या भी कम है। वो गरीब इलाकों में पढ़ाते है। वहां उनके पास उतनी क्षमता नहीं है और वहां जो टीचर्स पढ़ाते है, वह सहर्ष पढ़ा रहे है तो ऐसे में ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हैं टीचर्स के प्वांइट ऑफ व्यू से प्राईवेट स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स के साथ तो ये बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए टीचर्स के अधिकार की रक्षा करने के लिए डीएसईआर में एक और अमेंडमेंट ला रहे है और ये अमेंडमेंट कोई हवा से नहीं ला रहे है। जो राइट टू एजूकेशन एक्ट बना उसमें जो व्यवस्था दी गयी है कि सरकार प्राईवेट स्कूल्स के टीचर्स की फीस की व्यवस्था देखेगी व्यावहारिकता के साथ देखेगी, सरकार आर्डर जारी करेगी कि कितना प्राईवेट स्कूल्स की टीचर्स को कितना सैलरी मिलना चाहिए किस स्कूल को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था सरकार देखेगी। आरटीई में लिखा हुआ है। हमने वहां से उठाया है। उसको तो वहां से हम लेकर आ रहे है। अध्यक्ष महोदय और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपसे ड्यू परमिशन मांगते हुए दूसरे बिल को भी प्रस्तुत करूंगा जो दिल्ली शिक्षा का कानून है, मैं उसमें संशोधन का विधेयक लेकिन मूलतः इन बातों को रखते हुए कि दिल्ली की शिक्षा के लिए ये बहुत बड़े सुधारों की जरूरत है। हमने कुछ आदर्शवादी कानून बनाकर दुनिया को दिखाने के लिए उनको कागजों पर रख लिया जब भी लोग शिक्षा की बात करते है तो वो कागज लहरा दिए जाते हैं, 'देखो हमारे यहां शिक्षा ऐसे चल रही है।' दिल्ली के स्कूलों में जाकर देखिए, शिक्षा कैसे चल रही है। दिल्ली के प्राईवेट स्कूल्स में जाकर देखिए, टीचर्स से जाकर पूछिए, कि टीचर्स किस किस चीज से दुखी हैं। बच्चों से जाकर पूछिए,

बच्चे किस चीज से दुखी है। उनसे जो हमें समझ में आया उसके आधार पर दिल्ली की जनता की जरूरतों के हिसाब से हमने एक नया कानून प्रस्तावित किया है और दूसरे कानून की मैं अलग से अनुमति मांगूगा कि जो दिल्ली शिक्षा अधिकार का कानून है, उसमें संशोधन के लिए तो अध्यक्ष महोदय अपनी बातों को मैं यहां समाप्त करते हुए मैं आपकी और सदन की अनुमति से दिल्ली विद्यालय लेखों की जांच व अधिक फीस की वापसी विधेयक 2015 को सदन में पुनःस्थापित करता हूं।

v/;{k egkn;% अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 को सदन में इन्ट्रोड्यूज करने की परमिशन मांगे।

mi e[;e=h% अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 को सदन में पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

v/;{k egkn;% यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है वो ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इन्ट्रोड्यूज करें।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक दिल्ली विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 और उसके पहले जिस विधेयक की भूमिका में मैंने बातें कही, दोनों मिलाकर दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सदन की अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 को सदन में पुनः स्थापित करता हूं।

xj ljdkjh lnL;ksa ds ladYi

v/;{k egksn; % शुक्रवार का दिन गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प का रहता है। इसमें तीन संकल्प आज हमने रखें थे लेकिन राजेन्द्र पाल गौतम जी के यहां किसी का स्वर्गवास हो गया, उनका संकल्प अब इस सदन में नहीं रखा जा सकेगा। दूसरा श्री विजेन्द्र गुप्ता जी का प्रस्ताव आया। वो सुन रहे थे शायद बैठे हुए हैं, आ गए हैं। श्री विजेन्द्र गुप्ता निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि ये सदन संकल्प करता है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा पार्षेद क्षेत्र विकास निधि को सहकारिता समूह आवासीय समिति परिसर में खर्च करने की अनुमति दी जाए अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपना संशोधन भी दे सकते हैं। हां, विजेन्द्र जी।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, सदन के समक्ष आज दिल्ली की को–ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी जिनकी, संख्या लगभग डेढ़ हजार और दो हजार से ज्यादा होगी और द्वारका क्षेत्र में तो 98 प्रतिशत ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज है, पटपडगंज है, आईपी एक्सटेंशन है, पीतमपुरा है, रोहिणी है ऐसे

अनेकों स्थान विकासपुरी है। जहां पर ये दिल्ली के अन्दर जिस तरह की हाइडेंसिटी है पॉपुलेशन की और उसको ध्यान में रखकर के को–ओपरेटिव मूवमैन्ट के तहत एक सहकारी आंदोलन के तहत दो हिस्सों में 1980 के बाद और 1980 से पहले इस आंदोलन के तहत बहुत बड़ी संख्या में लगभग में समझता हूं 10 से 15 लाख लोग दिल्ली में इन ग्रुप हाउसिंह सोसायटीज में रहते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्योंकि ये law binding हैं कानून का पालन करते हैं पढ़े लिखे लोग है, मध्यमवर्गीय हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते है। इसलिए जो उनकी अपनी रिसपोंसिबिलिटी है वो उसको बखूबी निभा रहे हैं वो उसको बखूबी पूरा कर रहे है। लेकिन सरकार इन ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज में रहने वाले लोगों के शोषण के अलावा किसी भी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है। हालांकि मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे तथ्य पेश करना चाहता हूं जिसको जानकार के आपको भी हैरानी होगी। इन ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के अन्दर जो स्ट्रीट लाइट है, जो स्टेयर लाइटस है, पंप है, ...(व्यवधान)... अध्यक्ष जी मैं अपनी बात कहूं तो उनको कहिए आप। जब हम बोलते है बीच में तब भी आप हमारी तरफ देखते हो। जब वो बोलते है तब भी आप हमारी तरफ देखते हो।

v/;{k egkn; % मैं कह रहा हूं। ऐसा है विजेन्द्र जी, मनीष जी, जब बोल रहे थे तो आपने बोलने नहीं दिया उनको।

Jh fotUn xIrk % इन्हें तकलीफ क्या है? ये सोसायटीज के विरोधी है। ये चाहते नहीं है सोसायटी से लाभ मिले इसलिए चर्चा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। .....(व्यवधान)...

v/;{k egkn;% महेन्द्र जी बैठिए दो मिनट बैठिए, अलका जी बैठिए प्लीज।

Jh fotUn xqIrk % 9 महीने तक आप कहां सो रहे थे? दिल्ली की को–ओपरेटिव सोसायटीज के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, आप अपनी बात रखिए। मैंने रोक दिया है। ओम प्रकाश जी, आप बैठिए। मैंने रोक दिया उनको। आप तो बैठिए। महेन्द्र जी दो मिनट रूकिए आपका नाम चर्चा में है, दो मिनट बैठिए।

Jh fotUn xqIrk % कुछ ऐसे तथ्य सदन के समक्ष रखूंगा। मुझे मालूम है ये सदन बहुत संवदेनशील है। और एप्रीसिएट करेगा स्टेयर केसेज, पम्प हाउस, स्ट्रीट लाईटस और यहां तक की पीने के पानी को मोटर से ऊपर चढ़ाने के लिए कॉमर्शियल रेट से बिजली के चार्ज लिए जा रहे हैं। कॉमर्शियल जो पानी की सप्लाई वहां हो रही है उसमें हाइएस्ट स्लैब सबसे ज्यादा बडा स्लैब पानी की कीमत ली जा रही है।

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी मैं बीच में यहां रोक रहा हूं। पहले आप बात कहिएगा। मैं रोक नहीं रहा हूं। लेकिन बिजली में, पानी में क्या एमएलए फंड या कॉर्पोरेट का फंड खर्च हो सकता है?

Jh fotUn xqIrk % आपके सामने पहले पूरी बात आने दीजिए।

v/;{k egkn;% मेरा यह कहना है जो संकल्प है।

Jh fotUn xqIrk % आप क्यों घबरा रहे है अध्यक्ष जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। को–ऑपरेटिव सोसाईटीज के लोगों की बात आप इस सदन में क्यों नहीं आप डिस्कस करना देना चाहते? क्या उनका दर्द यहां नहीं आना चाहिए। उनकी तकलीफ यहां नहीं आनी चाहिए? क्या आप इसका सरकारीकरण करना चाहते हैं।

v/;{k egksn; % इसको पोलिटिकली विषय को रखेंगे?

Jh fotUn xqIrk % मैं आपको प्रैटिकल व्यवधान...

v/;{k egksn; % जो एमएलए फंड कारपोरेट फंड जिस चीज पर खर्च हो सकता है। उसी को आप रखे ना।

Jh fotUn xqIrk % होना चाहिए। मैं वहीं बताना चाहता हूं।

v/;{k egksn; % फिर तो सारी पब्लिक कहेगी मेरा मीटर एमएल ए फंड से लगवाओ। मेरा पानी का मीटर एमएलए फंड से लगवाओ।

Jh fotUn xqIrk % मैं अपनी सारी बात करना चाहता हूं यहां पर। उसके बाद आप आइए। आप पूरी सोसाईटी को चाहे वहां 50 फ्लैट है, चाहे वहां 100 फ्लैट हैं, चाहे वहां 500 फ्लैट है। सिर्फ एक पानी का कनैक्शन दिया जाता है और उसका फैरूल का साईज भी डिसाईड किया हुआ है पौना इंची। यानि की आप सोचिए 500 परिवार जिस कालोनी में रह रहे है, वहां पर जो पानी का स्रोत है, वो सिर्फ अपने बैठे हैं मंत्री जी 500 उस सिंगल कनेक्शन के एक

फैरूल से पौना इंची और वो भी रिजर्ववायर में जाता हैं वो भी स्टोरेज होती है उसकी। उसके बाद कॉमर्शियल बिजली के चार्ज देकर उसको मोटर से ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर वो जाकर के लोगों के घर तक पानी पहुंच पाता है यानि कि उस पानी की कीमत आम आदमी को दिल्ली में जितनी देनी पड़ती है, उससे कई गुणा ज्यादा। उनका अपराध यही है कि वो सारी व्यवस्थाएं खुद कर रहे हैं। 60 प्रतिशत वाटर चार्जेज के ऊपर 60 प्रतिशत सीवर चार्जेज लिया जाता है लेकिन सीवर के मामले में सीवर की मेंटनेस पर, सीवर की सफाई पर ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी के पास कोई जरिया नहीं है। वो मशीन कहां से लाएगें, वो सीवर को कैसे साफ करवाएगें? लेकिन उनको प्रताड़ित किया जाता है कि आपसे पैसा सरकार लेगी, लेकिन इस सीवर लाईन का रखरखाव आपको खुद करना है। 60 प्रतिशत चार्ज लिया जाता है और उस सीवर से सरकार का कोई लेना देना है और अगर सीवर डेमेंज हो गया है, खराब हो गया है, बैठ गया है, जो infrastructure उसका है, रिइन्स्टालेशन है उस पर 50–50 लाख रुपया अगर कोई खर्च करेगा तो उसमं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपनी जेब से पैसा देकर उस सीवर को बदलेगें।

अध्यक्ष जी, आज ऐसा लग रहा है। आज ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में आज स्थिति ये है कि ऐसा महसूस होने लगा है सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कि जैसे हम अपने घर में नहीं, हम किराए पर रहते हैं। पांच–पांच, सात–सात, आठ–आठ हजार रुपया हर महीने उनको सोसाईटी की मेंटीनेंस के लिए खर्च करना पड़ता है। सोसाईटीज के अन्दर।

व्यवधान... तकलीफ क्या है? आप बोलने क्यों नहीं देना चाहते? आप को–ओपरेटिव सोसाईटीज के विरोधी क्यों हैं? ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % नितिन जी, दो मिनट रुकिए। प्लीज सोमनाथ जी, राजेश जी, देखिए, जगदीश जी, विषय ये है जो संकल्प रखा है, उस संकल्प से हम डायवर्ट हो रहे है। नहीं, उससे डायवर्ट हो रहे हैं। नितिन जी, दो मिनट रुकिए प्लीज। ओम प्रकाश जी, दो मिनट रुकिए। आप संकल्प पढ़ लीजिए पहले संकल्प क्या है?

Jh fotsUn xIrk % हमारे वक्तव्य को भी जो संकल्प से जुड़ा हुआ है, हम चाहते है। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए। एक तो एमएलए फंड किन किन मदों पर खर्च हो सकता है। एक बार ग्रुप हाउसिंह सोसाईटी व्यवधान...

Jh fotsUn xIrk % कॉमर्शियल बिजली का रेट नहीं देगें हम। हम आपको साफ कहें और उसके लिए कितना बड़ा आन्दोलन दिल्ली में खड़ा करना पड़े। हम खड़ा करेगें। कॉमर्शियल रेट क्यों लेगें आप? आपको सपोर्ट करना चाहिए। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % वो संकल्प इसमें कैसे पास हो सकता है? राजेश जी ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % मेरा इस पर यह कहना है, विजेन्द्र जी, रुक जाइये। आप विषय को डायवर्ट करेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। एक सैकेंड बैठ जाइये। मैं यह कहना चाह रहा हूं सदन के सामने, विजेन्द्र जी ने अच्छा विषय रखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो इस संकल्प में आ ही नहीं सकता। इस संकल्प में नहीं आ सकता।

Jh fotsUnz xqIrk % क्यों नहीं आ सकता? ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % यह संकल्प का विषय ही नहीं है।

Jh fotsUnz xqIrk % आप कमर्शियल चार्ज लोगे दिल्ली के ...व्यवधान

v/;{k egkn; % आप संकल्प लाइये उसके लिए।

Jh fotsUnz xqIrk % सरकार उसका पैसा देगी। सरकार को कहिये, एमएलए फंड से करें। स्ट्रीट लाइट की पेमेंट एक सोसायटी में रहने वाला क्यों कर रहा है? बिजली के बिल की, हम जानना चाहते हैं।

Jh vkse izdk'k 'kekZ % अध्यक्ष जी, आम हमें मौका दीजिए, फेयर कीजिए. .. (व्यवधान)

v/;{k egkn; % ओम प्रकाश जी, फेयर बात कीजिए।

Jh vkse izdk'k 'kekZ % आप नहीं कर रहे।

v/;{k egkn; % ऐसे अनफेयर नहीं चलेगा। जब यह संकल्प ही नहीं

है तो यह पारित कैसे होगा। जितना यह भाषण दे रहे हैं यह संकल्प पारित कैसे होगा ...(व्यवधान)

Jh fotUnz xqIrk % अपने प्रिमाइसेज की सफाई खुद कर रहा है, स्ट्रीट लाइट खुद लगा रहा है, पानी की व्यवस्था खुद कर रहा है, पार्क की व्यवस्था खुद कर रहा है।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, पांच मिनट का समय दे रहा हूँ। आप कन्कल्यूड कीजिए।

Jh fotUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

v/;{k egksn; % आप एमएलए फंड कारपोरेट फंड पर आइये...(व्यवधान)

Jh fotUnz xqIrk % आप नहीं चाहते, सोसायटी वालों को रिलीफ मिले और जिस दिन...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % विजेन्द्र गुप्ता जी, मैं जो बात कह रहा हूँ। आप बैठिये।

Jh fotUnz xqIrk % मैं आपको बताऊं, भूख हड़ताल पर बैठ जाइये। उप मुख्यमंत्री जी खुद जूस पिलाने आयेंगे। तब आप जूस पिलाने आयेंगे।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, आप कन्कल्यूड कीजिए। पांच बज गये हैं। आप कन्कल्यूड कीजिए। आप विषय को डायवर्ट कर रहे हैं। आप विषय पर आइये।

Jh fotsUnz xqIrk % विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता? यह हमें नहीं समझ में आ रहा। क्या घबराहट है सत्तारूढ़ में? सत्ता पक्ष में क्या घबराहट है कि विपक्ष की बारी आते ही आप मुझको पूरी बात नहीं कहने देना चाहते ....(व्यवधान)

v/;{k egksn; % यह सारा संकल्प रह जाएगा।

Jh vkse izdk'k xqIrk % समय आपने खराब किया।

v/;{k egksn; % मैंने नहीं किया, आप खराब कर रहे हैं।

Jh fotsUnz xqIrk % मेरी बात पूरी हो जाती।

v/;{k egksn; % ओम प्रकाश जी, आप फिर गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ संकल्प से डायवर्ट मत कीजिए। विजेन्द्र जी, आप अपना संकल्प रखिये। आपका जो संकल्प है उस विषय को रखिये। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे संकल्प रखा जाता है। इसको पांच मिनट में खत्म कीजिए। यह भाषण का विषय नहीं है।

Jh fotsUnz xqIrk % मैं पूरी जानकारी दे दूंगा कि क्या–क्या शामिल होना चाहिए।

v/;{k egksn; % यह संकल्प है, संकल्प को संकल्प की तरह से लाइये। दो लाइन का संकल्प होता है।

Jh fotUnz xIrk % सर्विस चार्जेज अलग लिए जाते हैं।

v/;{k egkn; % एमएलए फंड से सर्विस चार्जेज जाएंगे क्या?

Jh fotUnz xIrk % बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे? सब जायेंगे।

v/;{k egkn; % एमएलए सर्विस चार्ज देगा क्या?

Jh fotUnz xIrk % कैसे पे करेगा एक आम आदमी स्ट्रीट लाइट का बिल। सरकार कोई व्यवस्था करें। 15 परसेंट रिबेट...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % एक सैकेंड दो मिनट बैठेंगे। कोई बोलिये नहीं। विजेद्र जी, बहुत गम्भीरता से ले लीजिए। जब दिल्ली में बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तब से लेकर 15 साल तक 20–30 सदस्य भाजपा के रहे हैं। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन में यह विषय क्यों नहीं डलवाया भाजपा वालों ने। उनके सामने संकल्प नहीं आया। आज आप डलवा रहे हैं। एक बार बात सुन लीजिए।

Jh fotUnz xIrk % आपको दिक्कत क्या है...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % ओम प्रकाश जी, रुक जाइये। मैं कानून की बात कर रहा हूँ।

Jh vkse izdk'k 'kekZ % आज की बात क्यों नहीं रहे...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % यह विषय डल ही नहीं सकता। एमएलए फंड डिफाइन है। मैं बात क्यों नहीं करूंगा। यह जो पिछली बात उठा रहे हैं, विजेन्द्र जी,

पिछली बात उठा रहे हैं, एमएलए फंड डिफाइन है। एमएलए फंड कहां—कहां खर्च हो सकता है। वे कानून बना हुआ है। विजेन्द्र जी, आप फिर बाद में मत कहियेगा। मैं दूसरों को समय दे रहा हूँ। इस संकल्प पर बोलने के लिए मैं दूसरों को समय दे रहा हूँ।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में एक विषय और डालना चाहता हूँ।

v/;{k egkn; % आपने विषय डाल दिये।

Jh fotUn xIrk % ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में सिंगल...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % यह सारे के सारे विषय रह जायेंगे। आप संकल्प पर नहीं बोल रहे हैं।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मैं संकल्प पर बोल रहा हूँ।

v/;{k egkn; % आप संकल्प पर बोलिये प्लीज।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, बहुत सारी सोसायटी के अंदर सिंगल मीटर है, एक मीटर से...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, मैं बार—बार टोक रहा हूं। मुझे दूसरों को इजाजत देनी पड़ेगी। आपका संकल्प यही है कि एमएलए फंड...(व्यवधान)

Jh fotUn xIrk % मैं संकल्प के अनुसार ही सारी बातें बता रहा हूँ क्या—क्या इसमें शामिल होना चाहिए।

v/;{k egkn; % किसमें?

Jh fotUn xIrk % इस संकल्प में।

v/;{k egkn; % एमएलए फंड में शामिल होना चाहिए...(व्यवधान)

Jh fotUn xIrk % एमएलए हैड में शामिल होना चाहिए।

v/;{k egkn; % इस संकल्प को आप डायवर्ट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं एमएलए फंड में शामिल होना चाहिए, वो अलग विषय है। एमएलए फंड तो पूरी दिल्ली के लिए है not only for society के लिए ...(व्यवधान)

Jh fotUn xIrk % मेरे एरिये में सोसायटी है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं।

v/;{k egkn; % वो एमएलए फंड में डायवर्ट हो रहा है।

Jh fotUn xIrk % वही तो मैं कह रहा हूँ।

v/;{k egkn; % ऐसा नहीं है।

Jh fotUn xIrk % मैं वहीं कह रहा हूं, मुझे इजाजत दी जाये। एक मिनट...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप गलत विषय ले रहे हैं।

Jh fotUn xIrk % बहुत सारी सोसायटी ऐसी हैं, जिसमें सिंगल मीटर है...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, प्लीज बैठ जाइये।

Jh fotUnz xqIrk % बोलने नहीं दे रहे, क्या दिक्कत है...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, मैं आपको पांच मिनट का समय दे रहा हूँ, जो बोलना है, बोल दीजिए।

Jh fotUnz xqIrk % आप चुप कराइये...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% आप समय बर्बाद कर रहे हैं।

Jh fotUnz xqIrk % इस सदन में कितना अन्याय होता है और विषय तक नहीं रखने दिया जाता। अपनी बात तक नहीं रखने दी जाती। सोसायटीज के अंदर...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% इस विषय को आपने डायवर्ट किया है। सदन के समय के साथ ज्यादती हो रही है। आप विषय को डायवर्ट कर रहे हैं...(व्यवधान)

Jh fotUnz xqIrk % अगर मुझे बोलने नहीं दोगे तो अगली बार आप हमारी जगह इसी तरह होंगे। देख लेना। सब देख रहे हैं।

v/;{k egkn;% कोई बात नहीं। नितिन जी, आप बैठ जाइये। राजेश जी, रुकिये। इस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए नितिन त्यागी जी ...(व्यवधान) नितिन जी, आप आपने विषय पर बोलिये।

Jh fufru R;kxh % सर, यह बात सच है...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप बोल ही नहीं रहे। आधा घंटा हो गया, आपने समय बर्बाद किया। आपका आधा घंटा हो गया। आपकी बात क्या सुनूं? आप विषय को डायवर्ट कर रहे हैं। जगदीश जी, मुझे बता दीजिए, आधा घंटा हो गया, ईमानदारी से मेरी बात सुन लीजिए। जगदीश जी, मेरी बात सुन लीजिए। नितिन जी, एक सैकेंड रुकिये। जगदीश जी, संकल्प दिया है सीधा कि यह सदन संकल्प करता है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि मेरा एमएलए फंड, मैं सोसायटी में खर्च कर सकूं...(व्यवधान)

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, मैं आपके मैम्बरों की तरह पढ़ कर नहीं आता हूँ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % टोटल विषय को डायवर्ट कर रहे हैं। वो संकल्प पारित ही नहीं हो सकता।

Jh fotsUnz xqIrk % लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, तभी मेरे क्षेत्र ने मुझे जिताया है। यह समझ लो आप...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % बैठ जाइये। राजेश जी, बैठ जाइये। आप कोई जरा बोलेगा नहीं, पांच मिनट रुकिये। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इनको जो बोलना है, बोल लेने दीजिए।

Jh fotsUnz xqIrk % हमें अपनी बात कह देने दीजिए।

v/;{k egkn; % आप पांच मिनट...(व्यवधान) मेरी ड्यूटी बनती है, अगर कोई संकल्प दिया है...(व्यवधान)

Jh fotUn xqIrk % सेंसर।

v/;{k egkn; % संकल्प पर बोलिये आप। पांच मिनट में कन्कल्यूड कीजिए।

v/;{k egkn; % अब जरा कोई बोलेगा नहीं पांच मिनट रुकिये। पाँच मिनट रुक जाइये प्लीज। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनको जो बोलना है, वो बोल लेने दीजिये।

Jh fotUn xqIrk % बस हमें अपनी बात कहने दीजिये।

v/;{k egkn; % आप पांच मिनट।

Jh fotUn xqIrk % ये तो पहले ही था।

v/;{k egkn; % नहीं, मेरी ड्यूटी बनती है।

Jh fotUn xqIrk % क्या?

v/;{k egkn; % अगर कोई संकल्प दिया है। मैंने उस संकल्प पर बोला है, बोलने लगते हैं

....(व्यवधान)....

v/;{k egkn; % आप पांच मिनट में कन्कल्यूड करिये।

Jh fotUn xqIrk % बहुत सारी सोसायटी ऐसी हैं जिनमें सिंगल पाइंट

पर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। एक मीटर पर और उसके बाद सोसायटी के लोग खुद अपने घरों तक लाइन लेकर गये हैं और मीटर लगाये हैं। हम चाहते हैं कि यह सिंगल पाइंट सिस्टम खत्म होना चाहिए। हर घर को उसके लिए जो बिजली कंपनियां हैं वो सोसायटी से 50–50 लाख रुपये की डिमांड कर रही हैं। सोसायटीज के अंदर सिंगल मीटर होने से विवाद हो रहे हैं। सिंगल मीटर की ये जो प्रथा है जिन–जिन सोयटीज में नहीं है। लेकिन जिन–जिन सोयटीज में ये है, उनके घरों तक मीटर लगाने का खर्चा सरकार वहन करे। क्योंकि दिल्ली में हर घर तक सरकार की जिम्मेदारी है बिजली पहुंचाने की। ठीक उसी तरह पानी का एक कनेक्शन से काम नहीं चलेगा। आप पचास–पचास ये एक–एक ब्लाक पर एक–एक कनेक्शन दीजिये अलग–अलग। हर घर तक दे सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है लेकिन में इतना कहूंगा कि हर एक ब्लाक तक पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। सफाई व्यवस्था। स्वयं सफाई करते हैं सोसायटी के लोग अपना पैसा खर्च करके

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दो मिनट बोल लेने दीजिये। प्लीज, चलिए–चलिए।

Jh fot Un xIrk % पार्कों में माली की व्यवस्था वो स्वयं करते हैं। जो सर्विसेज हैं अध्यक्ष जी। जो सर्विस है उस पर भी ये सरकार का पैसा खर्च होना चाहिए और जब कभी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर। ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आप सरकार की बात कर रहे हैं या एमएलए फंड की बात कर रहे हैं।

Jh fotUnj xqIrk % सरकार और एमएलए फंड एक ही बात है।

v/;{k egkn; % नहीं, एक बात नहीं है।

Jh fotUnj xqIrk % बिल्कुल एक बात है। आपको एमएलए को जिनके क्षेत्र में सोसायटी है उनको अतिरिक्त प्रतिवर्ष 5–5 लाख रुपया कम से कम हर सोसायटी के लिये उपलब्ध करना होगा, ये हमारी मांग है और जिन एरिया में एमएलए के एरिया में सोसायटी है, हर सोसायटी को 5–5 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाय उपलब्ध कराया जाए। जिससे की ये सारे काम वहां पर सर्विसेज के जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए अलग से जो भी खर्च होगा लेकिन जो सर्विसेज है उसके लिए अलग से 5–5 लाख रुपया हर सोसायटी को सरकार उपलब्ध कराये ये हमारी मांग है और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जितना नॉन संयत तरीके से इस सदन के अंदर इस पूरे मामले को लिया जा रहा है ये आप समझ लीजिये हम दिल्ली की एक–एक गली मोहल्ले तक जाएंगे इस विषय को लेकर के कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और मैं ये संकल्प यहां पर पेश करता हूं कि जो कुछ मैंने यहां पर प्रस्तुत किया है वो तमाम चीजें एमएलए हैड से जोड़ी जाएं और जिन एरिया में सोसायटीज है, वहां का एमएलए फंड आप कम से कम तीन गुना उसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % चलिये, नितिन गुप्ता जी।

Jh fufru R;kxh % सर आप गुप्ता जी से इतने प्रेरित हो गये।

v/;{k egkn; % नितिन त्यागी जी। सॉरी।

Jh fufru R;kxh % हां सर, बिल्कुल सही बात है गुप्ता जी की कि जो भी एमएलए जहां तक भी वोट मांगने के लिए जाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने MLA लैड से है वहां पर उस क्षेत्र का भला कर सके। मानता हूं इस बात को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर बड़ा अजीब सा लगता है बल्कि बहुत डिसएप्वाइटिंग लगता है ये देखके कि जितनी प्रसेन्टज ऑफ अवेयरनेस हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन को दिल्ली सरकार के कामों के बारे में है वो उतनी भी नहीं है जितनी प्रसेन्टेज ऑफ रिप्रजेन्टेशन उनकी इस एस्टीम्ड हाउस में है। न सिर्फ इस पूरे के पूरे हाउस की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि 22 साल बाद कम से कम 22 साल बाद ही सही पर आपको याद तो आई सोसायटीज की। आप ही लोगों के टाइम पर बनी थी।

...(व्यवधान)...

Jh fufru R;kxh % वो भी जानते हैं मैं भी जानता हूं

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % राजेश जी, उनको बोलने दें एक बार नितिन जी को, प्लीज।

Jh fufru R;kxh % एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि आपका ज्ञान थोड़ा सा कम रहा है कि MLA LAD जो है सी.एम.साहब के आदेश

से 16.11.2015 को एक आर्डर पास किया गया जिसमें Competent Authority has decided that the works mentioned under non-permissible list of MLA LAD guidelines at serial no. 2 pertaining to cooperative institutions should be deleted from the list of non- permissible works and consequently, the works inside coopertative group housing societies can be carried out through MLA LAD Fund. इसके बारे में पता नहीं था, इस वजह से

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn;% उनको बोलने दो।

Jh fufru R;kxh % गप्ता जी कहें तो इनको मैं बता दूं।

...(व्यवधान)...

Jh fufru R;kxh % अच्छा, ये तो दिल्ली सरकार ने कर दिया ये एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं? एमसीडी वाला जो काउंसिलर का काम है, उसके बारे में क्यों नहीं कोई रिजोल्यूशन लाते। क्यों नहीं कोई डिसीजन लेते? कहना अच्छा है कि आपने उठाया। हम बिल्कुल मानते हैं पर ये जो आप रिजोल्यूशन लेकर आये हैं जो कि ये आलरेडी एमएलए लैड की बात हो रखी है; इस रिजोल्यूशन को चेंज करके और अमेंड करके अगर आप डालेंगे तो बेहतर रहेगा। सर, मैं इसमें एक अमेंडमेंड बस ये देना चाहूंगा। proposed to move the following amendment to the resolution moved by the Leader of Opposition Sh. Vijender Guptaji the Councilor Area Development Fund must be allowed to be used inside the Group Housing Society Complex just

as the way MLA Lad fund being using or has been allowed to be used for the said purpose by the order dated 16.11.15. तो आप इसको जरा चेंज कर लीजिएगा, चेंज करके डालेंगे तो हम सब लोग आपके साथ हैं।

Jh fotUn xIrk % आप यहां कुछ काम करिए ताकि तभी तो...

Jh fufru R;kxh % हम आपके साथ हैं आप इसको चेंज करके डाल दीजिए, हम लोग सब आपके साथ हैं

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % लागू तभी होगा जब प्रस्ताव आयेगा न। कोई एमसीडी से प्रस्ताव आया है क्या?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % उनको नितिन जी को पूरी बात कर लेने दो। महेन्द्र जी।

Jh egUn xk;y % अध्यक्ष जी, धन्यवाद और धन्यवाद आज कम से कम सदन के अंदर रुकने के लिए विजेन्द्र गुप्ता जी का करता हूं। अभी तक तो बात कही और बाहर भाग गये। ये काम करते थे। ''हम न मंदिर की बात करते हैं न मस्जिद की बात करते हैं।

जनता के जो पैसे जो सरकार इक्ट्ठी करती है।

जनता के दर पर ही उन पैसों को खर्च करने की बात करते हैं

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn;% महेन्द्र जी आप अपनी बात रखिये। आप बोलते रहिये, अपनी बात रखिये बस।

Jh egUnz xks;y% मैं बात रख रहा हूं बिल्कुल आज कम से कम याद तो आई विजेन्द्र गुप्ता जी को इन सोसायटीज की। अभी तक तो बीस साल से पच्चीस साल से जो भी चल रहा था खेल इन सोसायटियों के प्रति सौतेला व्यवहार कांग्रेस के द्वारा भी और बीजेपी के द्वारा भी ये कम से कम मैंने सदन के अंदर दिल्ली विधानसभा के इसी सदन के अंदर जिस दिन क्वेश्चन उठाया था तो विजेन्द्र गुप्ता जी यहां से उठ के यदि रिकॉर्डिंग निकाल लेना यहां से उठके बाहर चले गये थे।

...(व्यवधान)...

Jh egUnz xks;y% गुप्ता जी, सुनने का माद्दा चाहिए। आपको मैंने सुना है। गुप्ताजी, आपको मैंने सुना है। आप मुझको भी सुनके देख लीजिये। 24 जून को इसी सदन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन उठाया था जो कि ये आपके पास रिकॉर्ड है और आपके पटल के ऊपर भी भेज दिया है मैंने। आपके पास ये कॉपी शायद पहुंच गई होगी। तो आप भी उस कॉपी को पढ़ ले और एक–एक शब्द जो रिकॉर्डड होता है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं।

अध्यक्ष जी, धन्यवाद जो आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, दिल्ली में लगभग 2000 ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज हैं जो दिल्ली रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इसके अतिरिक्त कॉआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटीज भी हैं। दोनों प्रकार की सोसायटीज में अंतर ये है कि हाउस बिल्डिंग सोसायटीज को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बल्क में जमीन दी जिस

पर सोसायटीज की प्रबंध समितियों के सदस्यों ने पॉकेट एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न साइजों के प्लाट काटकर आवंटित किये तथा इन प्लाटों पर सदस्यों ने डीडीए से नक्शा पास करवा कर अपने मकान स्वयं बनवा लिये और इन सभी सोसायटियों के विकास कार्यों मे सरकार पैंसा खर्च करती है लेकिन इसी प्रकार की जो ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज उसके ऊपर किसी प्रकार का खर्च नहीं होता। जैसा पानी, सीवर, पार्क, सफाई, सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइटें इनकी सबकी व्यवस्था सोसायटी फंड से सोसायटी के लोग खुद करते हैं। ये पूरा का पूरा इस सदन के अंदर रहा है। एक–एक शब्द रिकॉर्डेड है। निकाल कर देख लेना आप। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फंड, एमएलए फंड, सांसद फंड यहां इन सोसायटियों में नही लगता। किसी भी प्रकार का काउंसिलर फंड भी नहीं लगता। तो मेरी आपसे एक अपील है कि इन सोसायटियों के लिये एमएलए फंड, काउंसिलर फंड, एमपी फंड ये इन सोसायटियों के अंदर लग सके जिससे कि इन सोसायटियों का उद्धार हो सके। ये 24 जून के अंदर इसी सदन के अंदर ये क्वेश्चन उठ चुका है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % ओमप्रकाश जी, विजेन्द्र जी, ये बात ठीक नहीं है।

Jh vke iznk'k 'kek % लागू नहीं हुआ

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % 16 नवम्बर को लागू हो गया, आपको पता ही नहीं है, 26 नवम्बर को नोटीफिकेशन हो गया। आपको मालूम ही नहीं है

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % आप जून की बात कह रहे हैं। मैं 1 मई को...

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % सत्येन्द्र जैन, जी बैठे हैं। कहां गये जैन साहब? जैन साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। जैन साहब गवाह है मुख्यमंत्री जी यहीं पर है। आप जून की बात कर रहे हैं मैं मई में गया था अंदर जाकर मैंने बात की थी और आग्रह किया था और एक मेमोरेंडम दिया था मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था जो कहा था वैसा वो ही किया।

Jh egUn xk;y % गुप्ता जी सुनिये आपको सुनने की हिम्मत चहिए और ये 16 नवम्बर के अंदर मैं धन्यवाद करता हूं सीएम साहब का भी और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी का भी कि 16 नवम्बर के अंदर ये फंड्स एमएलए फंड्स इस सरकार ने पास करके इन सोसायटियों के अंदर खर्च करने की सभी के सभी अधिकारियों के पास ये कापी भेज दी है जो आपके पास भी आ चुकी है। सत्तर के सत्तर एमएलओ के पास भी आ चुकी है और कंसर्न डिपार्टमेंट जिनते भी हैं ये इसके अंदर लिखे हुए हैं। 27 एजेंसी हैं तो आप भी ये कापी ले लेना। शायद आप इनको पढ़ते नहीं हो।

...(व्यवधान)...

Jh egUn xk;y % ये आपका काम हम करवा चुके हैं इसके लिए आपको धन्यवाद बोलना चाहिए

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn;% महेन्द्र जी, पूरा कीजिये, प्लीज कन्कल्यूड कीजिए जल्दी से। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है

...(व्यवधान)...

Jh egUnz xk;y % अध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं। अपनी बात को कहने में विश्वास रखते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तो सिर्फ सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस बात को सदन में बहुत गहराई से इन्होंने सुना और 16 नवम्बर पास करके जो ये बिल दिया है, आर्डर दिया है इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn;% श्री गुलाब सिंह जी।

Jh xqykc fl¡g % अध्यक्ष महोदय

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn;% सहरावत जी, प्लीज।

duZy lgjkor % जो इन्होंने इश्यू उठाया है एमएलए फंड का उसकी कोई relevance नहीं है। असल में मामला ओनरशिप का है। ये सारी दिक्कतें सोसायटीज में इसलिए हैं क्योंकि वहां पर कलैक्टिव ओनरशिप है और वहां पर सरकारी फंड जब हो सकता है जबकि जो पब्लिक एरिया है वो पब्लिक को

सौंपा जाए। तो आपको डीजेबी एक्ट और डीआरसी एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % गुलाब सिंह जी।

Jh xqykc flag % अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथी श्री विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो बातें रखी लेकिन वो बड़ा निराशाजनक रहा जो पिछले दस मिनट से पन्द्रह मिनट से जो काम पांच मिनट में हो सकता था, उसके लिए सदन का जो समय व्यर्थ हुआ है। ये वास्तव में बहुत दुखदायी है। लेकिन मैं थोड़ा समय लूंगा, ज्यादा नहीं 5–7 मिनट। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को बताना चाहता हूं। 16 नवंबर का तो आप सबने बताया कि ये रेजल्यूशन से आर्डर पास हो चुका है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के प्रति आपने बड़ी संवेदना रखी। बड़ा दुख हुआ आपको। मैं आपको प्रूफ लाकर दूंगा। 6 नवंबर से ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने 20000 लीटर पानी का जो प्रोफिट होना चाहिए था, जो लाभ मिलना चाहिए था वो ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पूरी द्वारका में, मैं वहां से विधायक हूं पूरी द्वारका की सोसायटीज में जाकर पूछ लेना कि उनको ये लाभ मिला है कि नहीं मिला है। पूछ लेना एक बार जाकर आपको पता चल जएगा। अगर किसी सोसायटी के अंदर अभी आपने मीटर की बात की। अगर किसी सोसायटी में 100 फ्लैट हैं तो दिल्ली जल बोर्ड ने 100 x 20000 लीटर का बिल भेजा है लेकिन आपकी डीडीए ने क्या किया 10–10 लाख रुपये के पानी के बकाया बिल भेजे उन सोसायटी वालों को अगर आपमें हिम्मत है तो अपने सांसद को कहियेगा कि

वो बिल माफ करा दे उन लोगों के। अगर आपमें हिम्मत है तो करिएगा आप लोग। लेकिन ये आप लोग कर नहीं सकते। उसके अलावा मेम्बर हैं आप तो। माननीय पावर मिनिस्टर श्री सतेन्द्र जैन जी के लगातार संपर्क में हूं और जो ये आपका दुख है 400 युनिटों वाला ये ऑलरेडी सतेन्द्र जैन जी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और बहुत जल्दी ये भी खुशी आपको मिलने वाली है कि 400 यूनिट का भी फायदा उन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के सारे फ्लैट वालों को होगा और उनको individual मीटर मिलने का भी हक बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं आपके संज्ञान में ये बात रख देता हूं। दूसरा जो बहुत ही गंभीर है वो ये है कि अगर आपको ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से इतना प्यार है, उन लोगों से इतना प्यार है तो जरा एक बार आप कहियेगा ये जो रोड टूटे हुए हैं, जो स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जहां पर ये सारे लोग चलते हैं और आपको इतनी ही उनसे हमदर्दी है तो ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से जाकर पूछियेगा कि दिल्ली पुलिस का व्यवहार उनके प्रति कैसा है। उन लोगों के प्रति कैसा है। ये सारी की सारी चीजें आपके अंडर में आती हैं और आप कर सकते हैं और काउंसिलर फण्ड की बात करी आपने...

...(व्यवधान)...

Jh x|ykc fl|g % आपने द्वारका की बात की इसलिए बता रहा हूं। ये सारे काम सरकार ने किये हैं शायद आपने तो आज बेकार में सदन का समय व्यर्थ किया है वरना ये पता तो आपको भी है। पता हमें भी है लेकिन हमारी अगर जरा सी भी आप थोड़ा सा भी मदद कर सकते हैं। सरकार की मदद कर सकते हैं। उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं तो आप अपने सांसदों

से कहकर ये लोकसभा में भी इसको उठवायें के सांसद फंड भी इसमें लेकर आइये। एक आर्डर पास कराइये। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने काउंसिलरों को कहिये। लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। सिर्फ लास्ट बात कहकर के खत्म कर रहा हूँ। रोजाना इस तरह की बातें सुनते हैं जैसे पता नहीं पिछले 18 महीनें में इन्होंने क्या कर लिया...(व्यवधान) चुनावों से पहले तो आपने भी कहा था।

हम लाएंगे जनधन, हम लाएंगे कालाधन।

और बाद में कहां से लाएं जनधन?

कहां से लाएं कालाधन?

अब आपके सामने खुद जा बैठे लंदन।

तो भाई साहब काम कर लेना वरना हालत ये होगी लोगबाग और बच्चे भी कहावत कहनी शुरू कर रहे हैं ''खोदा पहाड़ और निकला मोदी''

बहुत–बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया।

v/;{k egkn;% राजेश जी, बहुत संक्षेप में। बस अंतिम है।

Jh jkt'k xqIrk% अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो लाइनों में अपनी बात कहना चाहूंगा। आपने बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साहब ने इसमें जैसे की अभी गुलाब सिंह जी ने भी कहा कि बेमतलब ही समय व्यर्थ किया। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद अब पछताये क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बहुत पुरानी कहानी हो ली अब शायद आपको लग रहा है कि आप वहां से जीत गये बाकी सब तो हार गये थे। तो जिनके

वोट से आप जीत गये उनके साथ भी आप न्याय नहीं कर पाये। क्योंकि बहुत पहले ही ये सवाल उठ गया। हमारी टिकट पक्की है। हम नहीं डरते। रही बात काउन्सलर के फण्ड की आपको कोई टेन्सन ज्यादा होनी नहीं चाहिए। एमसीडी आपकी है ही। भाभी जी भी वहां से काउन्सलर हैं तो क्यों चिन्ता करते हो। कोई चिन्ता वाली बात नहीं है। रही बात शर्मा जी ने कहा था, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने ये उनकी वजह से किया। हमारा तो मानना है साहब हम भी तो आपकी वजह से ही हैं। अगर आपकी नीतियां ऐसी नहीं होती जनता के प्रति तो हम कभी नहीं आते। आपकी वजह से ये पार्टी बनी है। आपकी वजह से वो आन्दोलन खड़ा हुआ। सब कुछ आपकी वजह से, आपने ये इतना कुछ किया। हम तो कह रहे हैं कि आपकी वजह से हैं हम। लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगें जैसा अरविन्द जी ने पहले दिन अपनी शपथ लेते हुए कहा था कि किसी और पार्टी को खड़ा होना पड़े। हम हमेशा जनता के लिए उत्तरदायी है, जनता के लिए खड़े रहेंगे, जनता के कामों को करते रहेंगें। ये हमारा वादा और एक बात। ....(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % चलिए।

Jh jkts'k xqIrk % अब इस डर का कोई फायदा नहीं है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री जी को कि जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लीयर कर दिया कि जहां–जहां पर भी आप जा सकते हैं, जहां पर भी आप वोट मांगने के लिए जा सकते हैं। वहां पर आप अपना फण्ड भी लगा सकते हैं। आप लोगों

की सेवा कीजिए। लोगों की सेवा करने के लिए वोट मिला है। विजेन्द्र भाई साहब, ये तो पहले ही पास हो चुका हैं। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn; % और अन्त में माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री मनीष सिसौदिया जी चर्चा का उत्तर देंगें।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के साथियों को खास तौर से नेता प्रतिपक्ष की इस चिन्ता को लेके सहमत हूँ कि हाउसिंग सोसायटीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है। और उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। पर कुछ प्रेक्टिकल करने की जरूरत है। आज हमारे साथी विजेन्द्र गुप्ता जी यहां प्रस्ताव लेकर आयें हैं कि ''यह सदन संकल्प करता है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और पार्षद विकास निधि को सहकारिता समूह आवासीय समिति परिसर में खर्च करने की अनुमति दी जए।'' कल को हो सकता है ये यह भी प्रस्ताव लेकर आएं कि सूरज को निकलने की अनुमति दी जाए ताकि सुबह 6 बजे निकल सके और कल सात बजे खड़े होकर कहें कि देखों हम कल प्रस्ताव लाये थे सदन में और सूरज सुबह निकल आया। कर सकते हैं मर्जी है जी उनकी। क्यों नहीं कर सकते? प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव तो किसी भी मुद्दे पर लाया जा सकता है। मैं जब ये प्रस्ताव पढ़ रहा था तो इसके ऊपर मुझे हंसी आ रही थी। एक प्रस्ताव का आदेश को ...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % हाँ बैठ जाइए, कोई बात नहीं।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, हमारे पास तो, मुझे हंसी इसलिए आयी। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मुझे लगा कि इसका एक हिस्सा दिल्ली सरकार

न सिर्फ पास कर चुकी है बल्कि लागू भी करना शुरू कर चुकी है। आज हमारे कई एम.एल.ए. साथी बैठें हैं और जो चाहे देख लें। हमारे कई साथियों के एम. एल.ए. फण्ड का हिस्सा उससे काम अभी कोई मेरे साथी बता रहे थे सोसायटी में खर्च भी होने लगा। इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठता था इस प्रस्ताव का। पता नहीं ये क्यों लेके आये? दूसरा प्रस्ताव, इस प्रस्ताव का दूसरा हिस्सा भी मुझे आश्चर्यजनक लगा। वो भारतीय जनता पार्टी के एम.एल.ए. हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। अपने पार्टी के मेयर्स को कह देते या प्रस्ताव पास कर दो। पार्षद फण्ड वहां खर्च होने लगेगा। ...(व्यवधान)... हम तो कर ही देंगे सर जी। ये स्प्रिंग लगा हुआ है क्या। बार–बार उछल जाते हो? थोड़ी देर बैठकर सुन भी लिया करो।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कल को ये प्रस्ताव ला सकते हैं सदन में कि साहब शिक्षा का बजट दोगुना किया जाए और फिर कल को बाहर आके कहेंगे कि देखों, हमने करवा दिया शिक्षा का बजट दो गुना। हालांकि इनको भी पता है कि शिक्षा का बजट दो गुना हो चुका है दिल्ली में। तो ठीक है, प्रस्ताव लाना उनका अधिकार है पर जैसी मैंने सूचना दी कि अभी तो विधायक फण्ड... मुख्यमंत्री जी एक बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ में और उसमें बकाया उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि अनाथराईज्ड कालोनीज में खर्च नहीं होता है, झुग्गियों में खर्च नहीं होता है क्योंकि कल को उस पार भी ये लाएंगे प्रस्ताव। मुद्दा उठाया था विधायकों ने। ये मैं पहले ही बता देता हूं। मुद्दा उठाया था विधायकों ने कि अनाथराईज्ड कालोनीज में एम.एल.ए. फण्ड खर्च करना हिच है, झुग्गियों में खर्च करना हिच है, सोसायटीज में खर्च करना हिच है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि देखिये, एम.एल.ए. फण्ड एम.एल.

ए. का डिस्क्रीशन फण्ड है बाकी तो चालीस हजार करोड़ सरकार अपने हिसाब से प्लान करके, नॉन प्लान करके, नॉन प्लानिंग और प्लानिंग में खर्च होता ही है पर ये एम.एल.ए. का अपना डिस्क्रीशन फण्ड हैं। एम.एल.ए. को खर्च करना चाहिए और एम.एल.ए. कहां–कहां खर्च करेगा। जो भी उस इलाके की जनता, जनता तो उसी से मांगेगी। एम.एल.ए. उससे थोड़े न ये कहेगा कि नहीं जी आप तो झुग्गी में रहते हो। सरकार ये एलाउ नहीं करती। नहीं जी, झुग्गी में रहते हो, मेरे कागज एलाउ नहीं करते। नहीं जी, उसका कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री जी की बैठक में मैं कोट–अनकोट बोल रहा हूं स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा गया था और लगभग मुझे लगता है सितम्बर के आसपास में बैठक हुई थी कभी कि जहां–जहां भी किसी विधान सभा क्षेत्र में वोटर रहता है वैसे तो नॉन वोटर भी रहता हो फर्क नहीं पड़ता पर उस वक्त के कोट–अनकोट मैं बोल रहा हूं। कि जहां–जहां से भी किसी भी पार्टी का कोई आदमी चुनाव के समय में वोट मांगने जा सकता है। जहां–जहां वो रहता है वहां–वहां वो एम.एल.ए. फण्ड खर्च हो जाना चाहिए। कोट–अनकोट। यहीं मिनट्स ऑफ दि मीटिंग्स में लिखा गया है। इनसिस्ट किया गया है कि इसको इसी रूप में लिखा ताकि आगे तक के लिए समझ दोगे। ताकि कल का कोई क्वेश्चन करने लगे कि नहीं साहब, उस गली में नहीं लगेगा। अगर उस गली में इन्सान रहता है; अगर वहां आदमी रहता है तो वहां एम.एल.ए. फण्ड लगेगा और अगर उस इलाके के लोग कह रहे हैं कि यहां फण्ड लगना चाहिए तो वहां फण्ड लगेगा। एम. एल.ए. को फण्ड उपलब्ध हो, न उपलब्ध हो। ये तो एम.एल.ए. पर निर्भर करेगा कि कितना उपलब्ध है, कितना उपलब्ध नहीं है। उसमें कहां प्रायरिटी देनी है, उसमें एम.एल.ए. पर निर्भर करेगा लेकिन कागजी डिस्क्रीशन नहीं होना चाहिए।

एम.एल.ए. का अपना डिस्क्रीशन हो सकता है कि वो कहां खर्च करता है। ये हमेशा से रहा है। वो किस क्षेत्र में किस चीज को प्रायरिटी देगा। लोगों से पूछ के उसकी अपना सेन्सिबिल्टी है। लेकिन कागजी डिस्क्रीशन नहीं होना चाहिए, ये सरकार का पुराना संकल्प है और सरकार इस पर काम कर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक नगर निगम के लिए अगर ये सदन आज आदेश देगा तो नगर निगम को इस बारे में निर्देश दे दिए जाएंगें कि पार्षद फण्ड भी उसी दिशा में खर्च हो जिस दिशा में एम.एल.ए. फण्ड खर्च किया जा रहा है। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % इस प्रस्ताव में नितिन जी का एक एमेन्डमेन्ट मेरे पास आया है।... किसका?

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी तैयार हैं। मेरे बिल को एमेन्ड करके और एम.सी.डी. का पास कर दीजिए।

v/;{k egksn; % नहीं, हमें क्या दिक्कत है। हम पास कर सकते हैं।

Jh jkts'k xqIrk % पचास–पचास सालों से देश के ऊपर खड़ा हुआ था जिसके लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं। उसको आप उठाते हैं और बात करते हैं। और शायद उसी वजह से जो कागज आपको दिखाया गया जो अब उन तक पहुंच गया है कि 16.11.2015 को हमने पास भी कर दिया है। शायद आज ये डर है कि जो वोट था, आज ये डर है कि जो वो वोट था वो भी जा रहा है। और देखिए कमाल की बात सांसद का नाम उसमें लेते नहीं हैं क्योंकि लगता है सातों के सातों के अन्दर घबराहट होती है कि कहीं उनकी टिकट अगली बार चली जाएगी। चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा। हमारे यहां ऐसा नहीं

है साहब। हम काम करेंगे। हमारी टिकट पक्की है। हम नहीं डरते साहब। रही काउन्सलर के फण्ड की बात, आपको कोई टेन्शन ज्यादा होनी नहीं चाहिए एम.सी.डी. आपकी...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % इस प्रस्ताव में नितिन जी का एक अमेन्डमेन्ट मेरे पास आया हुआ है।

Jh fotsUnz xqIrk % अमेन्डमेन्ट का क्या पास कर दूं। करिए आप मुख्यमंत्री जी तैयार हैं। मेरे बिल को एमेन्ड करके और एम.सी.डी. का पास कर दीजिए। हाँ तीनों फण्ड लगे।

v/;{k egkn; % नहीं, हमें क्या दिक्कत है। हम पास कर सकते हैं। नहीं, मैं तो इसमें एक और संशोधन कर रहा हूं। खाली एक सेकेण्ड। सांसद का भी इसमें जोड़ दिया जाए। सांसद का भी जोड़ए इसमें। विधायक का तो आलरेडी पास हो चुका।

Jh fotsUnz xqIrk % नहीं, एमेन्ड करके कि इसमें ये एड किया जा रहा है।

v/;{k egkn; % किसमें, देखिये मेरे पास नितिन जी का एक एमेन्डमेन्ट आया है मैं बोल देता हूं। पार्षद क्षेत्रीय विकास निधि को सहकारी समूह, आवासीय समिति परिसर में उसी प्रकार प्रयुक्त करने की अनुमति दी जाए जिस प्रकार सदस्य के लिए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को प्रयुक्त करने की अनुमति दी गयी है।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रस्ताव है। इसमें एक एमेन्डमेन्ट मूव करके और आप उसमें उसको कर दीजिए और अध्यक्ष जी, वो भी करिये।

v/;{k egkn; % हाँ, अब मैं इसमें ये कर रहा हूं। सुन लीजिए, सांसद और पार्षद। ...व्यवधान। एक सेकेण्ड। भईया, मेरी बात सुनिए। ओमप्रकाश जी, हम तो ये निगम के पास भेज देंगे, सांसद महोदय के पास भेज देंगे। हमारा तो प्रस्ताव है। सदन का प्रस्ताव है। कुछ छीन तो नहीं रहे हैं न? विकास की बात कर रहे हैं।

Jh fotUn xIrk % इसमें दो तीन चीजें हैं। जो कमर्शियल स्ट्रीट लाइट चार्जेज हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं उस पर भी सरकार।

v/;{k egkn; % उसको अलग लाइये आप। देखिए, मेरी भी। इसमें नहीं आ सकता।

Jh fotUn xIrk % आ सकता है। एमेन्डमेन्ट के साथ जोड़ दीजिए इसमें आप।

v/;{k egkn; % नहीं वो बीएसईएस का मैटर है। वो सारे कानून।

Jh fotUn xIrk % सरकार पर करें न।

v/;{k egkn; % नहीं, वो सरकार से बात करनी पड़ेगी न जी।

Jh fotUn xIrk % तो आप बताइए, एक एम.एल.ए. हेड से ये तो फिर असंवैधानिक ही हो गयी न। क्या एम.एल.ए. हेड से सारा खर्चा हो सकता है। आप बताइए मुख्यमंत्री जी। आप खुद वहां पर खुद आपके क्षेत्र में हैं। आप

बताइए, अगर आप फंड इन्क्रीज नहीं करेंगे किसी प्रकार से, तो क्या ये संभव है सारा, प्वाईन्ट एक तरफ रखिए।

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, एक सेकेण्ड। ओमप्रकाश जी, दो मिनट ऐसे नहीं। मेरी बात सुन लीजिए।

Jh fotUnz xqIrk % इसको थोड़ा सा प्रेक्टिकल बनाइए।

v/;{k egkn;% दो मिनट रुकिए। प्लीज

Jh fotUnz xqIrk % एम.एल.ए. हेड की लिमिटेशन है। उसमें कितना काम होगा। जब तक आप उसका स्कोप नहीं बढ़ायेंगे। तब तक सिर्फ कागजी कार्रवाई रहेगी।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, एक बार सुन लीजिए प्लीज। दो मिनट रुकिए। मेरी बात सुन लीजिए। भाई महेन्द्र जी एक सेकेण्ड प्लीज। एम.एल.ए. हेड की एक डिफिनेशन है।

Jh fotUnz xqIrk % मेरे एरिया में दो सौ सोसायटीज हैं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn;% भाई, बात तो सुन ली पूरी न। बात तो सुन लो। भई दो मिनट रूक जाइए। जरा प्लीज। भई, दो मिनट रूक जाइए। राजेश जी प्लीज। प्लीज रूक जाइए। एम.एल.ए. हैड की एक डिफिनेशन है कि इन इन मदों पर खर्च हो सकता है। ठीक है वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो एम.एल.ए. हेड को फिर डिफाईन करना पड़ेगा एक बात। बात नम्बर दो आपके यहां 200 सोसायटीज हैं। मेरे यहां दो सौ कालोनीज हैं। आपके यहां दो सौ सोसायटीज अगर है तो मेरे यहां दो सौ कालोनीज हैं।

Jh fotUn xIrk % आपकी कालोनीज में तो सरकार काम कर रही है। लगता है उसमें। सरकार का पैसा भी लगता है। हमारी सोसायटीज में तो फिर एम.एल.ए. हेड लगेगा। सरकार का पैसा थोड़े न। और स्ट्रीट लाईट सरकार की है।

v/;{k egkn; % एम.एल.ए हेड से स्ट्रीट लाईट आप खरीद सकते हैं। एम.एल.ए. हेड से किसमें, एम.एल.ए. हेड लगता है उनमें एम.एल.ए. हेड लगता है। आपकी सोसायटीज में लगता है। वो तो एक ही बात है। तो स्ट्रीट लाईट तो एम.एल.ए. हेड में हैं।

Jh fotUn xIrk % आपकी कालोनियों में स्ट्रीट लाईट सरकार पे कर रही है। बिल्कुल रस्म अदायगी कर रहे हैं। कोई इसमें लम्बा–चौड़ा लाभ नहीं होने वाला है। क्या फायदा होगा ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % ये संशोधित संकल्प नितिन जी का है, मैं सदन के सामने रख रहा हूं। सांसद व पार्षद क्षेत्रीय विकास निधि को सहकारी समूह आवासीय समिति परिसर में उसी प्रकार प्रयुक्त करने की अनुमति दी जाए, जिस प्रकार इस उद्देश्य के लिए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को प्रयुक्त करने की अनुमति दी गयी है।

जो इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

Jh fotUn xIrk % पूरा पढ़ दीजिए न। पूरा पढ़ दीजिए।

v/;{k egkn;% पूरा पढ़ रहे हैं। अब ये संशोधित प्रस्ताव मैं पढ़ रहा हूं।

v/;{k egkn;% फिर सुन लीजिए एक बार। सांसद व पार्षद क्षेत्रीय विकास निधि को सहकारी समूह आवासीय समिति परिसर में उसी प्रकार प्रयुक्त करने की अनुमति दी जाए जिस प्रकार इस उद्देश्य के लिए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को प्रयुक्त करने की अनुमति दी गयी है।

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें।

जो इसके विरोध में है वो ना कहें।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

ये विजेन्द्र गुप्ता जी का संकल्प नितिन त्यागी जी के संशोधन के साथ पारित हुआ, पारित हुआ।

श्री सोमनाथ भारती जी निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि ये सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के संवैधानिक और वैधानिक जनादेश को पूरा करने में निगमों के असफल रहने के कारण दिल्ली के तीनों नगर निगमों को भंग किया जाए और तुरंत चुनाव कराए जाए। हां, सोमनाथ भारती जी, आप बोलेंगे कुछ, अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते है और अपना संशोधन भी दे सकते है। शुरू करें?

Jh lkeukFk Hkkjrh% अध्यक्ष महोदय, ये जो टॉपिक है ये मेरे साथी

एमएलएज सबके दुख का बहुत बड़ा कारण है। जब आर्टिकल 243 डब्ल्यू के अनुसार म्युंसिपेलिटीज के राईट्स एण्ड रिस्पोंसिबिलिटी डिफाईन किए गए? तो ये माना गया कि म्युंसिपेलिटीज बनायी जाएगी वो उस क्षेत्र के निवासियों के रोजमर्रा की जिंदगी के समाधान लेकर आएगी। लेकिन जिस कद्र से हम सबने हमारे सारे साथियों ने अपने–अपने साल के राजनैतिक जीवन में अनुभव किया दिल्ली के अन्दर। नगर निगम हर तरह से विफल रहा उसका पूरा राजनीतिकरण किया गया। भाजपा 8 साल से होने के बावजूद दिल्ली के निवासियों की जो रोज की जिंदगी है जिसमें कि सबसे पहले सफाई आती है। हम सबने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री पिछले दिनों एक ऐप का लांच कर रहे थे। उसके कोई तीन–चार दिन के अन्दर कई हजार ऐसी शिकायतें दर्ज की गयी कि दिल्ली में सफाई नहीं हो रही। भाजपा को पता है कि दिल्ली के निवासियों को जो दिखता है सफाई है, सड़कें है, नाले हैं, पार्क है, स्ट्रीट लाइट्स है, पार्क की लाइट्स है, पार्किंग है ये सारी की सारी व्यवस्था नगर निगमों के पास है। लेकिन जानबूझकर के और आदतवश उस पर मैं आऊंगा। उसमें से कुछ भी नहीं होता दिख रहा और उसके नहीं होने के पीछे भाजपा के साथियों को लगता है उनके पार्षदों को, कांग्रेस के पार्षदों को लगता है कि शायद जनता के मन में रोष पैदा होगा आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रति। माननीय प्रधानमंत्री ने आते के साथ ही सफाई अभियान की शुरुआत की ''भारत स्वच्छता अभियान।'' दिल्ली और बद से बदतर होती गयी। गंदगी बढ़ती गयी कहीं सफाई दिख नहीं रही। जब माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों वो ऐप लांच किया तो एक हर्ष का माहौल दिल्ली में बना कि अब तो सफाई हो जाएगी और एमसीडी का राजनीतिकरण जिस तरह से हो रहा है, उसके दो example में आपके माध्यम से सदन के

सामने पेश करना चाहूंगा। पिछले दिनों छट का पर्व हुआ। पूरी दिल्ली में पहली बार इस कदर से सरकारी सहायता उस पर्व में दी गई कि सब को लगा कि सरकारी पर्व हो गया। मैंने अपने क्षेत्र में छट में जो घाट बनते हैं, उसको पक्का करवाया। डीडीए चूंकि मेम्बर डीडीए हूं। डीडीए के पार्को में तो बड़ी आसानी से छट का घाट पक्का हो गया। जब एमसीडी में मैंने ये बात कही और कई महीने पहले कही थी तो उन्होंने कहा कि वे कर देंगे। लेकिन एमसीडी के पार्को में जो छट के घाट बन रहे थे, उमें खुदाई करके छोड़ दिया और आखिरी के दो दिन पहले जब मैंने वहां विजिट किया तो मालूम पडा कि ये तो खोद कर छोड़ दिया गया। अब आखिरी के दो दिन में वो काम नहीं हो सकते थे। इसलिए उस क्षेत्र का काउंसलर जो भा.जा.पा. के हैं, वो घाट पर जाते है अपनी पाकेट से 10000 हजार रुपये निकालते है और कहते है ये हमारे पैसे से करा दो। और वो जो अधिकारी है एमसीडी का, वो भी उस पैसे को लेकर कराने को राजी है। अब मैं बड़ा सरप्राईज्ड हो गया कि एक सरकारी काम जो सरकारी तरीके से होना चाहिए था, पहली बात तो ये कांउसलर चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हों, अधिकतर तो भाजपा के हैं आज जो अकूत सम्पति बनी जा रही है। ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % ओम प्रकाश जी, एमसीडी को भंग किया जाए, उनका प्रस्ताव है। उसके लिए कारण तो देंगें ना वो। एमएलए लैड मैं आपको यही तो कह रहा था कि एमएलए लैड का खर्च किया जाए उसके लिए कारण दीजिए।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अरे भई, मैं तो बात कर रहा हूं कि भंग क्यों किया जाए।

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी। आप बात रखिए। संक्षेप में रखिए प्लीज।

Jh lkeukFk Hkkjrh % जनता ने फैसला किया है। ओ.पी.शर्मा जी जनता ने फैसला किया है बिहार में भी दिल्ली में भी। व्यवधान...53 और 356 अब हुआ है।

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, व्यक्तिगत आरोप मत करिए। आप अपनी बात रखिए। व्यवधान...आप अपने विषय को चलाइए ना

...(व्यवधान)...

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से सदन की गरिमा का बार–बार हनन करते हैं ओ.पी. शर्मा जी कुछ का कुछ बोल देते है सदन के अन्दर। आपके प्रति भी उनका भाव ऐसा ही रहा है। इसकी कॉग्निजेन्स ली जाए।

अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि जिस कद्र से आखिरी के दो दिन तक इस प्रोजेक्ट को पुश किया गया उसके बाद एमसीडी का अधिकारी उनके साथ मिलकर के कह रहा है कि हां जी, अब इनके पैसे से बना देते हैं। तो कांउसलर ने इस का फायदा उठाया कि दो दिन रह गया है और जनता को तो चाहिए और वो जो राजनीति की रोटी सेंकनी है, वो सेक लेते हैं। तो मैं बड़ा दुखी हुआ विधायक होने के बावजूद उस तरह के पैसे नहीं थे जिस तरह के पैसे बीजेपी कांउसलर के पास थे। उसका भी कारण है, अभी और क्यों ऐसे पैसे आ पाते हैं। उसको भी देखना जरूरी है। वे कांउसलर जो कि हौजखास वार्ड से आते हैं सरकारी जमीन पर कब्जा करके, ये आरटीआई का जवाब है, इस में लिखा गया है डीडीए से आया है खसरा नं. so and so is acquired by aWard number so and so, village Hauz Khas. Khasra number so and

so is under encroachment as reported by the concerned field staff of this office. The said encroachment has been done by Smt. Renu Singh. श्रीमती रेनू सिंह हैं वहां के लोकल काउंसलर की वाईफ। अब ये होटल किस तरह से चल रहा है ये कमरे देखिए। ये कमरे जो फाईव स्टार होटल के चल रहे हैं। करीब–करीब ऐसी एन्क्रोचमैन्टस सभी कांउसलर ने कर रखी है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, आप कन्कल्यूड कीजिए और उनकी बात मत सुनिये।

...(व्यवधान)...

Jh lkeukFk Hkkjrh% अध्यक्ष महोदय, अगस्त, 2015 में मेरे कई साथियों ने, मुझे मालूम हुआ, ये बात वहां के डीसी के सामने रखी कि जो सफाई कर्मचारी हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। उनका क्षेत्र साफ नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है, डीसी ने एक बार तो मान लिया कि हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं। किसी वार्ड में चार सौ हैं, किसी में तीन सौं हैं। किसी वार्ड में दो सौ हैं, किसी वार्ड में साढ़े तीन सौ हैं। अगले दिन वहां से फोन आ गया कि वे आपसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? तो हमारे एक साथी ने आज यहां पर उस बात को रखा। जो कि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट में भी आयी थी। MCD was found to have twenty two thousand eight hundred fifty three fictitious employees, ghost employees. 23 हजार घोस्ट इम्पलाइज. ..जो यही कारण रहा कि क्षेत्रीय विधायक को वहां के सफाई कर्मचारियों से

नहीं मिलने दिया गया। तो मन में शंका सभी को होती है कि जितनी काउन्सलर की तनख्वाह भी नहीं होती। और यदि इस सब को काउन्ट किया जाये तो उनको तीन हजार रु. मेहनताना मिलता है महीने का। इस छोटी सी राशि से कोई जो होटल में वेटर था, उसके पास आज 11 मकान हैं, किसी के पास फाच्युनर है। कोई जो पंक्चर लगाया करता था, उसके पास आज गोवा में एक कैसीनो है।

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, विषय को सक्षिप्त कीजिए प्लीज। जरा कन्कल्यूड कीजिए। अभी कई विधायकों को बोलना है।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज की तारीख में अगर दिल्ली वासियों के मन में घृणा है सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति तो उसका मूल कारण एमसीडी की निष्क्रियता है और उसका मूल कारण भाजपा का एमसीडी का राजनीतिकरण करना है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आप उसमें देखिये। जो कल बात कर रहे थे अनाथराइज्ड कालोनीज की। ये बनती कैसे हैं, बनवाता कौन है? पैसे कहाँ जाते हैं? कालोनी पर कालोनी बनी है। डिजास्टर बन गया है, trap बन गया है क्योंकि एमसीडी के अधिकारी काउन्सलर के साथ मिलकर एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं। बड़ा रैकैट चला रहे हैं। सर, इनका घर उस सम्पत्ति से भरा हुआ है, उस सम्पति को उस तरह से उपयोग में लाये। अब इन कारणों से जब एमसीडी इस तरह बन गई है तो किया क्या जाये उसका? उसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे साथी अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन मैंने इस रेजल्यूशन को इसलिए मूव किया है कि

इस मुद्दे पर सरकार विचार करे और मेरे नजरिये से एक तरीका है कि तीनों एमसीडी को डिजाल्व करके चुनाव कराये जायें। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के विधायक बनाकर भेजे, उस तरह से दिल्ली की जनता को भी विश्वास है कि जब भी चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि यदि यहाँ तीन भी आ गये...लेकिन वहां पर एक भी नहीं आ पायेंगे।

...(व्यवधान)...

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, ये ज्यादा उछल रहे हैं इसलिए बताना पड़ेगा। मेरे पास विजेन्द्र के प्रति एक कंप्लैंट आई है कि विजेन्द्र गुप्ता जी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के पार्किंग माफिया कंपनी चल रही है।

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, कन्कल्यूड कीजिए प्लीज। दस मिनट हो गये हैं। कन्कल्यूड कीजिए। आप अपनी बातों पर मत जाइये।

Jh lkeukFk Hkkjrh % माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कद्र से एमसीडी हर तरफ से नाकाम साबित हो रही है, उसका कुल मात्र कारण एमसीडी के अधिकारी कम हैं उसके कारण। एमसीडी के काउंसलर्स इसमें आज भाजपा विराजमान है तीनों में बार–बार, बार–बार पैसे की बात करते हैं और अपने जो पैसे उनकी सैलरी के लिए दिये जाते हैं, उस पैसे से वे अपने स्वीमिंग पुल बनवा रहे हैं। it is a mattr of deep shame. स्वीमिंग पुल बनवाया जा रहा है...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, आप कन्कल्यूड कीजिए।

Jh lkeukFk Hkkjrh % मैं हाथ जोड़कर विनती आपके थ्रू सरकार से करता

हूँ कि मेरे इस प्रस्ताव पर, जो मैंने एक तरीका दिया है इसको डिजोल्व करके इलैक्शन करवा कर के नये पार्षद आये और वो जनसेवा में, जिस कद्र से हमारे विधायक लगे हैं, उस कद्र से वो लगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % सुश्री अलका लाम्बा जी।

lqJh vydk ykEck % धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया और मैं सोमनाथ भारती जी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है कि नगर निगम को भंग किया जाना चाहिए, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और समर्थन क्यों करती हूँ, इसकी मरे पास वजह है। सबसे पहले जो दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री ने और पूरी सरकार ने स्वच्छ दिल्ली अभियान जब चलाया और बहुत अच्छी सोच और नीयत के साथ इसकी शुरूआत की। दिल्ली के तीनों मेयर को लेकर, तीनों नगर निगमों को लेकर इस अभियान की शुरूआत की और इस अभियान के तहत एक सच्चाई सामने आई जो मुझे यहां खड़े होने को और यह कहने को मजबूर कर देती है कि इस भ्रष्ट, निकम्मी नगर निगम को तुरंत भंग करके चुनाव कराये जाने चाहिए। जो ऐप्लिकेशन स्वच्छ दिल्ली लांच की गई, आप यकीन नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी हम सब को दी। सिर्फ 24 घंटों के अंदर 2200 ऐसी तस्वीरें दिल्ली के लोगों ने भेजी जो कूडे और गंदगी की कि कभी वहां पर गंदगी उठी न हो। मुझे लगता है बीमारी और महामारी का एक कारण है। यह निकम्मापन वो नगर निगम का दिखाती है। मैं 15 नवंबर की बात करती हूं। ट्रेड फेयर लगा हुआ है। संडे का दिन था। मैं वहां पर गई। यह भी एक कारण है जो दूसरा बता रही हूं पार्किंग माफिया। मेरे यहां पर चांदनी चौक

में गांधी मैदान पार्किंग है। भाजपा के ही बहुत बड़े नेता को वो नगर निगम ने बहुत सालों तक पार्किंग दे रखी। 60 लाख रुपया का बिजली का बिल उनके ऊपर था। कमाई खूब की और बिना बिल का भुगतान किए वो छोड़ कर भाग गये वहां से और आज भी वो पार्किंग अवैध रूप से चलाई जा रही है, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। एक इरफान नाम का वही शख्स है जो वहीं बगल में रहता है जो अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं उन्हें आज तक पर्ची नहीं दी जा रही, वो बार–बार हमें लिख–लिख कर मेल कर रहे हैं कि उनका हक है अगर वो पैसा देते हैं तो उसकी पर्ची उनको मिलनी चाहिए। जो आज तक नहीं, तो यह पार्किंग का सबसे बड़ा जो है वो है। 15 नवंबर की मैंने बात की जब मैं ट्रेड फेयर के लिए रविवार को मैं अपने परिवार के साथ ट्रेड फेयर गई। ट्रेड फेयर गेट नंबर 3 के सामने भी एक पार्किंग है जो डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से चल रहा है और नगर निगम लाइसेंस नहीं इशु कर रही है और अवैध रूप से पैसा वसूला जा रहा है यह दूसरा कारण है।

तीसरा अभी आपको मैं बताती हूँ कि नगर निगम जितने अस्पतालों में टोटल हड़ताल चल रही थी। हर मरीज वहां पर बेहाल थे कि वहां पर नर्सों की जो हैं वो हड़ताल है। नर्सो की हड़ताल का कारण क्या है वही जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का कारण था कि उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है और इनका बहाना था कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए हमारी बहुत सी नर्सों को नौकरी से निकाल दिया गया।

आपको स्कूलों की हालत बताती हूँ 24 स्कूल दिल्ली नगर निगम ने बंद कर दिये हैं। गरीब और मजदूर माता–पिता अपने बच्चे को नगर निगम के स्कूलों

में भेजते हैं। मुफ्त शिक्षा, मिड–डे मील भी मिलने के बाद आज भी वो नगर निगम के स्कूलों की बदतर हालत की वजह से वहां पर जो शिक्षा का स्तर है, वो निम्न है। अभिभावको ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया है और हालत यह हो गई कि इनके 24 स्कूल पहले बंद हो गए और अभी 30 स्कूल नॉर्थ और साउथ एमसीडी ने बंद करने का फैसला कर लिया है क्योंकि मां–बाप अपने बच्चों को दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भेजने को तैयार नहीं है।

एक और हकीकत आपको बताती हूं 70 से 75 जो है माल्स के अंदर अवैध रूप से पार्किंग का धंधा फल–फूल रहा था। जब इसके ऊपर पता लगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है और इस तरह की अवैध पार्किंग का खुलासा होगा। 70 से 75 माल्स को आज की तारीख में नगर निगम ने नोटिस भेजा है कि इन पर हम बैन कर रहे हैं, इन्हें हम बंद कर रहे हैं। नहीं तो हम से आकर आप लाईसेंस लीजिये क्योंकि अब ऐसा नहीं चल सकता क्योंकि इनका भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाएगा। एक और बात दिल्ली हाईकोर्ट की ये सब बात मैं आपको बता रही हूं।

अध्यक्ष जी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जमीन की मैं बात करती हूं जिस पर प्रापर्टी टैक्स नगर निगम को लेना था। 50 लाख का बकाया था लेकिन आज तक दिल्ली नगर निगम ने क्यों डीडीसीए से वो बकाया नहीं लिया इसका कोई जवाब नहीं और हाइकोर्ट को उसमें आदेश करना पड़ा कि दिल्ली नगर निगम डीडीसीए से दो हफ्तों के बीच में ये 50 लाख की वसूली करे। इतना ही नहीं प्रोवीजनल ऑक्यूपेंसी सार्टिफिकेट भी आज तक इश्यू नहीं किया गया था डीडीसीए को। उसके लिए भी हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ा। ये इनके भ्रष्टाचार हैं, जिसका खुलासा करते हुए मैं इस बात की मांग करती हूं

कि इनका निकम्मापन देखते हुए स्कूलों की बदत्तर हालत, अस्पतालों की हालत कर्मचारियों का वेतन, इतने भ्रष्टाचार को देखते हुए अध्यक्ष जी मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि लोगों को बदहाली से बाहर निकालना होगा। लोगों को गंदगी के बाहर निकालना होगा और लोगों को नगर निगम के भ्रष्टाचार से बाहर निकालना होगा और नगर निगम को मैं भंग करने का और पुनः चुनाव कराने का इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव रखती हूं। जयहिन्द।

v/;{k egkn; % भावना गौड जी।

lJh Hkkouk xkM % शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं...

v/;{k egkn; % भावना जी एक सेकेंड। मैं आधा घंटे का समय बढ़ाने के लिए सदस्यों से सदन से प्रार्थना करता हूं और आधा घंटा समय बढ़ाने की स्वीकृति हां करके आप दें मेरी ये प्रार्थना है। धन्यवाद।

(समवेत स्वर हाँ)

v/;{k egkn; % चलिये, भावना जी अब शुरू करें।

lJh Hkkouk xkM % शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इतिहास कभी कई बार अपने आप को दोहराता है। आज मेरी आँखों के सामने राष्ट्रीय जीवन का वह जगमगाता एक प्रश्न उभर कर के सामने आ रहा है। जब नंद वंश के अत्याचारों से त्रस्त जनता को संरक्षण देने के लिए आर्यश्रेष्ठ चाणक्य ने पावन प्रतिज्ञा की थी और कालांतर में ऐसे राज्य की स्थापना की थी जिससे देशभर के अंदर एक बहुत स्वर्णिम शासन प्रदान किया गया पूरे देश को। मुझे लगता है कि विशेष तौर पर मुझे आज आदरणीय भाई सोमनाथ जी को

बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि एक जागरूक विधायक होने का परिचय जो सोमनाथ भाई ने दिया है और इस सदन के माध्यम से ये अपील की है कि दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों को भंग करके दोबारा से दिल्ली में नये चुनाव करवाये जाएं, इसके लिए ये सदन सोमनाथ भारती जी का आभारी है।

अध्यक्ष महोदय, विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां मुद्दों पर बहस होती है। जहां मुद्दों पर चर्चा होती है। जहां मुद्दों के ऊपर विचार–विमर्श होता है। ये एक ऐसा मंच है जहां विधायक अपनी संवैधानिक ताकतों का उपयोग कर सकता है और यहां पर जोरदार तरीके से अपनी बहस को सबके बीच में रखने की एक गुंजाईश भी हमारा संविधान सदन इसे देता है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम में जो वर्तमान में हालात हैं उनसे मुझे नहीं लगता की दिल्ली में रहने वाली कोई भी जनता या कोई भी नागरिक अनभिज्ञ है। दिल्ली नगर निगम स्वयं में भ्रष्टाचार का एक अड्डा बनी हुई है। दिल्ली नगर निगम का स्वरूप इस बात का परिचायक है कि कर्मचारी हो या ऑफीसर, पार्षद या मेयर सारे के सारे अपने छोटे–छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं मानवता को चोट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। वर्तमान में दिल्ली नगर निगम केवल निगम के चाटुकारों का ओर केवल अवसरवादियों का एक अड्डा बनी हुई है ऐसा जब भी हम किसी निगम के अधिकारी के पास में जाते हैं किसी पार्षद के पास में जाते हैं जैसे अभी हमारे सोमनाथ भाई ने बताया कि साइकिल के पंचर लगाने वाला व्यक्ति जो कहीं न कहीं निगम का चुनाव लड़ता है, आज वो अरब पति खरबपति बना हुआ है हमारे यहां जितने भी 70 विधायक हैं बैठे हैं उनके सबके माता–पिता ने हमें ईमानदारी की मेहनत मजदूरी

की कमाई से पो–पोसकर बड़ा किया है और शायद हममें से कोई भी अरबपति खरबपति यहां पर नहीं बैठा तो स्वाभाविक तौर पर ये बात उभर कर आती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ही ये व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि मेरे सभी बंधु इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि राजनैतिक महत्वकांक्षा अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है लेकिन यदि वो महत्वकांक्षा व्यक्तिगत महत्वकांक्षा बन जाए तो फिर देश के अस्त्वि के लिए खतरा है और मुझे लगता है कि इस अस्थिरता को खत्म करने के लिए कहीं न कहीं हमें और आपको सबको ये मानना पड़ेगा कि निगम के जो हालात हैं उसको खत्म करके नये सिरे से चुनाव करवाया जाए। दिल्ली नगर निगम में रहने वाला प्रत्येक नागरिक किसी न किसी तरीके से दिल्ली नगर निगम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली नगर निगम का प्रमुख काम यहां के रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, पर आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधि बुनियादी कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, रूल संख्या नं. 287 के अंतर्गत दिल्ली की दयनीय स्थिति को देखते हुए जनता से जुड़े हुए उनके हितों से जुडे हुए कुछ मुद्दों को मैं इस सदन में पेश करने की अनुमति चाहूंगी। आरटीआाई पैटिशन लगाने वाले एक कार्यकर्ता को मिले जवाब के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और डीडीए इन तीनों एजेंसियों के अंदर जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे ज्यादा कहीं 10 गुणा भ्रष्टाचार दिल्ली नगर निगम के अंदर व्याप्त है। अध्यक्ष महोदय, एमसीडी में काम करने वाले प्यून से लेकर के जेई तक लगभग 3400 केस पैंडिंग पड़े हुए हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा

हुआ है और उसके बावजूद वो आरोपी आज अपने पद पर बैठ करके काम कर रहे हैं सरकार से मोटी–मोटी तनखाएं ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी साधारण सी भाषा में कहूं तो एमसीडी घोटालों की प्रजनन भूमि है अपने आप में घोटालों को पैदा करती है और वो घोटाले अभी ये आरटीआाई से जवाब मिला है ये पेजिज भी मेरे पास है मैं सदन को दिखाना चाहूंगी दिल्ली दर्शन घोटाला, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के घोटाला, प्रमोशन को लेकर के घोटाला दिल्ली नगर निगम के अंदर और इनकी एक गुल्लक लूट भी इनकी योजना है उसके अंतर्गत भी घोटाला हुआ है। स्कूलों में बच्चों के लिए ट्रैक सूट खरीदे जाते हैं। वहां पर भी घोटाला हुआ है। सीपीएफ के अंदर भी घोटाला हुआ है तो स्वाभाविक तौर पे अगर मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए की एमसीडी अपने आप में घोटालों की प्रजनन भूमि है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर तीन तरह के चुनाव होते हैं नगर निगम का चुनाव होता है जिसमें लगभग 272 की संख्या में लोग चुनकर आए हैं...

v/;{k egkn;% कन्कल्यूड करिए प्लीज भावना जी।

lJh Hkkouk xkM% सर, आधा घंटा समय बढ़ाया, दो मिनट तो मुझे फालतू देंगे

v/;{k egkn;% अभी चार लोगों ने और बोलना है जी प्लीज कन्कल्यूड करें और अभी उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी देना है।

lJh Hkkouk xkM% अध्यक्ष महोदय, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली नगर निगम के अंदर बीजेपी की सरकार है और जनता ने बहुत महत्वपूर्ण अपनी

उम्मीदों को लेकर के इन लोगों को वोट दिया है। इन लोगों को चुनकर के सामने लेकर के आए हैं तो मेरा इस सदन के माध्यम से ये कहना है कि जितने भी हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दिल्ली के अंदर, लगभग एक करोड़ तीस लाख जनता रहती है और उन्होंने 272 दिल्ली नगर निगम के 70 विधायकों को चुनकर के भेजा, 7 सांसदों को चुनकर के भेजा टोटल इनकी गिनती 349 होती है। मुझे लगता है परमात्मा ने एक स्वर्णिम अवसर दिया। हम सबको परमात्मा की तरफ से मिला हुआ ये विशेष सम्मान है, विशेष आर्शीवाद है। अगर अभी भी जनता के वादों की खिलाफत हमने की और उनके वादे पर हम खरा नहीं उतरे तो मुझे लगता है कि यहां रहकर के तो हम जनता को बेवकूफ बना पायेंगे। लेकिन परमात्मा के घर जाकर के हमारा सबका हिसाब किताब होना है इसलिए नगर निगम में जितने भी हमारे पार्षद बैठे हुए है, उनसे मेरा अनुरोध है और अध्यक्ष महोदय, इस विषय से अलग हटकर के मैं एक बात कहना चाहूंगी वैसे मेरी आदत नहीं है कि मैं विषय से अलग हटूं। लेकिन

v/;{k egkn;% भावना जी कन्कल्यूड करिए।

lJh Hkkouk xkM % अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि दिल्ली नगर निगम के अन्दर जो बीजेपी की सरकार है, उन्हें एक विशेष सूचना जारी करनी चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक मतदाता अपना टैक्स जरूर जमा करवाये ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश के विभिन्न कोने के अन्दर जाए उनकी यात्राएं सुखद रहें, उनकी यात्राएं सफल रहें। इसके लिए कम से कम हम सबको अपना जो टैक्स है वो विशेषतौर से करवाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम में चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारी

अनुशासनहीन हो गए है और अमर्यादित आचरण करने लगे है और ऐसा लगता है कि अवसरवादिता को तो अलंकृित किया जा रहा है और जो लोग विश्वासघाती है, उनको हम परोसकर के पुरस्कार देने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि परिवर्तन जरूरी है और सर्वप्रथम यथास्थिति को बदलना ही होगा। यथास्थिति को बनाये रखने का सीधा सीधा यह अर्थ है कि जो भी माहौल चला आ रहा है, हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। इसीलिए उनको शोषणमुक्त करने के लिए कोई भी परिवर्तन अध्यक्ष महोदय होता है तो वो मुझे लगता है कि बहुमुखी, चतुर्मुखी विकास समाज का होना चाहिए। इसके लिए ये परिवर्तन होता है इसीलिए मैं आदरणीय सोमनाथ भाई को विशेषतौर पर बधाई दूंगी इस सदन को बधाई दूंगी और अपील करूंगी यहां बैठे हुए अपने सभी साथियों से कि दिल्ली में जो तीनों नगर निगम है उनके हालात परिस्थितियों को देखते हुए निगमों को तुरंत भंग किया जाए और दिल्ली के अन्दर नये सिरे से और जो ये अमेंडमेन्ट इसमें करने के लिए कहूंगी कि इसमें एक शब्द और शामिल कर दिया जाए कि जल्द से जल्द दिल्ली में नगर निगम चुनवा करवाये जाएं। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुना और अध्यक्ष महोदय, विशेषतौर पर धन्यवाद दूंगी आपने मुझे समय थोड़ा सा फालतू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, आज इस सदन में एक भावविहीन दुर्भावना से और बदले की भावना से कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक सिविक, बॉडी, एक लोकल बोडी शायद उसको लोकल बीडी न मानकर के कोई राजनीतिक पार्टी का स्वरूप यहां दिया गया। इस देश के अन्दर महात्मा गांधी जी ने एक

सपना देखा था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही और उसके तहत दिल्ली के अन्दर नगर निगमों को मजबूत करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न करते हुए उसको कमजोर करने का काम कर रही है। मैं इस पूरे मामले के तह में जाना चाहता हूं मार्च 2012 को राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के तहत और ये आन रिकार्ड कह रहा है मेलाफाईड इन्टेंशन के साथ दिल्ली की सरकार ने जल्दबाजी में ये जानते हुए कि तीन नगर निगमों की स्थिति फाइनेशियली वायेबल नहीं है। इस समय तीन नगर निगमों में उसको बांटा जा रहा था। जिस समय तीन नगर निगमों को बांटा जा रहा था। उस समय भी यह बात सामने थी आमदनी अठ्ठनी और खर्चा रुपया। ईस्ट दिल्ली में म्यूनिसिंपल कॉपोरेशन के जितने भी स्रोत थे, उसके बारे में सब जानते थे कि जो स्रोत हैं और जो खर्चा है नगर निगम के जिम्मे उसमें कोई आपस में तालमेल नहीं है। बावजूद इसके 2012 में trifurcation किया गया। इतना ही नहीं रि–नोटिफिकेशन हुआ 4th Delhi Finance commission का और नए हालातों के हिसाब से वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए एक साल बाद अप्रैल 2013 में रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में मुझे जानकारी मिली है साफ रूप से कहा गया कि trifurcation करते वक्त फाइनेन्शियली वायेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखा गया। दो मौके ऐसे आए जब दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार किया। दिल्ली की नगर निगम ने जब यूनिट एरिया method प्रोपर्टी टैक्स के एसेसमेंट का जो एक पारदर्शी तरीका था, उसको अपनाया उसके कारण एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ। उस समय की दिल्ली की सरकार ने कहा कि रेवेन्यू लॉस है क्योंकि एक बहुत ही

आवश्यक और बहुत जरूरी काम पारदर्शी होना प्रोपर्टी विभाग का है इसलिए ये जो रेवेन्यू लॉस है, इसकी दिल्ली सरकार पूर्ती करेगी। मुझे आज तक इस बात की हैरानी है कि दिल्ली की सरकार ने जो वायदा किया था जो कमिटमेंट किया था जो आदेश निकाले थे, उसका पालन नहीं हुआ। ठीक उसी तरह जब 2012 में ट्राईफरकेशन हुआ तो अध्यक्ष जी, आप समझ सकते है जो संस्था का जन्म 2012 में हो रहा है या कभी सुना है आपने कोई नई इंस्टीच्यूशन जिसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। अगर इतिहास में 100 साल बाद भी बात आएगी तो ईस्ट दिल्ली म्यूनीसिपल का जन्म 2012 मार्च में हुआ था यही कहा जाएगा। अगर नार्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जन्म तो मार्च 2012 में क्या जन्म इसका जन्म 2012 में हुआ हो जिसने कोई कर्ज लिया न हो और वो कर्ज लौटाने का जिम्मेदार हो जाए। जो कर्ज मैंने लिया नहीं, उस कर्ज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी गई और इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, खाली कर्ज ही नहीं उस कर्ज पर दिल्ली की सरकार सूद खोरों की तरह साढ़े तेरह प्रतिशत का ब्याज वसूल कर रही है। अब आप सोचिए एक कॉर्पोरेशन जिस पर एक हजार करोड़ रुपया आपने कर्जा डाल दिया और एक ही कॉर्पोरेशन की बता रहा हूं 140 करोड़ रुपये उससे सूद वसूल कर रहे हैं प्रतिवर्ष। ये नगर निगमों का एक प्रकार से दोहन नहीं तो और क्या है? अगर ये सरकार चाहती तो निश्चित रूप से जो 4th Finance commission की रिपोर्ट है जिस तरह से भारत सरकार ने Central Finance Commission की रिकमण्डेशन के 32 से 42.... एक मिनट में लागू किया।

v/;{k egksn; % दिल्ली को नहीं मिला। मुझे भी व्यक्तिगत पीड़ा है इस जिस की आप बात कर रहे हैं दिल्ली को ओम प्रकाश जी व्यवधान...विजेन्द्र जी बात कर रहे हैं, विजेन्द्र बहुत अच्छी तरह से आपको सुन रहे थे। सभी लोग

शान्ति से फिर आपने कन्ट्रोवर्सियल बात कर दी। मैं नहीं बन रहा हूं। व्यवधान... पूरे भारत को 10 प्रतिशत मिल गया मेरी दिल्ली को 10 प्रतिशत नहीं मिला। मैं भी इस बात से पीड़ित हूं। मेरी दिल्ली को 10 प्रतिशत नहीं मिला। चलिए, आप रखिए अपनी बात को। व्यवधान...

v/;{k egkn; % कन्कल्यूड करिए। कन्कल्यूड करिए आप।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % राजेश जी, प्लीज आप बैठिए।

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, दिल्ली फार्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट को जिस तरह से पिछले महीने से सरकार ने चालाकियां करने की कोशिश की, कभी घुमाने की कोशिश की। कभी केबिनेट की मीटिंग में कि हमने सैन्टर को भेज दिया है। जब मैं खुद जाकर हाईकोर्ट में खड़ा हो गया, मैं खुद पेश हो गया। मैंने कहा, जनाब, दिल्ली में अन्याय हो रहा है। फरियादी हूँ। दिल्ली की सरकार एक दोहरे मापदण्ड के साथ, एक अन्याय पूर्ण, तरीके से संविधान की धाराओं की अवहेलना करते हुए, उस रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। उसके बाद सरकार को लगा कि ये पैतरा तो उल्टा पड़ जायेगा। फिर कहा कि हम तो फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट को कांस्ट्टयूट कर रके हैं, वह रिपोर्ट आयेगी। जनाब, कहते हैं न कि कब तक आप बातों को घुमाकर, झूठ बोलकर बचते रहोगे। मुझे मालूम है कि अभी भी आप फोर्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के मामले में बेइमानी आपके मन में है। अगर आपके मन में सच्चाई होती, मैं

आपको चुनौती देता हूँ उस पर पूरी चर्चा करवायें आप और ईमानदारी से निर्णय लें। क्योंकि साढ़े 4 प्रतिशत शेयर उनको दिया जा रहा है। जब कि साढ़े बारह प्रतिशत शेयर उनका हक बनता है। ये कोई खैरात नहीं है, यह भी मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ। जब स्टेट फाइनेन्स कमीशन इन्ट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारे दिल्ली नगर निगम के टैक्स इक्ट्ठा करने की जिम्मेदारी दिल्ली को दी गई थी। वह उनका शेयर है, हिस्सा है। उनके बिहाफ पर आप टैक्स कलैक्ट करते हैं। बेईमानी मत कीजिए दूसरे के हक में। दूसरे के अधिकारों को मत छीनिए। उनका हक, उनका शेयर उनको दे दीजिए। उन नगर निगमों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दीजिए। नगर निगमों को दबाने का मतलब है कि दिल्ली की जनता को एक प्रकार से तिरस्कृत कर रहे हैं, उससे बदला ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि जो ये प्रस्ताव है, वास्तविकता तो यह है कि अगर यहां पर कार्रवाई न्यायपूर्ण तरीके से चलाई जाती तो ये ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनिस रूल के अनुसार इस सदन का ये चर्चा का विषय नहीं है, भंग करने का। यह विषय केन्द्र सरकार का है। ये आप समझ लीजिए। दिल्ली को जो म्यूनिसिपल एक्ट है, वह सैन्ट्रल एक्ट है, वह दिल्ली की असैम्बली ने नहीं बनाया है। दिल्ली की असैम्बली को ये अधिकार नहीं है। लेकिन आप सिर्फ बदले की भावना से। आप सिर्फ झूठी शौहरत और नगर निगमों को दबाने के लिए बार बार ऐसी स्थिति पैदा करते हैं और लोग इस बात को समझ रहे हैं, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% मेरे पास बोलने के लिए तीन माननीय सदस्यों के नाम

और आए हुए हैं : श्री विशेष रवि जी का, चौ. फतेह सिंह जी का और श्री अनिल बाजपेयी जी का। समय का अभाव को देखते हुए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे चर्चा का उत्तर दें और उसमें समय बढ़ाने के लिए वे 10 मिनट लें 15 मिनट लें या 5 मिनट का समय लें। जो भी ले। साढ़े 6 बजे तक का समय है।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे आश्चर्य है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली में पार्षदों का फण्ड सोसायटीज में लगे, इसके लिए तो चाहते हैं कि विधान सभा निर्देश दे और जब नगर निगम के कामकाज पर हमारे एक माननीय सदस्य ने कुछ सवाल उठा लिये। तो कहते हैं कि यह इस सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % आपने जो कहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, ये तय कर लें कि ये हैं किस तरफ ...(व्यवधान) हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं इनका पूरा सम्मान है। अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार दिल्ली सरकार में अरबन डेवलपमेंट विभाग भी देख रहा हूँ और उसमें लोकल बोडीज, हमारे अरबन डेवलपमेंट सेकेट्री होने के नाते बहुत सारी चीजें हम लोग साथ मिलकर करते हैं। यह बात सही है कि अभी दिल्ली नगर निगमों की हालत बहुत खस्ता है। अगर देखें, तो दो प्रमुख काम हैं उनके हिस्से। सबसे पहला काम उनका सफाई है। पूरी दिल्ली की सड़कें गवाह है कि सफाई की हालत क्या है। नगर निगम सफाई के काम में पूरी तरह असफल है। दूसरी चीज यह है कि वो प्रोपर्टी टैक्स इक्ट्ठा करेंगे, दिल्ली की तमाम प्रोपर्टी से,

दिल्ली के तमाम लोगों से, जो लोग बांशिदें हैं और उनसे प्रोपर्टी टैक्स इक्ट्ठा करके अपना सिस्टम चलायेंगे। वैसे तो इंटिग्रिटी में बहुत सारी चीजें हैं मैं कोई एकदम स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं। उसमें भी नगर निगम पूरी तरह से फेल है। मुश्किल से दस–पन्द्रह परसेंट प्रोपर्टी टैक्स इक्ट्ठा कर पा रहा है। हालत यह है कि डीडीए जैसा विभाग जो केन्द्र सरकार के अधीन आता है, बाकी एक आम नागरिक की तो छोड दीजिए, अनअथोराइज कालोनी में रहने वाले किसी व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, सामान्य बेचारे एक फ्लैट ऑर्नर को छोड़ दीजिए। डीडीए जैसा विभाग दिल्ली नगर निगम के 1600 करोड़ रुपये का प्रोपर्टी टैक्स दबा कर बैठा हुआ है, दे नहीं रहा है और उससे बुरी हालत यह है केन्द्र सरकार बार–बार अनुरोध के बावजूद उस पैसे को दिलवा नहीं रही है। दिल्ली नगर निगम की खस्ता हालत में एक वजह यह भी है और एक वजह यह भी है कि वहां का जो इलेक्ट्रिकल लीडरशिप है, वो इन सब में नाकाम है, न वो सफाई करवा पा रहे हैं, न प्रोपर्टी टैक्स इक्ट्ठा कर पा रहे है। बाकी और बहुत सारी नाकामियां हैं जिन पर मुझे लगता है कि इसी में ब्रेकेट में आ जाती है वो सारी। मैं दिल्ली सरकार की ओर से कहना चाहता हूं इस सदन को सूचना भी देना चाहता हूं और आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार पूरे तन–मन–धन से कोशिश कर रही है कि नगर निगम का जो बुनियादी फंक्शन है सफाई, उसको ठीक से निभाया जाये और उसको निभाने के लिए हम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगमों के साथ मिलकर उनसे बातचीत करके पूरा अभियान भी चला रहे हैं। प्रयासरत है कि दिल्ली एक बार ठीक से साफ हो जाये। इसी महीने की 22 तारीख को आदरणीय केन्द्रीय मंत्री वैंकेया नायडू जी के कर कमलों से हम यहां एक व्यवस्था का उद्घाटन भी करा रहे

हैं जिससे दिल्ली का कोई भी आम नागरिक फोटो खींचकर एक ऐप के जरिये भेज देगा। उसको सफाई कराने की, मॉनिटरिंग सेंट्रली की जा सकेगी, उसके डायरेक्शन सेंट्रली दिये जा सकेंगे और बाद में वो नागरिक खुद उसको अपडेट भी कर सकेगा कि हां जी, मेरे यहां सफाई हुई कि नहीं हुई। उसी अपडेट पर। ये चीजें कर रहे हैं इसमें मैं समझता हूँ कि सदन में जो हमारे साथी प्रस्ताव लाये हैं कि दिल्ली के लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधायें प्रदान करने के संवैधानिक और वैधानिक जनादेश को पूरा करने में निगमों के असफल रहने के कारण दिल्ली के तीनों नगर निगमों को भंग कर दिया जाये और तुरंत चुनाव कराये जाये। मैं समझता हूं यह एक प्रस्ताव के आधार पर थोड़ी जल्दबाजी होगी और सदन का आदेश होगा और सदन का निर्देश होगा तो हम नगर निगमों से बात करके उनके साथ मिलकर स्थिति को और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई को उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उसकी जरूरत है। दिल्ली को साफ–सफाई करने की जरूरत है। मैं माननीय सदस्य से भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रस्ताव पर, उसके मांग पर पुनर्विचार करे एक बार और सदन से भी अनुरोध करूंगा कि उस पर गम्भीरता से क्योंकि नगर निगम को तुरंत भंग करना, यह समाधान है या अभी उसमें और प्रयास करके देखना और उसके बाद अगर नहीं बात बने तो फिर भंग करने की बात करना, वो समाधान है। यह सदन और माननीय सदस्य जैसे उचित समझेंगे, वैसे अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % नहीं अब नहीं, उप–मुख्यमंत्री जी के बाद, प्लीज। सोमनाथ जी।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री साहब के एसोयोरेंस के बाद में एक थोड़ा अमेंडमेंट मूव करना चाहता हूं उसमें। जहां लिखा है प्री–डिजाल्व उसे ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % बोलने दीजिये उन्हें कर सकते हैं अमेंडमेंट। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % वो भी कर सकते हैं।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % नहीं–नहीं अमेंडमेंट कर सकता है खुद भी कर सकता है। बताइये–बताइये।

Jh lkeukFk Hkkjrh % प्री–डिजोल्व को हम अगर।

Jh fotUnz xqIrk % यह प्रस्ताव अब सदन की प्रोपर्टी हो चुका है अब या तो विड्रा करें इसे सदन की इजाजत से या फिर अमेंडमेंट कोई और मेम्बर मूव करेगा ये आप सेक्रेटरी साहब बता दें। ये जो प्रस्ताव जब एक बार आ जाता है वा सदन की प्रापर्टी हो जाता है अब जिसने प्रस्तुत किया है वो दो ही काम कर सकता है या तो वो रहेगा या वो विड्रा करेगा। अमेंडमेंट कोई और मूव करेगा।

v/;{k egkn; % अमेंडमेंट किसी और से। नितिन जी।

Jh lkeukFk Hkkjrh % माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप–मुख्यमंत्री साहब ने क्लेरिफिकेशन दिया और जिस कदर से उन्होंने बात रखीं कि नगर निगमों की जो खस्ता हालत है और जो उसकी ड्यूटी है सफाई की, उसपर

काफी गहरा काम चल रहा है। मुझे आशा है कि दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसमें सुधार आयेगा तो उनके आश्वासन के संदर्भ में मैं अपना रिजोल्यूशन वापिस लेता हूं। आपकी अनुमति से। आपकी अनुमति चाहता हूं, सदन की अनुमति चाहता हूं।

v/;{k egkn; % अब सोमनाथ जी ने इस प्रस्ताव को वापिस लिया है और इसके लिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि उनकी इस भावना को समझते हुए इसको वापिस लेने की इजाजत दें। चलिये, हो गया। अब सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले मैं माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं। कुछ माननीय सदस्य अभी मिले थे उन्होंने जो यहां से नोटिफिकेशन गया था उसको शायद ठीक से पढ़ा नहीं है। पहले सुबह 11 बजे तक 280 का होता था उसी दिन जिस दिन सदन बैठना होता था वो उससे पहले दिन शाम के 4 बजे तक कर दिया गया एक तो ये संज्ञान में ले लें। दूसरा आप प्रतिदिन 4 बजे आकर लगायें जब तक सदन का नोटिफिकेशन गया है आप डेली डेट अनुसार भी अपना 280 का सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का और वीरवार का ये लगातार चारों दिन की डेट डालकर आप अपने 280 के अंतर्गत दे सकते हैं। ये नहीं कि एडवांस में दे सकते हैं। उस पर डेट अलग–अलग डाल दें। ये मेरा इस डेट में आयेगा ये इस डेट में आयेगा ताकि वो बैलेटिंग में आ सकें तो कई माननीय सदस्यों को परेशानी थी ये कि शाम को 4 बजे आने में दिक्कत है तो इसलिए इसको आप एडवांस में भी दे सकते हैं।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 23 नवंबर 2015 को अपह्ान 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

¼lnu dh dk;okgh fnukd 23 uocj 2015] dk vijk°u 2 ct rd d fy, LFkfxr dh xbA½

fo"k;&lwph

l=&2 Hkkx¼1½ 'kqØokj] 20 uoEcj] 2015@29 dkfrd 1937 ¼'kd½ vad&16

Ø-l-	fo"k;	i`"B
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	3—11
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक	12—74
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	74—86
5.	अतरांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	86—101
6.	प्रतिवेदन पर सहमति	101—102
7.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	102—104
8.	विशेष उल्लेख (नियम—280)	105—118
9.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	118—119
10.	विधयेको का पुरःस्थापन	119—123
11.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	123—141
12.	गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प	141—201